राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ५७वां दिवस [संख्या ३५

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १६५८

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

धौलपुर क्लॉक टॉवर मशीन की चोरी

१३८३. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर क्लॉक टॉवर से उसकी मशीन के हिस्से चोरी गये हैं ?

(२) यदि हॉं, तो किस तिथि को ? जब से अब तक पुलिस द्वारा छानबीन का क्या परिणाम रहा ?

(३) क्या यह सत्य है कि यह मशीन हिन्दुस्तान में नहीं मिल सकेगी, यदि चोरी गये पुर्जे नहीं मिल सके ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि यदि मशीन के चोरी गये पुर्जे नहीं मिले तो भवन किसी अन्य उपयोग में नहीं आ सकेगा ?

(५) क्या राज्य सरकार किसी विशेष अधिकारी को इसकी जांच का भार देना चाहती है ? यदि हां, तो क्या वह केन्द्रीय या राज्य के गुप्तचर विभाग को अधिकारी रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या यह सत्य है कि जिस समय यह मालूम हुआ कि धौलपुर क्लॉक टॉवर की मशीन चोरी गई है उस समय से स्थानीय पुलिस ने निष्क्रियता दिखलाई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) ; (१) जी हां ।

(२) तारीख २४ व २५ अक्टूबर, १६५८ को बीच रात्रि को । छानबीन के उपरान्त कोई सुराग नहीं चल सका ।

(३) यह मशीन भारत में उपलब्ध है या नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(४) इस भवन के उपयोग का विषय म्युनिसिपल अधिकारियों द्वारा निर्णय किए जाने का है ।

(५) इस केस की तफतीश स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है और अगर वहां

Page No.2

(श्री रामकिशोर व्यास)

की पुलिस असफल रही तो गुप्तचर विभाग द्वारा छानबीन की जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : कब तक अन्दाज हो जायगा कि आपकी पुलिस बिल्कुल असफल रही है?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक उम्मीद रहे कि बरामद कर लें।

डॉ० बहादुरसिंह : कब तक आशा करते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : निश्चित नहीं कह सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : यह चोरी ऐसी है कि अगर चोरी का पता नहीं लगा तो टॉवर बिल्कुल नष्ट हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : इलाज क्या है? तफतीश जोरों से कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। मान लीजिये कि पुलिस बरामद नहीं कर सकी तो सी. आई. डी से करायेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : पहले से आपको इन्तजाम करना चाहिए। हो सकता है जल्दी रिकवर हो जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : सी. आई. डी. के थ्रू करवा सकते हैं।

प्रश्न संख्या १३८४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : १३८५।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब आया नहीं है, अभी आया नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : कब जबाब दिया जायगा?

श्री रामकिशोर व्यास : अगली टर्न आयेगी, तब दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाड़मेर की कोर्ट में मुकदमा

१३८६ श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर के एस. डो. एम. कोर्ट में मुकदमा नं० सी. आर. १२५। ५८ सरकार बर्सेज नूरमोहम्मद दफा ३०७ ताजीरात हिन्द में अभियुक्त को तारीख २२-११-१६५८ को रिहा कर दिया गय

(२) क्या यह भी सही है कि वह पाकिस्तान निवासी था और पाकिस्तान चला गया?

(३) क्या यह भी सही है कि उसके पास पकड़े जाने के समय ८६,०० ०रु० की कीमत का सोना था?

(४) क्या यह भी सही है कि सोने के तस्कर व्यापार का व पारपत्र बिना भारत प्रवेश तथा अन्य आरोपों के मुकद्दमे भी उसके विरुद्ध जेर तजबीज थे? यदि हाँ, तो क्या क्या मुकद्दमे थे?

(५) यह किसकी गलती से पाकिस्तान बिना सजा पाये चला गया तथा सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, यही सही है कि मुलजिम नूरमोहम्मद को दिनांक २०. ११. ५८ को एस. डी. एम. बाड़मेर ने एक फौजदारी मुकद्मे में जो दफा ३०७ आई. पी. सी. में नूरमोहम्मद के खिलाफ चल रहा था, बरी कर दिया था।

(२) यह सही है कि मुलजिम नूरमोहम्मद पाकिस्तान का रहने वाला था। उसने अदालत के सामने अपने बयान में मंजूर किया था।

(३) मुलजिम नूरमोहम्मद को २२ जून १९५८ को सुबह ४ बजे लकड़हारी गांव के नजदीक आर. ए. सी. के जवानों ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मुलजिम के पास में ८७ हजार रुपये का अवैध सोना और चार सौ रुपये की कीमत के सोने के सिक्के बरामद हुए थे।

(४) इन्डियन पास पोर्ट एक्ट को धारा ३: ६: में मुलजिम नूरमोहम्मद का चालान २४.७. १९५८ को अदालत के सामने पेश किया गया था। इस मुकदमे का तारीख ३.९. १९५८ को फैसला हुआ और इसमें मुलजिम नूरमोहम्मद को ४५ दिन की जेल भुगतने की सजा हुई। उसकी मियाद तारीख १७. १०. १९५८ को खत्म हुई, लेकिन उसे जेल से रिहा नहीं किया गया क्योंकि उसके खिलाफ एस. डी. एम. बाड़मेर की अदालत में धारा ३०७ आई. पी. सी. में अभी मुकदमा चल रहा था। मुलजिम नूरमोहम्मद के खिलाफ कस्टम्स लॉज के अन्तर्गत कोई मुकद्मा किसी अदालत में नहीं चल रहा था किसी और कानून के अन्तर्गत भी इसके खिलाफ कोई और मुकदमा इस जिले की किसी अदालत में नहीं चल रहा था।

(५) उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि मुलजिम बिना सजा पाये पाकिस्तान नहीं गया है। इंडियन पास पोर्ट एक्ट के तहत दी गई सजा उसने पूरी भुगत ली थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार समझती है कि ४५ दिन की सजा कम है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने अपील क्यों नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत ने मुनासिब समझा, वह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अपील क्यों नहीं की ? ४५ दिन की सजा के विरुद्ध क्या राज्य सरकार नहीं समझती कि यह सजा कम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : फौजदारी के मुकद्मे में बरी होने के बाद यह सजा काफी है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सजा पासपोर्ट न होने की वजह से दी गई या अवैध सोना होने की वजह से दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पासपोर्ट एक्ट के तहत दी गई।

श्री श्रीभानसिंह : अगर पासपोर्ट की वजह से दी तो जो अवैध सोना मिला, उसके लिए क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैंड कस्टम ने इसके खिलाफ कोई केस नहीं किया। मैंने आपको बताया कि उसके खिलाफ तीन ऑफेन्स बनते हैं। एक उसके खिलाफ

(श्री रामकिशोर व्यास)

फौजदारी का मुकदमा चल रहा था, उसमें उसे छोड़ दिया गया। दूसरा पासपोर्ट एक्ट के तहत केस बनता था उसमें उसे सजा दी गई। तीसरा अवैध सोने का मामला था, उसका चालान पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते, उसका चालान कस्टम वाले कर सकते थे। पुलिस को उसे अरेस्ट करने का अधिकार है वह सोना कस्टम वालों को भेजना था वह भेज दिया गया है। उनको सूचना दे दी गई थी

श्री श्रीभानसिंह : जो अवैध सोना पकड़ा गया उसके लिए मुलजिम को कस्टम वालों को हैंड ओवर किया गया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको इत्तला दी गई ?

श्री श्री भानसिंह : आपने हैंड ओवर किया लैंड कस्टम वालों को अगर अवैध सोना मिलता है तो उनको हैंड ओवर करते हैं और कहा जाता है कि चालान करायें ?

श्री राम किशोर व्यास : यह होता है कि मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है और उनको इत्तला दे दी जाती है। उनको सूचना दे दी जाती है। प्रोसीजर यही है कि स्मगलिंग केस होते हैं, आपको मालूम होगा कि वे नॉन कॉगनीज़िबल ऑफेन्स होते हैं। लैंड कस्टम ने पुलिस को इतना अधिकार दिया है कि सीज्योर करके उनको इन्फार्मेशन दे दे, चालान करने का उनका अधिकार है। इसलिए सीज्योर करके उनको इन्फॉर्म करते हैं और माल भेज देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जिस समय आपने उसे छोड़ा था, उस समय कस्टम वालों को इत्तला दी थी कि उसको रिलीज कर रहे हैं और पाकिस्तान जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। इतनी मिस्टेक उनकी है कि कस्टम वालों ने चालान नहीं किया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या राज्य सरकार अनुभव करती है कि राज्य अधिकारियों की कनाइवेन्स से बच कर निकल गया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जयपुर-अजमेर जाने वाली बसों के परमिट

१३८७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से सीधी अजमेर जाने वाली बसों में कितनी बसों के परमिट शुरू में जारी किये गये थे ?

(ख) किस कारण से खास पुष्कर राज के मेले से कुछ दिन पहले ही उनमें से सिर्फ तीन बसों को छोड़ कर बाकी बसों के परमिट कैन्सल कर दिये गये ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि जयपुर से अजमेर आने वाले मुसाफिरों को सरकार की इस नीति के कारण किशनगढ़ में बस बदलने में बड़ी कठिनाई व धन तथा समय की बर्बादी होती है ?

(घ) क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर पहले की तरह से सीधी रूट पर परमिट शीघ्र जारी किये जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (दामोदरलाल व्यास यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) कुल ५१ टेम्प्रेरी पर्मिट दिये गये थे।

(२) कुछ ऑपरेटरों द्वारा हाई कोर्ट में रिट आवेदन पत्र दिये जाने पर हाईकोर्ट ने कुछ (४८) पर्मिट कैंसिल कर दिये।

(३) हां।

(४) पर्मानेन्ट पर्मिट दिये जाने की कार्यवाही आर० टी० ए० जयपुर के १६–१७ दिसम्बर से सम्मुख है। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि आर० टी० ए० कब तक फैसला करेगी।

श्री पी० के० चौधरी : कितने आदमियों को पर्मिट दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That information is not available. परसों ही इसका फैसला किया है, अभी तक हमारे पास आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार

१३८८. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में बीकानेर जिले में किसी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने एक पुलिस थानेदार को भ्रष्टाचार के अभियोग में गिरफ्तार किया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार के भ्रष्टाचारी और तस्कर व्यापारियों से मिले हुए होने के कारण वहां की जनता में उसके प्रति बहुत असन्तोष फैला हुआ है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि संबंधित डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ने पहले भी गंगानगर, बाड़मेर व बीकानेर में लाखों रुपयों का तस्कर व्यापार का सोना पकड़ा है ?

(घ) क्या सरकार को यह भी विदित है कि उपरोक्त थानेदार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की रकम में बड़े-बड़े पुलिस उच्च अधिकारियों का हिस्सा रहता है, इस वास्ते अब उसे बचाने के लिये वे सब मिल कर उसे निर्दोष साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं ?

(ङ) क्या यह सही है कि पुलिस उच्च अधिकारियों ने मुकद्दमे के गवाहों को दबा कर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से बाला २ सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाकर उनके बयान थानेदार के पक्ष में करा लिये ?

(च) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तरीके से बयान कराने से ३ दिन पहले ही उनसे सम्बन्धित थाने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के जुरिस्डिक्शन से हटा लिये गये ?

(छ) यदि हां, तो क्या ऐसा थानेदार के हित की दृष्टि से ही किया गया था ?

(ज) क्या सरकार को विदित है कि पुलिस उच्च अधिकारियों ने थानेदार को जमानत पर छुड़ा कर मुअत्तिली की हालत में उसे लाइन हाजिर न रख कर अपने हलके में जाने की छूट दे रखी है जिससे वह आतंक और भय दिखाकर लोगों को अपने पक्ष में कर सके ?

(झ) क्या राजस्थान में कोई और भी ऐसा उदाहरण है कि एक पुलिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिये अपने मातहत अधिकारी को गिरफ्तार किया हो ?

Page No.6

(श्री मोहरसिंह)

(ञ) क्या सरकार इस मामले पर पूर्ण गम्भीर रुख अपनाएगी, जिससे भ्रष्टाचारियों का हौसला न बढ़ने पावे ?

(ट) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कदमें उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बाड़मेर जिले में अवैध सोना नहीं पकड़ा गया परन्तु बीकानेर जिले में पुलिस पार्टी, जिसका मुख्य वह थाने ६६२ तोला अवैध सोना पकड़ा था। जिला गंगानगर में उसने १५० तोला अवैध सोना पकड़ा था।

(घ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ङ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। गवाही नहीं हुई, पर न्यायालय में हलफनामा लेकर बयान दिए।

(च) जी नहीं, यह सच नहीं है। यह पता नहीं कि गवाहान ने न्यायाधीश को कब बयान दिए।

(छ) जी नहीं, ऐसा थानेदार का पक्ष करने हेतु नहीं किया गया परन्तु यह साधारणतया हुआ जैसा कि ऊपर लिखा गया है। इस आज्ञा से इन तीनों थानेदारों को यह मुकदमा रिश्वत का थानेदार पुंगल के विरुद्ध दर्ज होने के कारण सूचित नहीं किया गया था।

(ज) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। थानेदार को हल्के में सैसन जज द्वारा जमानत लेने के पश्चात् जाने की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

(झ) जी हां।

(ट) सरकार सदैव उत्सुक रहती है और इस मुकद्दमे में भी भ्रष्टाचार कर्मचारी बिना दन्ड पाये नहीं रह जावे और प्रत्येक मुकद्दमे की पूरी पूरी तफतीश की जाय।

(ठ) इस मुकद्दमे की तफतीश भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग ने ले ली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस बात के लिए सदैव उत्सुक रहती है कि इस महकमे में भ्रष्टाचारियों को दबाया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सच है कि मुलजिम थानेदार लाइन पर मौजूद है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अन्डर सस्पेन्सन है, कहां है, यह पता नहीं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपने कहा कि उस हल्के में जाने की इजाजत नहीं दी गई है, पर वह लाइन पर मौजूद है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लाइन में क्यों होना चाहिए, वह सस्पेन्ड है।

श्री श्रीभानसिंह : वह उस एरिया में मौजूद है, उस एरिया के लाइन में है।

श्री रामकिशोर व्यास : उसका एरिया पुंगल है।

श्री मोहरसिंह : पुंगल में थानेदार आता जाता है, जब कि वह सस्पेन्ड है, उनको वहां जाने से रोकना चाहिए ताकि वह गवाहों को बहका न सके।

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास : आपने यह सूचना दी है, इसका प्रबन्ध करेंगे।

श्री गिरधारीलाल : उसके अन्तर्गत कौन-कौन से थाने थे, उनके नाम बतावें ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं कि कौन कौन से थे।

श्री मोहरसिंह : जिन गवाहों के बयान लिए गए उनके नाम क्या थे, उनके बयान किसने करवाये ? आप कहते हैं कि गवाहान के बयान हुए, उनके नाम क्या थे और कौन सी धारा के तहत बयान कराये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवाहों के के नाम क्या थे, उनका पता नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : गवाहों के बयान किसने कराए ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पता नहीं कि किसने बयान कराए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वे खुद आए बयान देने के लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्यों नहीं आ सकते ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज। श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि उच्च अधिकारी डी० आई० जी० साहब ने गवाहों को बुलाने की कोशिश की और डी० एस० पी० की गैर हाजिरी में बयान कराए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आपने (च) के जबाब में कहा है। आप यह बता सकते हैं कि उसके जुरिस्डिक्शन में कौन से पुलिस थाने आते हैं ? उनके नाम बताएं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि गूगल, बलोतरा, वरसा, ये तीन थाने नये कायम हुए हैं, वे रूरल एरिया में थे। टेम्प्रेरी तरीके से सहूलियत के लिहाज से उनको ट्रान्सफर कर दिया। इत्तफाक की बात है कि यह इस समय हुआ। वैसे यह बहुत अर्से से चल रहा था।

श्री मोहरसिंह : बयान होने से पहले इन तीन थानों को ट्रान्सफर करने का क्या मायना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इत्तफाक की बात है। वैसे वह मामला काफी दिनों से चल रहा था।

श्री पी० के० चौधरी : जो एरिया लिया गया, रूरल डी० एस० पी० के पास से, वे जिनके अन्डर में थे, उनको क्यों नहीं दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि टेम्प्रेरी तौर पर ट्रान्सफर किए हैं। सरकारी वकील से पैरवी की जरूरत क्या है, कोई भी गवाह कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में उसकी एविडेन्स रेकॉर्ड की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा तो कहीं नहीं है कि गवाह आप खुद कोर्ट में जाय और कोर्ट उसके बयान ले ले। कोई भी लैमेन कोर्ट में जाय और कह दे कि मैं गवाही देना चाहता हूं और कोर्ट उसकी गवाही रेकॉर्ड

Page No.8

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल))

कर ले, इस तरह से तो आज तक कहीं नहीं होता ।

श्री रामकिशोर व्यास : शायद आप तो वकील हैं, आपको जानकारी होगी कि दफा १६४ जाब्ता फौजदारी के मातहत हर एक आदमी मजिस्ट्रेट के पास जा कर अपने बयान रेकॉर्ड करवा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : १६४ में केवल पुलिस बयान करा सकती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, ऐसा नहीं है ।

श्री मूलचंद डागा : नहीं साहब ।

श्री दामोदरलाल व्यास : है, साहब ।

(अनेक माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति रखिए, मैंने उनका नाम बोल दिया है, उनको पूछ लेने दीजिये ।

श्री भीमसेन : थानेदार को किस जुर्म में गिरफ्तार किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके खिलाफ रिश्वत की शिकायत थी ।

श्री भीमसेन : पुंगल गांव में जा कर अरेस्ट किया या डीवाई० एस० पी० ने उसे थाने में जाकर अरेस्ट किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुंगल गांव में ही अरेस्ट किया होगा, मुझे प्लेस ऑफ अरेस्ट इस समय मालूम नहीं है ।

श्री भानसिंह : कहां अरेस्ट किया था थानेदार को ?

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बाउन्डरी के पास बिना इजाजत के मुसलमानों की बारात आई हुई थी, उससे उसने सोना लिया, डीवाई० एस० पी० ने तीन दफा आदमी उस थानेदार को बुलाने के लिए भेजा फिर भी वह नहीं आया तो डीवाई० एस० पी० खुद थाने में गया और उस थानेदार को थाने में गिरफ्तार किया ।

श्री रामकिशोर व्यास : इस मामले में कुछ गलत फहमी है कि एक डीवाई०एस० पी० ने एक सब-इन्स्पेक्टर को ब्राइबरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया और उस सब-इन्स्पेक्टर को ५ दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा, फिर सेशन्स से उसकी जमानत हुई तो फिर कैसे ख्याल किया जाता है कि पुलिस वाले उस थानेदार को बचाना चाहते हैं । पुलिस वाले बचाना चाहते तो ५ रोज उसको पुलिस हिरासत में क्यों रखते ? फिर भी मुझे यदि इतमीनान दिला दिया जाय कि कोई ऐसा काम किया जा रहा है पुलिस अफसरों की तरफ से कि इस मामले को दबाया जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि डीवाई० एस० पी० ने उसको सीधा सेशन जज के पास ले जाकर बयान करवाए, इस पर डीवाई० एस० पी० को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दबाया कि उसको

(श्री मोहरसिंह)

सीधा ले जाकर बयान क्यों करवाए? डीवाई० एस० पी० सीधा उसको सेशन्स जज के पास ले जाकर बयान कराता है, वायरलैस से पुलिस अधिकारियों को उसके अरेस्ट करने की सूचना दे दी थी, उच्च अधिकारियों ने डीवाई० एस० पी० को दबाया कि सीधा क्यों ले गया?

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है कि डीवाई० एस० पी० ने खुद जाकर बयान कराए तो इसमें क्या एतराज की बात है?

श्री गिरधारीलाल : मन्त्री महोदय, इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें, यह सही है कि डीवाई० एस० पी० को पुलिस के उच्चे अधिकारियों द्वारा दबाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ऐसा है कि जब एक पुलिस मैन, पुलिस मैन को करप्शन में अरेस्ट करता है और उससे ३ थाने छुड़ाना...

It may be a matter of coincidence, but. इसका क्या डीवाई० एस० पी० पर, पुलिस जनरल पर असर नहीं पड़ेगा कि उन्होंने एक पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर को अरेस्ट किया इसके लिए उनसे ३ थाने छुड़वाए गए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि सारे मामले की जांच कराई जायगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले की खाद्य समस्या

१२९६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या खाद्यान्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय भरतपुर जिले में २५ रु० से ३० रु० मन तक का गेहूँ बेचा जा रहा है?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

(ग) क्या यह सही है कि इन दिनों में वहां के गल्ला व्यापारियों ने खाद्यान्न बेचना बन्द कर रखा है?

(घ) यदि हां, तो क्यों और उनसे गल्ला बिकवाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

(ङ) क्या एक जिले से दूसरे जिले में अन्न ले जाए जाने पर किसी प्रकार की पाबन्दी लगा दी गई है?

(च) क्या इस पाबन्दी से भरतपुर जिले की जनता को सस्ता अन्न पाने में दिक्कत उठानी पड़ रही है?

(छ) क्या सरकार को यह भी पता है कि आजकल भरतपुर जिले के समीप पंजाब के इलाके में १८ रु० मन तथा उत्तर प्रदेश में २२ रु० मन का गेहूं बिक रहा है?

(ज) क्या उक्त राज्यों तथा राजस्थान के एक जिले के भावों में इतना असाधारण अंतर रहने से भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना नहीं है?

(झ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

खाद्यान्न एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) सरकार के पास प्राप्त सूचनाओं के

Page No.10

(श्री बद्रीप्रशाद् गुप्ता)

अनुसार भरतपुर जिले में गेहूं का भाव २५) रु०, १० आना प्रति मन से अधिक नहीं बढ़ा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ३४ रुपया हो गया है।

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : आपके पास यह सूचना होगी, मेरे पास यह सूचना है।

(ख) गेहूं के भावों में तेजी का प्रथम कारण तो भरतपुर जिले में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा और उससे सम्पूर्ण खरीफ की फसल का नष्ट होना है और दूसरी समूचे देश में अनाज के भावों में तेजी की रुख है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(छ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पर जहां तक मालूम है उत्तर प्रदेश की कीमतें राजस्थान की कीमतों से ऊंची हैं और इसी के कारण कभी कभी लोग गेहूं के निर्यात की कोशिश करते हैं।

(ज) जी नहीं।

(ट) उत्तर प्रदेश एवम् पंजाब राज्य राजस्थान के गेहूं के क्षेत्र से भिन्न है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गेहूं ले जाने और लाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। जो लोग प्रतिबन्ध तोड़ते हैं उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रतिबन्ध तोड़ने वाले राजस्थान के बोर्डर पर से निर्यात करते हैं, उस निर्यात को रोकने के लिये सरकार ने बोर्डर पर क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्यात नहीं होता, इन्तजाम कर रखा है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने बयान में गेहूं के भावों की तेजी के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी और नीति को निर्धारित किया था कि सरकार के, स्टेट ट्रेडिंग करने की बात विचाराधीन है और अनाज को सस्ता करने और अनाज की जब्ती के बारे में सरकार सक्रिय विचार कर रही है; क्या मन्त्री महोदय को जानकारी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे उस स्टेटमेंट की जानकारी है।

श्री जनार्दन राय नागर : मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री के बयान की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उन्होंने निश्चित रूप से कहा था कि सरकार गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं उससे चिन्तित है और उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग की ओर इशारा किया था और अनाज को सस्ता करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने को कहा था। जो जानकारी माननीय मंत्री महोदय ने दी है उससे तो मालूम होता है कि ये सब भाव डिमान्ड और सप्लाई पर चल रहे हैं। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान सरकार सजग है और जो कार्यवाही की जा रही है, उससे सब परिचित हैं।

Page No.11

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि २५ रु०, १० आना प्रति मन से गेहूं का भाव अधिक नहीं बढ़ा है । मैंने प्रश्न भेजा था उस समय इतना था पर अब तो ३६ रुपये मन हैं । मन्त्री महोदय फिर से जांच करें और अपने आपको सही करें । तीन चार दिन पहले ३६ रुपये मन का भाव था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन रोज पहले मैंने वहां से मालूमात की हैं, कल मैंने वहां के एस० डी० एम० से बात चीत की है और आज सुबह फिर बातचीत की है और मुझे बताया गया है कि वहां २५ रु०, १० आने से ज्यादा कीमत गेहूं की नहीं बढ़ी है । नवम्बर में भारत सरकार के खाद्य मंत्री और मैं दोनों वहीं थे, लाल ज्वार बोने के बारे में पाबन्दी लगी । भरतपुर के लिए एक हजार टन का कोटा अभी दिया गया था, १,००० टन और मंजूर कर लिया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पहुँच चुका है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६०० टन गेहूँ पहुँच गया है । पहले फी आदमी दो रुपये का दिया करते थे अब ५ रुपये का अनाज कल से सबको मिलना शुरू हो गया है । ३२ दूकानें पहले थीं, १७ दूकानें और बढ़ा रहे हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर से बहुत सारा गल्ला यू० पी० में चला गया । क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है, भरतपुर से ही क्या, सारे राजस्थान से गया हो और वक्त वक्त पर पकड़ा गया हो, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो । पर अब गवर्नमेंट रेट से मार्केट में फ्रीली मिल रहा है, कोर्स ग्रेन बाहर से लाना चाहे तो ला सकता है, वैसे मार्केट में फ्री मिल रहा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि भरतपुर में १ महीने तक व्यापारियों ने बिल्कुल गल्ला नहीं बेचा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में इतना है कि लाइसेंस नहीं दिया था इसलिए पांच सात व्यापारी बाहर चले गये थे; पर अब मैंने उनसे कह दिया है उनके बारे में कार्यवाही की जा रही है । अब मार्केट में फ्रीली अनाज मिल रहा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब भी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अब भी हा हाकार करके रोजाना प्रदर्शन करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरे जिलों से अनाज लाने का भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई प्रतिबन्ध नहीं है । हम इसके लिये प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि कोई बाहर नहीं ले जाने बिना पर्मिशन के । बाजरे के लिये चूरू, सीकर और झुंझुनूं में है, बाकी कहीं से मनाई नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सवाई-

Page No.12

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

माधोपुर से भी कलेक्टर ने मना कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई भी व्यापारी लाना चाहे तो ला सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३६०

श्री आबिद अली।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६१

श्री दया कृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३६३

श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित)

श्री गोवरधनसिंह केन।

मुर्दा मवेशी के सम्बन्ध में सवर्णों व जाटव चमारों में झगड़ा

१३६४. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला भरतपुर में गत दो वर्षों में मुर्दा मवेशी के सम्बन्ध में सवर्णों तथा जाटव चमारों में परस्पर कितने झगड़े हुए?

(२) यह झगड़े किन किन तहसीलों में हुए तथा इन झगड़ों के अन्तर्गत कितनी रिपोर्ट पुलिस में पहुँची? कितने केस तथा किस किस जुर्म के रजिस्टर किये गये व कितने चालान किये गये?

(३) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार के झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उनको रोकने के लिये सरकार ने कोई कड़ा कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या?

(४) क्या इन झगड़ों के अन्तर्गत कहीं लूटमार भी हुई? यदि हां, तो किन किन गांवों में?

(५) लूटमार द्वारा कितनी राशि की क्षति हुई?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई मुकदमा मुर्दा मवेशी उठाने के सम्बन्ध में नहीं हुआ। हां, मुर्दा मवेशी उठाने मनमुटाव व अन्य कारणवश सन् १९५७ व ५८ में सवर्णों तथा जाटव चमारों के बीच ४९ मुकदमे जिला भरतपुर में हुए।

(२) ये मुकदमे नंदबई, भरतपुर, रूपबास, वेरनगर, डीग व बाड़ी तहसीलों में हुए। कुल ४९ मुकदमे पुलिस में दर्ज हुए। जिनमें से २२ मुकदमों का चालान किया जा चुका है।

(३) यह सत्य है कि मनमुटाव के कारण दोनों जातियों में परस्पर झगड़े अधिक हुए हैं, परन्तु इसकी रोकथाम हेतु नियमित कार्यवाही की गई है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(४) जी हां, गांव शास में लूटमार होने की सूचना मिली है।

(५) १७,०६२) की धनराशि की क्षति होने की सूचना मिली है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार के गृह मन्त्री स्वायत्त शासन मन्त्री को सलाह देंगे कि वे ग्राम पंचायत को हिदायत करें कि जहां पर झगड़े होते हैं वहां पर ठेका देने की व्यवस्था करे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह आदेश दिये हैं।

श्री गोवरधनसिंह केन : क्या यह सही है कि भरतपुर में जैसे आपने बताया कि १५ हजार की लूटमार हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : १५ हजार की नहीं, १७ हजार की लूट हुई है।

श्री गोवरधनसिंह केन : ठीक है १७ हजार की लूट हुई है, उसमें क्या कोई सामान रिक्वर हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें अरेस्ट हुए हैं और चालान भी हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

ब्लॉक अधिकारी, करनपुर

१३६५. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) :

क्या विस्तार सेवा खण्ड मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या श्री ताराचन्द ब्लॉक अधिकारी, करनपुर मई, १९५७ में सीकर किसी सरकारी कार्य पर एक दिन के लिए गए थे ?

(२) क्या यह सही है कि उन्होंने अपना ८ दिन का और अपने साथ और तीन आदमियों का टी० ए०, डी० ए० वसूल किया ?

(३) क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी ?

उप विस्तार सेवा खंडमन्त्री (श्री संपतराम) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सतवन्त कौर : मैंने तो अध्यक्ष महोदय, पहले ही सोच लिया था कि मुझे मेरे प्रश्नों के ऐसे ही उत्तर मिलेंगे। जी हां और जी नहीं। डिपार्टमेंट से भी यही सूचना मिलती है कि जी नहीं और जी हां और मैंने यह सोच लिया था कि इससे दूसरा जवाब नहीं मिलेगा।

(हंसी)

समझ में नहीं आता जब सवाल रखती हूं इसी प्रकार का उत्तर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वे बिना छुट्टी के गये थे या छुट्टी लेकर गये थे ?

श्री संपतराम : बाकायदा ड्यूटी पर गये थे। उनको किसी केस में एवीडेन्स देना था इसलिये गये थे।

श्रीमती सतवन्त कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बता सकती हूं कि वहां पर क्या कार्यवाही की है ?

Page No.14

श्री श्रीभानसिंह : वे वहां पर एविडेन्स देने के लिये गये थे एक दिन के लिये और ८ दिन ठहरे, क्या यह सही है ?

श्री संपतराम : मुझे पता नहीं, लेकिन यह कह सकता हूं कि २७ मई को चले थे और एक तारीख को वापिस चले आये।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : तो आपने 'जी नहीं' का उत्तर कैसे दिया ? जब आपको पता था तो 'जी नहीं' का उत्तर किस तरह दिया ?

श्री संपतराम : प्रश्न यह था क्या सच है कि उन्होंने ८ दिन का और अपने साथ तीन आदमियों का टी॰ ए॰, डी॰ ए॰ वसूल किया ? तो न तो उन्होंने कोई टी॰ ए॰, डी॰ ए॰ वसूल किया न उनके साथ कोई आदमी थे।

डॉ॰ बहादुरसिंह : क्या आप माननीय सदस्यों की शिकायत पर, इस बात की जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री संपतराम : मैंने जांच करा ली है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या उन्होंने गवर्नमेंट से २७ से पहली तारीख तक छुट्टी ली थी या एब्सेन्ट रहे हैं या एब्सेन्ट रहने की इजाजत सरकार से ले ली थी ?

श्री संपतराम : वे एविडेन्स देने के लिये गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि उस मुकदमे में शहादत देने गये थे, वह शहादत २७ तारीख को ही रेकॉर्ड हो गई थी और काम समाप्त हो गया था और वे ज्यादा समय तक वहां पर ठहरे ?

श्री संपतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ८ दिन तक वे रहे। ८ दिन वहां पर बयान देने में ही रहे या छुट्टी में रहे, यह एक सीधी सी बात है। रहे या नहीं रहे इसकी जांच करा लें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया कि वे ४ दिन रहे।

श्री अध्यक्ष : २७ तारीख से पहली तारीख तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सदस्या की ८ दिन की जानकारी सही नहीं हो, गलत हो सकती है, मगर एक सरकारी अधिकारी एक दिन में एविडेन्स रेकॉर्ड होने के बाद बाहर रहता है, क्या आप उसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ? एक दिन का काम था और उन्होंने ज्यादा समय तक ठहर कर अपना काम किया।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जाने में समय लगता है। वह वहां से २७ तारीख को चला और १ जून को वापिस आ गया, ४ दिन बाहर रहा और वह सरकार के काम के लिये ही रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दिन में एवीडेन्स रेकॉर्ड होती है।

श्री सम्पतराम : आने जाने में भी समय लगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इस संबन्ध में सीकर में जांच कराई कि वह किस समय सीकर पहुंचा और एवीडेन्स दी और किस दिन सीकर से वापिस रवाना हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

Page No.15

सिंचाई विभाग के पास काश्त बोने के लिये रकबा, जिला भरतपुर

१३६६. श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला भरतपुर में सिंचाई विभाग के पास काश्त बोने के लिए कितने बीघे रकबा कहां हैं ?

(२) क्या ऐसे रकबों के पट्टे होते हैं ? यदि हां, तो यह रकबा किस किस पट्टेदार के पास है और उनके पास कितने कितने बीघा रकबा है ?

(३) क्या इस प्रकार के रकबों को हर वर्ष नीलाम किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह टिनेन्सी एक्ट के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के नीलामों को बन्द करने को तथा पट्टेदारों को स्थायी रूप से ज़मीन देने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ८ बीघा, ११ बिस्वा जिसमें से ६ बीघा, ८ बिस्वा गांव गुन्डया व २ बीघा, ३ बिस्वा गांव खोखर, तहसील भरतपुर में है।

(२) नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) हां। हां, यह टिनेन्सी एक्ट के अनुसार ही है। अतएव नीलामी न करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

विजयनगर शुगर मिल्स लिमिटेड को ऋण प्रदान किया जाना

१३६७ श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Is it correct that recently a loan of Rs. 5,00,000 has been granted by Rajasthan Finance Corporation to the Vijai Nagar Sugar Mills Ltd. owned by Mr. Raghunath Singh, Mansinghka of Mahadeo Cotton Mills Ltd. Bhilwara ?

(b) Is it also correct that the corporation was unwilling to grant the loan to this industrial concern till the Government of Rajasthan guranteed a repayment of the loan ?

(c) Is it correct that Audit party has taken objection to the loan ?

(d) Is it correct that an amount of Rs. 3,50,000 has already been advanced to the party and the remaining amount of Rs. 1,50,000 could not be advanced as the firm has not yet placed any orders for purchasing Machinery ?

(e) In how many other case the Government has guaranteed the repayment of loans advanced by the Corporation ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखभचन्द धारीवाल) : (a) Yes, Sir.

(b) The Rajasthan Financial Corporation was inclined to grant the loan subject to the guarantee being given by the Government.

(c) Yes, the Objection was raised after the loan was sanctioned.

(d) Yes, Sir.

(e) None else,

Page No.16

श्री पी० के० चौधरी : क्या वजह थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने गारन्टी लॉन को वापिस देने का कहा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मिल के आस-पास गांवों में गन्ना पड़ा हुआ था, उसको पेलने का प्रबंध करना था। इसलिये उनको बुला कर सरकार ने कहा कि मिल को चालू करें।

श्री पी० के० चौधरी : कोर्पोरेशन के पास उनका क्या सामान गिरवी रखा हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसकी कुल जायदाद मोर्टगेज़ है।

श्री पी० के० चौधरी : कुल जायदाद कितनी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ८ लाख की है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह स्क्रेप है....

(दो तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगने से सुनाई नहीं दिया जाना)

श्री अध्यक्ष : क्या यह फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन को मोर्टगेज है या गवर्नमेंट को ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन को मोर्टगेज है।

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई सिक्योरिटी राजस्थान सरकार के पास है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन ने कहा कि सारी की सारी अमाउन्ट की सिक्योरिटी राजस्थान सरकार दे तो हम उनको रुपया देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ने गारन्टी दी।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इसलिये ली गई है कि अगर लोस होगा तो हमारी सरकार जिम्मेदार होगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन ने पहले इसकी जांच की थी कि प्रोपर्टी कितनी है। नियमानुसार ५० प्रतिशत की होनी चाहिये। करीब-करीब इतनी प्रोपर्टी थी, इसलिये उनको लोन दिये और गवर्नमेंट से भी कहा कि आप भी गारन्टी कर दीजिये। क्योंकि सरकार को मिल चलानी थी और गांव में गन्ना बहुत पड़ा था, उसको पेलना था; इसलिए गारन्टी दी गई।

श्री श्रीभानसिंह : It is very strange that the property is pledged with the Rjasthan Financial Corporation. What is the security that the Government will get money ? The loan advanced ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They will be realised from the mortgaged property. It is sufficient that there is no likelihood ...

श्री अध्यक्ष : If it was sufficient the Corporation would not have asked for any guarantee and it is therefore the Government asked for a personal security in the matter.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो उनकी प्रोपर्टी थी वह नियमानुसार उतनी होना जरूरी था और फिर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का इन्सीस्टेन्स था, मशीनरी लगायें

Page No.17

(श्री रिखबचंद धारीवाल)

और दूसरी लाकर लगावें और जब गवर्नमेंट इन्सीस्ट करती है और चलाना चाहती थी एवं काश्तकारों का गन्ना पेलना था इसलिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे दी।

डॉ० बहादुरसिंह: फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन कोविश्वास नहीं हुआ, इसीलिए गवर्नमेंट से और सिक्योरिटी ली गई।

श्री अध्यक्ष : Property has been mortgaged to the Government.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की इसमें सिक्योरिटी है। जब फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन ने यह पर्याप्त नहीं समझा कि जो सिक्योरिटी दी गई है वह पर्याप्त है और इसीलिए गवर्नमेंट से सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया, नहीं तो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी के लिए क्यों कहा जाता। उसने गवर्नमेंट को कहा कि आप ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अन्डर-टेकिंग दे दीजिये। गवर्नमेंट ने दे दिया, जब कि गवर्नमेंट के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और जब गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देनी थी तो गवर्नमेंट को यह समझना उचित था कि सिक्योरिटी ली जानी चाहिये। फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन के पास सिक्योरिटी सफिशियेन्ट न होने के कारण ही उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप सिक्योरिटी दीजिये, उसने सिक्योरिटी डिमान्ड की....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Be brief. Don't make a speech. Ask a question if you like.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि चूंकि एग्रीकल्चरिस्ट्स के गन्ने को पेलने का सवाल था, सीजन आ चुका था। उसका फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन ने पहले वेल्यूएशन कराया, एग्रीमेन्ट मौजूद है कि मोर्टगेज हुआ। उनसे रुपया पहले वसूल होगा। चूंकि मिल को चलाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी। मैं समझता हूं कि यह काफी सिक्योर्ड है और डिटेल्ड वेल्यूएशन करा लिया गया and the property is more than sufficient. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पांच लाख रुपया सैंक्शन हुआ। पूरी रकम नहीं दी गई है। ३ लाख, ४५ हजार रुपया दिया गया और बाकी रकम फाइनेन्शियली कॉर्पोरेशन के पास है।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है It is a very unusual procedure that the Government has done.

श्री अध्यक्ष : We are not to debate here. The facts are here.

श्री पी० के० चौधरी : I have not asked even a single supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : If you give opqortunity to cthers, what can be done ?

श्री पी० के० चौधरी : But I was never asked.

प्रश्न संख्या १३६८

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर डूंगरगढ़ सड़क पर निर्माण कार्य का ठेका

१३९६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ जाने वाली सड़क के निर्माण का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया ?

(२) उपरोक्त सड़क किन किन गांवों में से होते हुए जायेगी ?

(३) यह सड़क कब तक बन कर पूर्ण हो जायेगी तथा इसके निर्माण पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में): (१) किसी को नहीं दिया गया है ।

(२) बीकानेर से सागर, रिडमलसर गढ़वाल, नापासर, गुसाईसर, सेरुन, जंजीऊ जोधपुर लालासर होती हुई डूंगरगढ़ जायेगी ।

(३) आशा है तृतीय योजना काल तक अनुमानत: १४ लाख रुपया ।

प्रश्न संख्या १४००

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

राज्य के समस्त विभागों में हिन्दी का प्रयोग

१४०१ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार ने क्या हिन्दी को प्रयोग में लाने के लिये राज्य के समस्त विभागों को कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को किस संख्या से ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : राजस्थान राज्य भाषा अधिनियम १६५२ की धारा ३ के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी का प्रयोग उन सब सरकारी कामों में उस तारीख से किया जाना निश्चित हो चुका है जिसको राज्य सरकार बाद में राज पत्र में प्रकाशित करे व नियत करे । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विभागों में हिन्दी में काम किए जाने के आदेश जारी किये गये ।

१. पंचायत विभाग, मुख्य पंचायत अधिकार के स्तरतक — ऍ. सं. एफ २ (१.५१) जी. ए. ५१

२. नगरपालिकायें, स्थानीय निकाय, संचालक के स्तर तक ।

दिनांक ८. ४. ५४ ।

३. शिक्षा विभाग, विद्यालयों के निरीक्षकों के स्तर तक ,,

४. सहकारी विभाग, रजिस्ट्रार के स्तर तक (शीर्षबैंक के फाइलों के अतिरिक्त) ,,

५. देवस्थान विभाग देवस्थान कमिश्नर के स्तर तक ,,

६. सचिवालय में कानून विभाग का विधान सभा सम्बन्धी उप विभाग ,,

Page No.19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

७. नियुक्ति विभाग, राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश व स्थानान्तर आदि से सम्बद्ध आज्ञायें (१५१) — अधिसूचना संख्या एफ २ जी। खंड ३। ५१. दि० १.१२.५४

८. सचिवालय के राजस्व विभाग की समस्त शाखाओं में, जंगलात जागीर, देव-स्थानादि सहित — वि सं एफ २(१५१) जी. ए ५१ दिनांक १८.६.५५

६. राजस्व विभागाधीनस्थ समस्त कार्य-लयों में, राजस्व मंडल की अदालती कार्य-वाही के अतिरिक्त ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : क्या सरकार के इन आदेशों का पालन हो रहा हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां । इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

डूंगरपुर से सांथुना सड़क का निर्माण

१४०२ **श्री बालमुकुन्द** (डूंगरपुर) : क्या सार्वजिनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डूंगरपुर से साथुना रोड का कार्य कब आरम्भ हुआ और किस किस साल में कितने कितने मील सड़क बनाई गई ।

(२) अब तक इस सड़क का कार्य पूर्ण नहीं करने का क्या कारण हैं

(३) क्या यह सही हैं कि सन् १६५३ से इस सड़क की मंजूरशुदा रकम लैप्स हो रही है ।

(४) इस रोड को किस किस गांवों में होते हुए ले जाने की योजना है ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) सन् १६५५-५६ में आरम्भ हुआ एवं १६५५-५६ से ५७-५८ तक ५ मील सड़क बनी तथा ५८-५६ में लगभग ५ मील मिट्टी का काम हुआ ।

(२) योजनानुसार कार्य हो रहा है ।

(३) यह सही नहीं हैं ।

(४) भेड़दा, कारावाड़ा, भमोला, सिमल-वाड़ा व पीठ होते हुए साथुना तक बनाने की योजना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल

सवाई माधोपुर जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों की स्थापना

१४०३ **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

सवाई माधोपुर जिले की ऐसी कौनसी तहसील हैडक्वार्टर है जहां अभी तक हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल नही है और वहां अभी तक उक्त स्कूल क्यों नही खोले गये ? अन्य दूसरे स्थानों को क्यों और किस स्थिति में प्राथमिकता दी गई है ! वामनवास तथा नादोती में कब तक हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिये जावेंगे ? इस वर्ष कहां कहा पर भिन्न भिन्न जिलों में उक्त स्कूल खोले गये हैं और किस किस स्थिति को ध्यान में रखकर खोले गये हैं !

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) नादोती (२) वामनवास (३) सपोटरा यहां

(श्री पूनमचंद बिश्नोई)

शाला के लिये भवन व राज्य सरकार द्वारा रखी गई शर्तों की पूर्ति जनता द्वारा नहीं की गई ! अन्य स्थानों पर शाला भवन का प्रबन्ध एवं जनता द्वारा राजकीय शर्तों की पूर्ति पर ही उच्च या उच्चतर शालायें खोली गई हैं ।

इस वर्ष महवा व पावटा ग्राम में हायर सेकेन्डरी स्कूल राज्य द्वारा रखी गई शर्तों को जनता द्वारा पूरा कर देने पर खोले गये हैं ।

श्री **रिद्धीचंद पल्लीवाल** : क्या वहा अब स्कूल खुलेगा या नहीं ।

श्री **पूनमचंद बिश्नोई** : इसका मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जयचंद मोहिल ।

राशमी थानेदार के खिलाफ रिश्वत की शिकायत

१४०४ श्री **रामचन्द** (श्री जयचंद मोहिल की अनुपस्थिति) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चितौडगढ़ ज़िले के राशमी थानेदार के खिलाफ गनेशपुरा ग्राम (डिंडोली का खेड़ा) के किसी जाट किसान ने १०० रु० रिश्वत लेने की शिकायत की है यदि हां तो किस तारीख को ?

(ख) उक्त जाट और थानेदार का क्या क्या नाम है ?

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हो पाई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां । तारीख २. ८. ५८ ।

(ख) श्री गोपी वल्द ओंकार जाट शिकायत करते हैं एवं सब इन्सपेक्टर श्री देवीलाल स्टेशन हाउस ऑफिसर राशमी है ।

(ग) मामले की जांच की गई और आक्षेप झूठे साबित होने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चितौड़गढ़ ने कागजात फाइल कर दिये ।

(घ) जी नही ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह ।

माउन्ट आबू पर मकानों की कमी

१४०५. श्री **दलपतसिंह** (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि मांउन्ट आबू पर यात्रियों के ठहरने के लिए मकानों की बहुत कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठा रही है ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में) : जी हां । सरकारी भवनों में एडीशन व आल्ट्रेशन करके ठहरने की सुविधा बढ़ाई जा रही है ।

श्री **दलपतसिंह** : क्या यह सही है कि सरकार के पास में कई हाऊसेज हैं, कोटा हाउस, धौलपुर हाउस आदि, जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है पब्लिक के लिए, डाक बंगले बना रखे हैं ताकि पब्लिक उनमें जाकर ठहर सके, क्या राजस्थान सरकार भी वैसा ही प्रबन्ध करेगी ?

Page No.21

श्री दामोदरलाल व्यास : एक लाख रुपया मंजूर किया है और अलवर हाऊस आदि में यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था एवं सुविधा दी गई है। इसी प्रकार से युवक हाउस होस्टल में भी यात्रियों को ठहराने की सुविधा दी गई।

श्री दलपतसिंह : जनरली माउन्ट आबू पर जो टूरिस्ट्स आते हैं, उनको ठहरने की सुविधा नहीं मिलती।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये जितने हाउसेज हैं उनको एडीशन्स एल्ट्रेशन्स करके डाक बंगलों में कर दिया गया है। वहां टूरिस्ट्स ठहर सकते हैं।

श्री दलपतसिंह : वहां तो गवर्नमेंट आथोरिटीज ठहर जाते हैं और टूरिस्ट्स को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती। उनके लिए एक अलग डाक बंगले रखना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : सारे डाक बंगले गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स द्वारा रूके हुए नहीं रहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मशालायें और दूसरी व्यवस्था चली आ रही हैं, वह है। दूसरी जो व्यवस्था है उसमें चार्जेज ज्यादा लग सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): फोरिन टूरिस्ट्स आते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिलती। धर्मशालाओं में वे ठहर नहीं सकते। दूसरी जगह गवर्नमेंट मीटिंग करती, गर्मियों में क्या सरकार उन लोगों को ठहरने की अच्छी फेसिलिटीज देने के लिए तैयार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने बताया। अलवर हाउस है, यूथ हाउस है, कुछ कोटेज आदि हैं। वे वहां भी ठहर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पुराने जो रेस्ट हाऊसेज हैं, उनमें अमेरिकन टूरिस्ट ठहराना पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनका स्टेन्डर्ड ऊंचा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां का सर्किट हाउस बहुत अच्छा फर्नीश्ड है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सरकार वहां जो पेलेसेज हैं, उनको एक्वायर करके उनको वेल फर्नीश्ड करने का इरादा रखती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नही।

सरकारी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की मनाही

१४०६. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या सही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों व टेक्निकल कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने की मनाही नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने अपनी आज्ञाओं द्वारा फिर भी ऐसे कुछ सरकारी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा देने से वंचित कर दिया है ?

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अनूपसिंह : क्या यह सरकारी नीति नहीं है कि टेक्निकल कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की दूसरी शिक्षाओं में इम्तिहान देने की सुविधा दी जाय ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : जी नहीं।

गडरिया महिला के साथ भदेसर थाना के थानेदार द्वारा बलात्कार

१ ०७ **श्री जयचन्द मोहिल**(कपानन सु.) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ जिला की भदेसर तहसील के आकोला ग्राम की किसी गडरिया महिला ने भदेसर थाना के थानेदार द्वारा अपने साथ बलात्कार करने की डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस निम्बाहेड़ा के पास शिकायत की थी ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ख) इस शिकायतकर्ता महिला का व उक्त थानेदार का क्या नाम है ?

गृह मंत्री : (श्री रामकिशोर व्यास) (१) जी हां, तारीख ५-७-५७ का।

(२) मुसम्मात प्यारी व सब-इन्स्पेक्टर श्री मुकटराम।

श्री रामचन्द्र : क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी।

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट भी दर्ज की गयी, जुर्म भी रजिस्टर किया है।

श्री रामचन्द्र(डग):क्या उसका चालान किया गया ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : एवीडेन्स कोई प्रोड्यूस नहीं की गई।

श्री रामचन्द्र : थानेदार पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत में जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसमें शहादत का अभाव था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : थाने में जबरिपोर्ट है तो डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सबूत होवे तो लेवें।

राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल, जोधपुर

१४०८. **श्री सूरजमल** (फलोदी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल, जोधपुर में कुल कितनी छात्रायें व अध्यापिकायें हैं ?

(२) इनमें से कितनी छात्रायें व अध्यापिकायें बस में आती जाती हैं ?

(३) राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल के लिये कितनी कितनी सीटों की कुल कितनी बसें कितने कितने ट्रिप करके काम में आती हैं खराबी की वजह से कितनी बन्द पड़ी रहती हैं ?

(४) एक बस में एक ट्रिप में कुल कितनी छात्राओं को बिठाया जाता है ?

(५) क्या यह सही है कि एक ३५ से ४० सीट वाली बस में एक ट्रिप में कम से कम १०० छात्राओं को लेजाया व लाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार और नई बसों की व्यवस्था करने का कोई इरादा रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (१). ५१३ छात्रायें व २५ अध्यापिकायें हैं।

(श्री पूनमचंद बिश्नोई)

(२) २६६ छात्रायें व १३ अध्यापिकायें ।

(३) इस समय तीन बसें काम में आ रही हैं, जिनमें २ बसें ४५ सीट की तथा तीसरी बस ३५ सीट की है। प्रत्येक बस दे ट्रिप करती है। एक बस बन्द पड़ी है।

(४) करीब ५० या ५५ छात्राओं को।

(५) जी नहीं।

गंगापुर में बिजली लगाने का आश्वासन

१४०६. श्री **रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

क्या यह सही है कि गंगापुर में बिजली सन् १९५८ दिसम्बर तक लगाने का आश्वाशन था, लेकिन अभी तक तार तक नहीं खींचे गये हैं ? गंगापुर सिटी में बिजली कब तक लग जावेगी, तथा इस देरी का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): इस प्रश्न को उत्तर १८।१२।५८ का दिया जा चुका है।

सरकारी मिडिल स्कूल गुढा गौडजी (झुंझुनू)

१४१०. श्री **शिवनाथसिंह** (गुढा : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकारी मिडिल स्कूल, गुढ़ा गौड़ जी, जिला झुंझुनु में छात्रों की संख्या हर कक्षा में अलग अलग कितनी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गुढ़ा गौडजी के आसपास पन्द्रह मील की दूरी तक कोई भी हाई स्कूल अथवा सेकेन्ड्री हाई स्कूल नहीं हैं ? यदि कोई है, तो किस स्थान पर तथा कितनी दूरी पर ?

(३) गुढ़ा गौडजी की आबादी तथा छात्र संख्या को देखते हुए तथा आसपास नजदीक में किसी हाई स्कूल अथवा सेकेन्ड्री हाई स्कूल न होने के कारण क्या सरकार यहां पर सेकेन्ड्री हाई स्कूल खोलना उचित समझती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

१. कक्षावार संख्या इस प्रकार है :

कक्षा	छात्रसंख्या
१.	१५
२.	२०
३.	३४
४.	२६
५.	३६
६.	७०
७.	५५
८.	३६

कुल टोटल २८८ छात्र हैं।

२. नीचे लिखे स्थानों पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल १४ मील की दूरी पर, विभिन्न दिशाओं में चल रहे है।

१. राजकीय हाई स्कूल, उदयपुर

(श्री पूनमचंद बिश्नोई)

२. राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल, छपोली

३. शिवदत्तराय-हाई स्कूल, बड़ा गांव

४. ग्रामीणों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राजकीय नियमों को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार विचार करेगी कि प्राथमिकता किस स्थान को दी जावें।

श्री शिवनाथसिंह : ऐसा कौन सा नियम है जिसके अनुसार आप प्राथमिकता देते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहुत से स्कूल होते हैं, लेकिन उनमें किस किस में इस प्रकार के स्कूल खोलने की सुविधा है, यह देखा जाता है।

श्री शिवनाथसिंह : भवन की सुविधा होने पर क्या सरकार खोलने के लिये तैयार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरे स्कूलों के मुकाबले उसका क्या चान्स है, यह भी देखना पड़ता है !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १४११.

उप कृषि मंत्री श्री (दौलतराम सारण): चूंकि प्रश्न कृषि विभाग से संबन्धित नहीं है, इसलिये यह विभाग इसका उत्तर देने में असमर्थ है।

राजकीय स्कूल, छोटी सादडी

१४१२. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिन) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादड़ी कस्बे में कोई राजकीय स्कूल है, यदि हां, तो उसमें कहां तक शिक्षा दी जाती है ? इस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी और मास्टर है।

(२) चित्तौड़गढ़ जिले में कहां कहां हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोली गई व कहां कहां हाई स्कूल हैं ?

(३) इस कस्बे के और तहसील के राजकीय मिडिल पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये क्या साधन है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

१. जी हां,।

२. निम्न लिखित स्थान पर हायर सेकेन्ड्री स्कूल है :-

प्रतापगढ़, : लड़कियों के लिये : २ चित्तौड़गढ़। ३. डूंगला। ४. भदेसर

५. प्रतापगढ़।

निम्न लिखित स्थान पर हाई स्कूल हैं।

१. बड़ी सादड़ी (२) कपासिन (३)निम्बाहेड़ा। (४) बैगूं। (५) जैन हाई स्कूल, छोटी सादडी, सहायता प्राप्त।

३. छोटी सादड़ी में जैन गुरूकुल गोदावत हाई स्कूल एक सहायता प्राप्त स्कूल हैं। बड़ी सादड़ी में जो करीब १४ मील है एक सरकारी हाई स्कूल है तथा नीमच जो १० मील है एक इन्टर कॉलेज है। इस प्रकार सुविधा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

राजस्थान सचिवालय में शीघ्रलिपि प्रशिक्षण

१४१३. **डॉ० बहादुरसिंह**) श्री मनोहर कोठारी की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(डॉ० बहादुरसिंह)

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सचिवालय में शीघ्रलिपि प्रशिक्षण की कक्षाएं लगती हैं ?

(ख) यदि हां, तो उक्त कक्षायें कब से प्रारम्भ की गई और अब तक उसमें कितने कर्मचारी प्रशिक्षित हुए ?

(ग) उक्त प्रशिक्षण में अब तक कुल कितना व्यय हुआ ?

(घ) उक्त प्रशिक्षण में किस पद्धति (सिस्टम) को मान्य कर रखा है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सचिवालय में जो पद्धति चलती है उसके प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) १६-८-५६ से और अब तक इनमें २५८ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ग) ४०५३६.८५ नये पैसे।

(घ) किसी विशेष पद्धति को नहीं। वर्तमान में सचिवालय में ऋषि एवं जैन प्रणाली से प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) शिक्षा विभाग ने कालेजों में ऋषि प्रणाली को मान्यता दे रखी है, एवं जैन प्रणाली को मान्यता देने के प्रश्न पर माध्यमिक शिक्षा मंडल विचार कर रहा है।

श्री शंकरलाल : (रायपुर) क्या यह शिक्षण अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हिन्दी भाषा का प्रश्न है।

विद्युत शक्ति

१४१४ **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बिलाड़ा, सोजत व सुमेरपुर में कब तक विद्युत शक्ति दे दी जावेगी ?

(२) उक्त क्षेत्र को बिजली मिलने में इतनी देर होने का क्या कारण है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५९ तक।

(२) सामान की कमी।

बांता बहुधन्धी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन

१४१५ **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बांता बहुधन्धी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और कितनी धन-राशि ऋण के रूप में कब मिली ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति के रजिस्ट्रेशन कागजात सहायक निरीक्षक सहकारी समितियां खारची ने नकशा हैसियत तसदीक हेतु जनवरी, ५८ में पटवारी बांता के पास भेजे थे, वे अब भी वहां पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पटवारी की शिकायत होने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव

प्रश्न संख्या १४१६

श्री हरिप्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित)

श्री एस० एन० राय, निरीक्षक द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

१४१७. **श्री गोवर्धनसिंह केन**(बयाना): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५६ में श्री एस० एन० राय, निरीक्षक हाथ कर्घा के पद पर कार्य करते थे ?

(२) क्या उक्त निरीक्षक ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध जांच किनके द्वारा की जा रही है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां।

(२) इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या इनको स्पेंड कर दिया गया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

वानियावास बांध का सर्वे

१४१८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली तहसील में कौन कौन सी लघु सिंचाई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और वे कब तक पूर्ण की जायेंगी ?

(२) क्या वानियावास बांध का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या सरकार यह योजना अगले वर्ष तक पूरी कर लेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : (१) पाली तहसील में मनिहारी तालाब की योजना विचाराधीन हैं मंजूरी के बाद शीघ्र उस पर कार्य शुरू कर दिया जायगा।

(२) सर्वेक्षण जारी है।

(३) सर्वेक्षण पूरा होने पर कहा जा सकता है।

हाई स्कूल आबू रोड में कमरों की कमी

१४१६. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आबू रोड हाई स्कूल में छात्रों के लिए कमरों की कमी है ?

(२) यदि हां, तो सरकार कमरों की वृद्धि कब तक करा देगी ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी हां, कुछ कमी जरूर है।

(२) आगामी वर्ष में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

जवाहरात के व्यापार करने वालों की तलाशी, जयपुर

१४२०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री मूलचंद डागा)

(क) क्या जयपुर शहर के जवाहरात का व्यापार करने वालों में किन्हीं की पिछले दो साल में तलाशी ली गई ? यदि हां, तो किन किनकी ?

(ख) क्या उन तलाशियों में कोई माल बरामद हुआ था ? यदि हां, तो किससे और क्या क्या ?

(ग) क्या सरकार ने उन जौहरियों पर कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। सन् १६५७ में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, दिल्ली ने यहां की पुलिस : थाना रामगंज, की सहायता से एक अब्दुल रज्जाक उर्फ अज्जाखां के मकान की तलाशी ली। सन् १६५८ में (१) श्री सादुल्ला खां (२) अब्दुल रहीम (३) अब्दुल समद खां और जहीर खां के मकानों की तलाशी थाना रामगंज द्वारा ली गई।

(ख) जी हां, ७०००० की कीमत के जवाहरात केन्द्रिय गुप्तचर विभाग, दिल्ली ने अब्दुल रज्जाक के मकान से अपने कब्जे में लिये अन्य व्यक्तियां से निम्नलिखित जवाहरात बरामद किये गये :

१. सादुल खां के मकान से बरामद शुदा जवाहरात :
 १. मम्मूर दो थैलों में ७ सेर १ छटांक।
 २. पन्ना की खार लगभग ११ छटांक।
 ३. ताम्बा और कांच ३।।, ६।। व १०।। सेर।
 ४. मानक की खंड़ ४८ तोला।
 ५. खड़ इमीटेशन २६।।। तोला
 ६. नगीना जाट इमीटेशन भिन्न रंगों के।
 ७. मानक की खड़ लाल।
 ८. नगीना जाट इमीटेशन कई रंगों में।
 ६. इमीटेशन जिस पर चपड़ी लगाई जाती है।
 १०. मानक की खड़ लाल।
 ११. तैयार इमीटेशन।
 १२. इमीटेशन खड।

२. अब्दुल समद के मकान से बरामदशुदा जवाहरात :
 १. पन्ना की खार ३८ तोला।
 २. संकी डिब्बिया।

३. अब्दुल रहीम के मकान से बरामद :
 १. पन्ना की खड़ १५।। तोला।
 २. मानक की खड़ २५ तोला।
 ३. इमीटेशन नगीना २।

४. जहीर खां के मकान से बरामद :
 १. पन्ना की खड़ ३.१ तोला।
 २. नीलम की खड़ ५.३ तोला।
 ३. खार माणक की ६७ तोला।
 ४. माणक की खड़ ८ तोला।
 ५. माणक की खड़ १० तोला।
 ६. माणक की खड़ ७ तोला।
 ७. माणक की खड़ १८ तोला।
 ८. पन्ना की खड़ ४ पुडिया और २८।। तोला।

Page No.28

(श्री रामकिशोर व्यास)

९. ताम्बा की पुरन ११ तोला।

१०. माणक की खार ३॥। तोला।

११. माणक की रजी १६ पुड़िया।

१२. माणक की खार : पुरन : १३ पुड़िया।

१३. पन्ना और माणक का कचरा ४॥। तोला।

१४. ताम्बा का कचरा ४ तोला।

१५. पीपा का दाना ४ तोला।

१६. पन्ना का नाग।

१७. नील का कचरा १। तोला।

(ग) चूंकि जांच से उन चार व्यक्तियों जिनके मकान की तलाशी सन् १९५८ में ली गई थी के विरुद्ध गैर कानूनी कुछ नहीं पाया गया इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह इस विभाग को मालुम नहीं है कि अब्दुल रजाक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई क्योंकि गुप्तचर विभाग दिल्ली ने कोई दस्तावेज यहां नहीं छोड़े ?

आबू रोड के पास सीमेन्ट फैक्टरी की योजना

१४२१. **श्री दलपतसिंह (आबू) :** क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

श्री मूलचन्द डागा : जिनसे माल बरामद किया था क्या इनका माल लौटा दिया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां लौटा दिया गया है।

(क) क्या यह सही है कि किवरली ग्राम, तहसील आबूरोड के पास सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने की योजना थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस फैक्टरी का कार्य अक्टूबर, १९५८ तक चालू होने को था ?

(ग) यदि हां, तो अभी तक कार्य शुरु न होने का क्या कारण है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) : (क) जी हां।

(ख) कोई निश्चित अवधि नहीं थी।

(ग) इस कार्य के शुरु होने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि सीमेन्ट में काफी वृद्धि हुई है।

प्रश्न संख्या १४२२.

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४२३

श्री लादूराम सुलाणियां।

(अनुपस्थित)

श्री लालूराम हटवाडिया।

गवर्नमेंट ईन्टर कॉलेज, टौंक को डिग्री कॉलेज में परिवर्तन किया जाना

१४२४. **श्री लालूराम टाटावत (टोंकसु):** क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, टौंक को डिग्री कॉलेज में परिवर्तन करने की योजना है ? यदि है, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित की जायेगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश-

(श्री पूनमचंद बिश्नोई)

नोई) : जी नहीं, इस प्रकार के दूसरे कॉलेजों के साथ इस पर विचार किया जावेगा ।

कोटा डिविजन में नई मंडियों का निर्माण

१४४५. **श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया** (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कोटा डिवीजन में चल रही सिंचाई योजना (चम्बल आदि) को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में नई मंडियों के निर्माण व पुरानी मंडियों के नव निर्माण के लिये विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित योजना में नई मण्डियां किन-किन स्थानों पर निर्मित की जायेंगी ।

(ग) इन मण्डियों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा घोषणा कब होगी ? क्या इसके लिये किन्हीं समितियों का गठन होगा ?

(घ) सरकार द्वारा अब तक किये गये कार्य में क्या प्रगति हो पाई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) १३ स्थानों पर, कोटा, पाड़ीलका भंवरा, अन्ता, बारां, मांगरोल, इटावा, इन्द्रगढ़, बूंदीरोड, कापरेन, लवान, बूंदी, तालेड़ा ।

(ग) और

(घ) समिति स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती सतवन्तकौर : कब तक विचाराधीन रहेगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष श्री मोतीबाबा चौधरी ।

रानी खुर्द (तहसील देसूरी) में हाई स्कूल की स्थापना

१४२६. **श्री मोती बाबा चौधरी** (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार अगले वर्ष रानी खुर्द (तहसील देसूरी) में हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां ।

श्री मोती बाबा : कब तक ? अगले साल तक या उससे अगले साल तक ?

श्री अध्यक्ष : और उससे अगले साल तक ।

(हंसी)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अगले साल तक ही खोल देंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने पूछा हाई स्कूल खोलने का विचार सरकार रखती है या नहीं, मैंने जबाव दिया जी हां । अब और क्या कह सकता हूं । अभी सरकार विचार तो रखती है, फिर क्या पता, पूरा नहीं हो सके विचार ।

चर्म उत्पादक सहकारी समिति, सुजानगढ़ का रजिट्रेशन

१४२७. **कुमारी शन्नो देवी** (सुजान-

Page No.30

(कुमारी शन्नोदेवी)

गढ़) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) चर्म उत्पादक सहकारी समिति, सुजानगढ़ व चमड़ा उत्पादक सहकारी समिति सुजानगढ़ का रजिस्ट्रेशन किस साल में किया गया ?

(ख) क्या इन समितियों को लोन मिल चुका है ?

(ग) यदि हां, तो कितना-कितना लोन मिला ?

(घ) यदि नहीं, तो अब तक लोन न दिये जाने का क्या कारण हैं ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

लॉ कॉलेज में शिक्षण के लिये राज्य कर्मचारियों को अनुमति

१४२८. **श्रीलक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि लॉ कॉलेज का जो समय है, उस वक्त में कोई भी ऑफिस का समय नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कर्मचारियों को लॉ में एपीयर होने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । यह देखा गया है कि राज्य कर्मचारियों के अध्ययन से राज्य कार्य में बाधा पहुँचती है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के ध्यान में है कि भारत सरकार के अन्तर्गत चलने वाले विभागों के कर्मचारियों को आज भी यह फेसिलिटी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या फिर भारत सरकार के काम में बाधा नहीं पहुंचती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह उनके विचारने का प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यहां की एजुकेशन कम होने के कारण क्या अब आप ऐसी फेसिलिटी देने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एजुकेशन के विस्तार के लिए और कार्यवाहियां की जाती हैं । पर इसको उचित नहीं समझा गया ।

श्री रामकरणसिंह : मेरा एक प्रश्न है १३८४ जो बहुत जरूरी है उसे अब ले लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है ।

श्री रामकरणसिंह : बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप जरूरी समझते हैं तो समय पर आना चाहिये था ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बर्खास्तशुदा कर्मचारियों की सहायता

(१) **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) :

(श्री गिरधारीलाल)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोई बर्खास्तशुदा कर्मचारी जिला बोर्ड का मेम्बर बन सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जिला बोर्ड का एक सदस्य रिश्वत के अपराध में बर्खास्तशुदा है ?

उत्तर

(१) राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम १६५४ के क्लॉज बी, सब-सेक्शन २, सेक्शन १३ के अन्तर्गगत वह व्यक्ति जो राज्य सरकार की सेवाओं से डिसमिस कर दिया हो और भविष्य में भी राज्य सेवाओं में पुन: नियुक्ति से वंचित कर दिया गया हो जिला बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता है ।

(२) जी हां, श्री रामनारायण, सदस्य जिला बोर्ड, बीकानेर बर्खास्तशुदा हैं परन्तु वे राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम १६५४ की क्लॉज बी, सब-सेक्शन २, सेक्शन १३ की परिधि में नहीं आते हैं क्योंकि वे राज्य सरकार की सेवाओं में पुन: नियुक्त से वंचित नहीं किये गये हैं ।

फोरेस्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी

(२) **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में फोरेस्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहां कहां और कौन कौन सी हैं ? इनका रजिस्ट्रेशन कबकब हुआ है ?

(२) इन सोसाइटीज़ की मैनेजिंग कमेटी में सरकार द्वारा किन किन को मन्त्री पद पर नियुक्त किया हुआ है ?

(३) इनमें से कौन कौन सी सोसाइटी को कौन कौन से कितने कितने फोरेस्ट कूप्स दिये हुए हैं और कौन कौन सी तारीख से ?

(४) इन सोसाइटीज़ ने किस किस तारीख से इन कूप्स में काम चालू किया है ?

(५) इन कूप्स की क्या क्या कीमत रखी हुई है ? क्या यह सही है कि सोसाइटीज को देने से पहिले इन कूप्स में से कई कूप्स को सार्वजनिक नीलाम किया गया था ? यदि हां, तो इनकी क्या क्या कीमत लगी थी ?

(६) क्या यह सही है कि कई सोसाइटीज को उनके रजिस्ट्रेशन के पहले ही कूप्स दे दिये गये ? यदि हां, तो क्यों और किसके द्वारा ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) सरकार मन्त्री पद पर नियुक्ति नहीं करती । वह तो को ऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा होती है ।

(३) संलग्न सूची में अंकित है ।

(४) इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(५) कीमत संलग्न सूची में अंकित है । किसी कूप को नीलाम करने के बाद सोसाइटी को नहीं दिया । कीमत लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(६) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अस्पतालों में रोगशय्याओं की वृद्धि

(३) **श्री भीमसेन** लूणकरणसर : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी रोगशय्याएं बढ़ाने का प्रावधान है ?

(२) उक्त रोगशय्याएं अब तक कहां व कितनी कितनी बढ़ाई गई तथा उनके लिए कहां कहां कितनी राशि भवन तथा साज सज्जा में खर्च की जा चुकी है ?

(३) प्रथम पंचवर्षीय योजना में डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर स्थित किन किन अस्पतालों में कितनी कितनी रोगशय्याएं बढ़ाई गई तथा उनके लिये भवन निर्माण एवं साज-सज्जा में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? कृपया पंचवर्षीय योजना तथा राजकीय बजट से होने वाले खर्च का अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) बीकानेर स्थित एसोशियेटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में उपरोक्त काल में कितनी शय्याएं बढ़ाई गई तथा उक्त सम्बन्ध में कितना खर्चा किया गया ?

(५) क्या सरकार उक्त अस्पताल में मेन्टल लेपरोसी तथा छूत के रोगियों की भर्ती के लिये रोगशय्याएं बढ़ाने का विचार रखती है ।

(६) मेटर्निटी तथा टी० बी० के रोगियों के लिए कितनी और शय्याओं की आवश्यता है तथा उसकी पूर्ति हेतु सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,१७१ रोगशैय्याएं बढ़ाने का विचार है ।

(२) अब निम्नलिखित स्थानों में ४६६ रोगशय्याएं बढ़ाई गई हैं :

नागौर	२०	गंगानगर	४०
जालौर	३४	भीलवाड़ा	२०
बांसवाड़ा	४०	बाडमेर	२०
प्रतापगढ़	२०	बीकानेर	२५
उदयपुर	८०	कोटा	७०
अलवर	२०	भरतपुर	२०
टौंक	२०	झालावाड़	२०
डूंगरपुर	२०		

साज सज्जा तथा भवन आदि पर अब तक क्रमशः ७,२४,४५४ व ८,३१,००० रुपये व्यय हुये हैं । इनका डिस्ट्रिक्टवाइज अलग अलग ब्यौरा उपलब्ध नही है ।

(३) कहीं नहीं ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(५) फिलहाल कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(६) आवश्यकता तो प्रतीत होती परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले उन्हीं स्थानों पर रोगशय्याएं बढ़ाई जा रही हैं जहां इनकी अत्यधिक आवश्यकता है । टी० बी० के बीमारों के लिए एक टी० बी० क्लीनिक की स्थापना बीकानेर में की जा चुकी है, जिसमें कि रोगशय्याएं ६ हैं ।

Page No.33

बीकानेर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्माण कार्य

(४) श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या सार्वजनिक निर्माण - मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बीकानेर की ओर इस समय कौन-कौन से निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

(२) इनमें से कितने सरकारी स्तर पर व कितने ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं ?

(३) ठेकेदारों द्वारा कराये जाने वाले कौन-कौन से हैं व किन ठेकेदारों को कितने-कितने रुपयों में ठेका दिया गया है ?

(४) क्या इन सारे ठेकों के बाकायदा टेन्डर मांगे गये थे ?

(५) ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिन्होंने शर्तों के अनुसार काम नहीं किया ?

उत्तर

(१) सूची प्रस्तुत है ।

(२) इस समय जो कार्य हो रहे हैं, वे सब ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे हैं ।

(३ सूची उत्तर सं० १ के अनुसार ।

(४) जी हां....।

(५) सभी ठेकेदार शर्तों के अनुसार ही कार्य करते हैं सिवाय इसके कि किन्हीं की मियाद उनके अलग-अलग कारणों पर बढ़ाई जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

१२. ७ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि मोघजी भाई ने दिनांक १-१२-५८ से २०-१२-५८ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे । आज्ञा दी जाती है ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

विधायी कार्य

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a Poiet of order, Sir. हमारे स्थगन प्रस्ताव २ थे ।

श्री अध्यक्ष : उन पर विचार किया जा रहा है । जानकारी प्राप्त की जा रही है । प्राप्त होने के बाद आपको सूचित कर दिया जावेगा ।

श्री गिरधारीलाल : आज तो हाउस एडजोर्न होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत लेट दिया । हम इसके बारे में सरकार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसके बाद ही कोई निर्णय दिया जा सकता है ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने टाइम पर दिया है । मैंने सवा दस बजे दिया है । सभा की कार्यवाही शुरू होने से

(श्री गिरधारीलाल)

पहले दिया है। इस पर जल्दी निर्णय होना चाहिये, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : यही तो तय करना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं और यह भी आखिर सरकार से जानकारी आने पर ही तो तय कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल : सरकार को फेडरेशन की ओर से जानकारी दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैंने बता दिया कि इसके बारे में निर्णय बाद में दिया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल : तो क्या आज जानकारी दे दी जावेगी। क्या मैं यह समझ सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब सदन आज एडजोर्न हो रहा है तो इस पर निर्णय आज ही हो जाय तो अच्छा है। यह आम लोगों से सम्बन्धित मसला है। यह मांग आगे जाकर आम लोगों को तकलीफ दे, इसलिये एडजोर्न मोशन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। बिजली के कर्मचारियों का जैसा प्रश्न यह है, इसमें कई वैधानिक प्रश्न आवेंगे कि बोर्ड बनने के बाद सरकार के लिये उनकी मांगें किस हद तक लाजिमी हैं। यह सारी जानकारी हम ले रहे हैं। जानकारी लेने के बाद ही तो आखिर कोई निर्णय दिया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल : इस विषय पर भूख हड़ताल भी कर रखी है। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा और आपकी ओर से व्यवस्था चाहूँगा कि सरकार इसका रिप्लाई कब देगी।

श्री तनसिंह : सरकार से स्टेटमेन्ट दिलवा दिया जावे साहब।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट की बात है या नहीं, उपयोगी समझेंगे तो देंगे। इसमें हमें जो जानकारी लेनी है उसमें तो आखिर समय लगेगा ही। आपने एक ने तो ११ बजे के बाद नोटिस दिया है।

श्री गिरधारीलाल : मैंने पहले दिया है।

श्री अध्यक्ष : घन्टे भर पहले भी दें तो उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ती है। सब तथ्य जब सामने आवेंगे तब निर्णय दे दिया जावेगा। इस पर बहस नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल : बहस नहीं करना चाहते, पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण तो आना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा और सरकार ने सुन लिया और उन्होंने जो कहा आपने सुन लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में स्टेट का पॉवर हाउस बन्द कर दिया। भूख हड़ताल पर हैं। कल को अगर कोई बेचारा मर जावे तो........

श्री अध्यक्ष : सम्भावनाओं पर नहीं चला जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : भूख हड़ताल हो रही है.......

श्री अध्यक्ष : निर्णय देने से पहले पूरी जानकारी जरूरी है। यह मेरी व्यवस्था है।

Page No.35

श्री मुरलीधर व्यास : हाउस एडजोर्न होने तक यह जानकारी आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस पहले दे सकते थे। हड़ताल पहले से ही चल रही है। अगर आप इसको इतना जरूरी समझते हैं तो पहले लाते। काफी दिन से सदन चल रहा है। आप आखिरी टाइम पर तो लाते हैं और फिर जल्दी करना चाहते हैं। जब आपको जानकारी होती है तभी ऐसे सवाल लाये जाने चाहिये।

श्री गिरधारीलाल : जब जानकारी होती है तभी तो देते हैं। आज ही जानकारी मिली, और आज ही पेश कर दिया। इसमें हमने देरी नहीं की। फिर अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रोसीज़र के रूल्स भी हैं कि इसका जवाब उसी दिन मिलना चाहिये। इसलिये आप आज ही कोई निर्णय दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पर रूल्स में यह कहीं नहीं है कि बगैर जानकारी प्राप्त किये उसी वक्त फैसला दे दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल : पर हाउस एडजोर्न हो रहा है, फिर तो लाने का मतलब ही नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : पर जानकारी तो लेना जरूरी है पहले।

श्री मुरलीधर व्यास : हड़ताल दो दिनों से चल रही है और सरकार इससे पूरी तरह परिचित है। इसके बारे में सरकार संक्षेप में भी कह दे कि इस मामले में यहां तक हम पहुंच चुके हैं। उनको तो कोई नई जानकारी करनी नहीं है। जानकारी उनको है।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि फेडरेशन की ओर से अल्टीमेटम दिया जा चुका है, इसलिये इसके फलस्वरूप जो नई परिस्थिति पैदा होने की बात आप कहते हैं तो उस पर तो जानकारी हमें लेनी ही है। उसके बिना निर्णय देना कठिन है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़ा होने पर)

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : मैंने आपके रूलिंग के खिलाफ में....On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no point of of order, Sir. आप कृपया बैठ जावें।

श्री गिरधारीलाल : मैं इसको बहुत ही जरूरी समझता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : एक पांच मिनट का मामला है! सरकार को इससे अधिक नहीं लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का सवाल नहीं है। मैंने दसों बार बता दिया कि इसमें जानकारी हासिल करने की जरूरत है। मैंने बात कर ली। आपका पत्र सरकार के पास भेज दिया है। उनको भी आज की परिस्थिति में जानकारी लेनी है और आप समझते हैं इसमें समय तो लगता ही है।

श्री मुरलीधर : क्या जानकारी करनी है। सरकार को सारी जानकारी पूरी पूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर बहस करना नहीं चाहता। मैंने मेरी व्यवस्था दे दी है।

श्री गिरधारीलाल : नहीं तो फिर हम वाक आउट करना चाहते हैं आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में। यह बहुत अह विषय है। सरकार की ओर से जवाब देने की स्थिति में होते हुए भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर आपको तुरन्त जवाब दिलाना चाहिये।

१२. ६ म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

जनसेवा आयोग का प्रतिवेदन तथा १६५५ १ अप्रेल से ३१ मार्च १६५६ तक का मेमोरेन्डम

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं राजस्थान के जन सेवा आयोग के छठे प्रतिवेदन...

श्री गिरधारीलाल : कोई जवाब नहीं नहीं दिया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : दिनांक १ अप्रेल, १६५५ से ३१ मार्च १६५६ तक मेमोरेन्डम सहित सदन की की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

(इसी समय श्री गिरधारीलाल ने सदन से वाक आँउट किया)

राजस्थान राज्य के विनियोग लेखा १ नवम्बर ५६ से ३१ मार्च ५७ तक तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५८

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री वित्त विभाग) : राजस्थान राज्य के विनियोग लेखा १ नवम्बर, १६५६ से ३१ मार्च, १६५७ तक तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५८ को मैं सदन की मेज पर रखता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

राजस्थान राज्य के वित्त लेखा (१ नवम्बर ५६ से ३१ मार्च ५७ तक तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५७

श्री रिखबचन्द धारवाल (उप वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के वित्त लेखा १ नवम्बर, १६५६ से ३१ मार्च, १६५७ तक तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५७ को सदन की मेज पर रखता हूं।

१२.१० म० प०

समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के हेतु समय की वृद्धि

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली से उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक १६ दिसम्बर, १६५८ तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On Point of information, Sir यह उपस्थापन हेतु नियत समय किस तारीख का था। जिस दिन यह खत्म होने का था उस दिन यह आज्ञा क्यों नहीं चाही गई, आज क्यों चाही जा रही है? उस दिन चाही जानी चाहिये थी। यह समय कब तक दिया गया था। क्या यह समय १६ दिसम्बर से पूर्व समाप्त हो गया था? जिस दिन समाप्त हुआ वह कौन सा दिन है, वह

(श्री सतीशचंद अग्रवाल)

बताने की कृपा करें और अगर पहले किसी दिन समाप्त हो गया तो उस दिन क्यों नहीं अनुमति ली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज तो रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट आपके सामने आ रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौन सी तारीख को उपस्थापन करना था ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूँ कि यह मामला कोई खास अवधि का नहीं है। दरअसल बात यह हुई कि वैसे इसके अलावा और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, कई माननीय सदस्य जो इस पर अपना नोट ऑफ डीसेन्ट देना चाहते थे उन्होंने नहीं दिये, इसके लिए उनको कई दफा रिमाइन्ड भी किया, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत देरी से आये। हालांकि रिपोर्ट तो तैयार हो गई थी, और अब चूंकि नोट ऑफ डीसेन्ट भी आ गये हैं और आज ही रिपोर्ट पेश कर दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह जानना चाहता था कि कौन सी तारीख को यह उपस्थापन करना था ?

श्री अध्यक्ष : First week of this session.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारी कार्यवाही शुरू हो गई थी, उसी वजह से रुका हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो उस उपस्थापन की तारीख को पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अवधि बढ़ाई जाये।

(स्वीकृत)

अवधि बढ़ाई गई।

(विराम)

'नवयुग' से सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दैनिक पत्र 'नवयुग' से सम्बन्धित दोनों विशेषाधिकार प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियम समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

प्रवर समिति (नियम) के प्रतिवेदन का, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप सहित, प्रस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य मंत्री) : मैं प्रवर समिति (नियमों) के प्रतिवेदन का राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप सहित उपस्थापन करता हूं।

प्राक्कलन समिति, १६५८-५६ के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (सभापति, प्राक्कलन समिति) अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(१) विद्युत एवं यंत्र विभाग से सम्बन्धित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर अष्टम प्रतिवेदन ।

(२) सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित समिति के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर नवम प्रतिवेदन ।

(३) पुलिस विभाग पर दशम प्रतिवेदन ।

(४) श्रम विभाग से सम्बन्धित समिति के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(५) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समिति के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर बारहवां प्रतिवेदन ।

१२. १३ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान टीनेन्सी (पांचवा संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री अध्यक्ष : क्लाज् ६ व ६, राजस्थान टिनेन्सी (पंचम संशोधन) विधेयक, ५८ क्लॉज् ६ में एक संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए उनको आज्ञा दी जाती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : In sub-section (1) of the proposed new Section 23 of the principal Act, for the words 'shall be twenty times' substitute the following, namely 'shall, in the case of un-irrigated land be 15 times and in the case of irrigated land twenty times.'

माननीय अध्यक्ष, कल जो सदन में बहस हुई उसमें काफी सदस्यों ने यह विचारधारा व्यक्त की कि जो २० गुना लगान का प्रोविजन रखा है, वह बहुत ही ज्यादा है और खास तौर से रेगिस्तानी इलाके में तो बहुत ज्यादा होगा होगा । ऐसी सूरत में मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट है कि बारानी जमीन के लिए १५ गुना और जो इर्रिगेटेड लैंड है उसके लिए २० गुना कम्पेन्सेशन का प्रोविजन रखा है । मेरे ख्याल से यह संशोधन ठीक है और आशा है सदन के सभी माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धारा ६ के ऊपर माननीय सदस्य जो सलूम्बर से आये हुए हैं, उन्होंने जो संशोधन पेश किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं । खासतौर पर माननीय सदस्यों की कल की बहस को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि, जो २० गुना लगान बारानी जमीन का मुआवजे रूप में देने का प्रोविजन किया गया था वह माननीय सदस्यों के ख्याल से ज्यादा था । जिस प्रकार से अभी एक अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने पेश किया है कि १५ गुना तो बारानी जमीन का और २० गुना इर्रिगेटेड लैन्ड का मुआवजा दिया जाय, उसे मैं स्वीकार करता हूं । मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी पांचवें अमेन्डमेन्ट के जरिये इस कम्पेन्सेशन के बाबत पेश किया गया है और जो अभी मौजूदा प्रोविजन टिनेन्सी एक्ट में है, उसमें कितना फर्क है । पहले के प्रोविजन के अनुसार कम कम्पेन्सेशन देना पड़ता था, यह मेरे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ख्याल से ठीक नहीं था। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि राजस्थान में ६ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां कलेक्टर्स ने इस कम्पेन्सेशन को वर्क आउट किया है। उनके प्रोविजन के बिना पर जो मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में है और जो वर्क आउट किया है, कम्पेन्सेशन की कीमत कम है। साथ ही जो वर्क आउट करने का प्रोसीजर है वह इतना कॉम्पलोकेटेड प्रोसीज़र है कि हर एक कलेक्टर के लिये कीमत निकालना बहुत मुश्किल है। पिछले २० साल के पिछले रजिस्टर्ड ट्रेड्स मार्गेज़ चाहिए, फिर पिछले २० साल की हर जमीन की हर किस्म की पैदावार की दर चाहिये, और यह बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बिना पर उसकी प्राइजेज़ निकाली गई हैं, वह सदन की जानकारी के लिए बताता हूं, ताकि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जाये कि वास्तव में जो मौजूदा अमेंडमेंट हैं, इससे राहत मिलेगी या ज्यादा कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। पहले पहल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को लीजिए। आज एनुअल रेंट जो फरमल्ली वर्क आउट किया है, जो मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में हाईएस्ट चाही जमीन की कीमत ६८ रुपये, पर एकड़ आती है और अब जो यह प्रोविज़न किया है यह सेंक्शन्ड रेंट रेट से २८ रु० २ आना आती है, highest per acre of chahi. इसी तरह से लोएस्ट चाही जमीन की कीमत मौजूदा टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक ३४ रु० कीमत आती है और अब नये प्रोविजन के मुताबिक ११ रु० ४ आना आयेगी। This is for Chahi lands. Similarly for Barani lands we will see it is Rs. 28/- for the highest, whereas on the present formula in the Tenancy Act, it will come to Rs. 5/10/-. Similarly, the lowest is 16/- and now according to the sanctioned rent rates it will come to Rs. 1/14/- only. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह तो एक डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ ताकि सदन को जानकारी आ जाए कि इस फार्म से उस फार्म के कम्पेन्सेशन के अमाउन्ट में किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा कम्पेन्सेशन लिया जायेगा। बांसवाड़ा को लें तो चाही जमीन ३४ रु० पड़ती है। whereas in the present amendment it comes to 11/4/- लोएस्ट २० रु० आता है, तो वहां लोएस्ट ५ रु० ६ आना आता है, इस प्रजेन्ट अमेन्डमेन्ट के जरिये। इसी तरह से बारानी जमीन का २२ रु० आता है तो यहां १ रु० ६ आना आता है इस प्रजेक्ट अमेन्डमेन्ट के जरिये। वहां लोऐस्ट आता है ६ रु० अब १५ आना एनुअली आता है। इसी तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में से ८-६ डिस्ट्रिक्ट्स केवल वर्क आउट किये हैं। इसमें बहुत डिफिकल्टी आई है। इसमें जिस प्रकार की फिगर्स अवेलेबल होनी चाहिए उसमें २० साल की प्राईजेज़ ऑफ प्रोड्यूज़, फिर मिकदार भी चाहिए कि किस प्रकार की जमीन में क्या पैदावार हुई है २० साल में इसलिए किसानों को दरअसल में काफी राहत मिलेगी इसलिए जो अमेन्डमेन्ट अभी पेश किया गया है वह रीज़नेबल है। जो माननीय सदस्य ने अपना अमेन्डमेन्ट रखा है उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो जैसा मैंने अर्ज किया मैं इसे स्वीकार करता हूं कि बारानी जमीन का १५ गुना और इर्रिगेटेड लैंड का २० गुना कम्पेन्सेशन रख दिया जाये, इसे मैं स्वीकार करता हूँ और समझता हूँ कि सदन भी इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे थे....

श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द : (सांचौर) मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने रखा था वह उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

(संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री शिवनाथसिंह जी ने रखा है उसको उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री शिवनाथसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गया)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ६ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित धारा ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई ।

क्लॉज़ ६, श्री लक्ष्मीचन्द जैन ।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मेरा संशोधन है — Insert the words' and it shall be liable to be realised as arrears of land' revenue between the words 'in respect thereof' 'and no tenant' occuring in sub-seetion (5) of Section 27 sought to be amended. अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा अमेंडमेंट है इसका मतलब यह है कि जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा उसकी रिक्वरी हो वह एरियर्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू के तहत होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कि एक तरफ वह जागीर का मालिक भी बन जाय, उस जमीन का मालिक बन जांय और उसके बाद देने के लिए अदालत बता दी जाय कि तुम जाकर अदालत में दावा करो । तो यह उसके लिए न्याय की बात नहीं है । उसका जो कम्पेन्सेशन बनता है उसको पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के अन्दर वसूल करने का अधिकार देना चाहिए । जमीन का वह मालिक बनता है तो

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो पैसा हो वह दे दे।

और दूसरा अमेंडमेंट यह है कि Omit part) of the clause. उससे यह जो ६ किश्तों के बदले में १० किश्तों का रखा है वह सेक्शन ओमिट होना चाहिए। उनका जो कम्पेन्सेशन है वह एक किश्त में दे देना चाहिए। एक तरफ वह जमीन का मालिक बनता है और दूसरी तरफ वह किश्तों की छूट मांगता है कि वह पैसा १० किश्तों में देगा जब कि उसको पूर्ण अधिकार मिलता है कि वह खेत मन चाहे जैसे कर सकता है, मन चाहा उसमें डेवलपमेंट कर सकता है, उसको मालिकाना अधिकार हो जाता है। दूसरी तरफ कम्पेन्सेशन भी वह किश्तों में देना चाहे तो वास्तव में उसको मिलता क्या है। वह खेत देने के उपरान्त भी उसकी मर्जी हो न दे और कहे कि दावा करो, तो दावा करने के लिए अदालत में फिरता रहे, तो यह उसके साथ कैसा जस्टिस है? जैसा जस्टिस आप उसको देना चाहते हैं कि सब-टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए वैसे मालिक को भी मिलने चाहिए। जो मालिक है और सब-टिनेन्ट खातेदार बनता है तो पैसा एकमुश्त में उसे मिल जाय ताकि वह सन्तोष कर सके, नहीं तो उसको लाने ले जाने की बॉदरेशन होगी। काश्तकार भी जेरबार होगा, वह वकीलों के चंगुल में फंसेगें। इससे कम्पेन्सेशन लेने और देने वालों दोनों को परेशानी होगी। तो बेटर तो यह होता कि जो कम्पेन्सेशन है, वह मालिक बनता है, तो उसको वह एक मुश्त दे दे। इसलिए सदन के सभी महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि यह जो मेरे दो अमेंडमेंट हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो अभी एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वह मान लेना चाहिए। उससे हमारे सदन में कोई एक अच्छी परम्परा कायम होने का एक मौका है, और वह मौका यह है कि एक आदमी को आप उसका हक दे रहे हैं जो कि आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक हो गया है उसको हक ऑटोमेटिकली सब-टिनेन्ट को हो गया है, और ओरीजिनल खातेदार जो होता है उसको मुआवजा लेने का हक पैदा हो गया है तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जो मुआवजे का हकदार बनता है, अपनी जमीन छोड़ता है और जिस जमीन पर आज दिन तक वह काश्त करता आया है, और उसने किसी वजह से सबलैट करके दूसरे को दे दी तो सबलैटी का उसके ऊपर हक हो गया, तो कम से कम जो कम्पेन्सेशन पाने वाला है या जो जमीन छोड़ने वाला है, उसका इतना हक हो जाता है कि, वह उस जमीन का पूरा कम्पन्सेशन एक मुश्त में लम्प सम में पाये। जैसा कि ओरीजिनल अमेंडमेंट फिफ्थ में यह था कि कलेक्टर या सब डिवीजनल ऑफिसर चाहे तो लम्पसम में दिला सके या इन्स्टालमेंट के हिसाब से दिला सकता है। यह उन ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पॉवर थी। तो मैं यह समझूंगा कि जो जमीन का अपना हक खो रहा है तो कम से कम इतनी सहूलियत तो उसको देना जरूरी हो जाता है, कि वह पूरा कम्पेन्सेशन उसको एकमुश्त में मिले। उसके बाद मुआवजे का कोई लेन देन नहीं रहता। वह एक बार में आ जाय और उसको जमीन का हक मिल जाय। दूसरे का हक पैदा हो गया है, तो दूसरा जो सब-टिनेन्ट है वह पूरी तरह से मालिक बन जाय तो पूरी तरह से मालिक

(श्री अनूपसिंह)

बनने से पहले यह जरूरी होगा, यह उसके वास्ते शोभा की बात होगी कि वह उसका कम्पन्सेशन पूरा एक बार में देकर नामगरी कर दे, और इसके बाद आयन्दा टंटा नहीं रहे। वर्ना मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा होता है कि लोग मानते हैं कि हम जमीन खरीदना चाहते हैं, हम कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं और होता यह है कि लैण्ड रेवेन्यू भी कई बार देने को वे लाचार हो जाते हैं, नहीं दे सकते हैं। आज भी गवर्नमेंट की धनराशि होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को खुद को पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही करके वसूल करनी पड़ती है। इससे जमीन लेने वाले को खास तौर से भरोसा हो सकता है कि सबलैट करके उसने अपना जमीन पर हक पैदा किया है........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले ही इसमें मौजूद है। यह मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। इसमें लिखा है कि—

27......(3) When the amount of compensation or any instalment there of remains unpaid in whole or in part for a period exceeding three months from the date of its falling due, it shall be realised by the Sub-Divisional Officer as an arrear of land revenue paid to the person entitled to receive payment of the same. So it is already there.

श्री अनूपसिंह : एक मुश्त दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। यह मैं मानता हूं कि कई बार गवर्नमेन्ट की धन राशि रह जाती है। वह पी० डी० आर के तहत कार्यवाही करके वसूल कर सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूं कि एक बार में दे देते हैं तो उसके बाद में उसके साथ में कोई लेन देन नहीं रहती है और पी० डी० आर जैसी कहीं कोई बात काम में नहीं लानी पड़ेगी। उसका मालिकाना हक एक बार में हो जाता है और दूसरे के पास पैसा चला जाता है। इसके लिए यह जरूरी होता है कि जो जमीन है वह खोये तो वह उम्मीद रख सकता है, उसको उम्मीद रखना जरूरी है, लाजिमी है कि जो कुछ रकम है वह एक मुश्त में उसको मिल जाय। अगर एक मुश्त में नहीं मिले तो जो आदमी जमीन खोता है वह कहां मारा मारा फिरेगा, कहां कोर्टस् में मारा मारा फिरेगा, पी. डी आर. या दूसरी कार्यवाही करायेगा, डिग्री करायेगा। वह कहां कहां फिरता फिरेगा। घर की जमीन खोने के बाद वकीलों के पीछे पीछे फिरे, कोर्ट में फिरे जहां कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। उसको जमीन की जरूरत है तो यह उसका एक टेस्ट है कि वह एक मुश्त में जमीन वह खरीद रहा है उस जमीन का पैसा दे। यह उसका टेस्ट हो जायगा कि वाकई जमीन की जरूरत है तो जमीन का एक मुश्त पैसा देने के लिए तैयार हो जाय। यह जरूरी बात है। अगर नहीं दे सकता है और कोई उसमें बकाया रह जाय तो एरियर्स की तरह वसूल करें। न जाने वह कब जाकर वसूल होगा। जो जमीन खोने जा रहा है उसका भरोसा नहीं होगा कि उसकी जमीन का उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि आप समझियेगा कि दोनों ही किसान हैं, आपके दिमाग में यह बात होगी कि एक तरफ जागीरदार हैं और दूसरी तरफ किसान हैं। मैं कहता हूँ कि जागीरदारों का सवाल बैकग्राउन्ड में मत लाइये। दोनों ही को किसान

(श्री अनूपसिंह)

समझिये, उनको असुविधा हो सकती है इसलिये यह किसानों के सहूलियत की चीज है। जिस किसान के पास से उसकी जमीन जाती है उसको कम्पेन्सेशन दिलाना सदन का फर्ज है। जो आदमी घर की चीज खोता है वह हमेशा उम्मेद करता है कि जो मैंने जमीन दी है उसका पैसा मुझे आज ही मिले। इसलिये मैं कोई नई चीज अर्ज नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि उसको बार बार घूमना नहीं पड़े और वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, इसलिये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ की उपधारा (२७) में जो संशोधन करने हेतु अमेन्डमेन्ट श्री लक्ष्मीचन्दजी ने रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। किसान और वह किसान जो मुद्दत से पिसता हुआ आ रहा है, कई दिनों से एकतंत्रीय व्यवस्था के जुल्मों से जो पिसता हुआ आ रहा है उस किसान से आज यह कहा जाय कि वह खातेदार बनने के एवज में जिस पर ५ रु० १०, १५ या २० रुपये जमीन के अनुसार मुआवजे का वजन उस पर आयेगा, उसे आप कहते है कि एक साथ चूकता कर दे। खातेदारी राइट १०, २० या ५० बीघा जमीन का उसे लेना पड़ेगा ऐसा मानना चाहिये एक मुश्त किस प्रकार वह सारी रकम चुका सकेगा, यह वास्तव में महसूस करने की चीज है। वह किसान जो हमेशा से इस प्रकार आज तक दबता रहा है जिस पर सारे हिन्दुस्तान के सवाल को जाने दीजिये राजस्थान के लिये भी कई करोड़ रुपयों का कर्जा उस किसान पर है तो वह किस प्रकार इतना रुपया लावेगा और उसको ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा, यह नामुमकिन चीज होगी। एक मुश्त वह नहीं दे सकेगा। इसलिये जो मूल सवाल आया है सरकार की तरफ से कि ६ के बजाय १० में कर दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि एक साथ दिलाया जाय उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये जो दो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। एक का तो समाविश पहले से ही है लैंड रेवेन्यू वसूल किया जायगा। दूसरा एकमुश्त का है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एकमुश्त में देने का मतलब यह होगा कि काश्तकार जिसको आप जमीन देना चाहते हैं वह खेत का मालिक नहीं हो सकता क्योंकि आज तक सब-टिनेन्ट होकर उसने काम किया। जो आलरेडी दूसरों पर मुनहसर है उसको आप जमीन दे रहे हैं। यदि वह मालदार होता तो पहले ही जमीन खरीदकर खुदकाश्त करता। लेकिन वह ऐसा है जो दूसरों की नौकरी करता है इसलिये उसके पास पैसा बचने का और मालदार होने का सवाल नहीं है। हम उस आदमी को जमीन देना चाहते हैं जो दरअसल में काश्तकार हैं, सब-टिनेन्ट हैं उनको खातेदार बनाने चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसको सहूलियत दें। एक तरफ तो हम उसको खातेदार बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उससे एकमुश्त दिलावें तो वह जमीन नीलाम होगी और जमीन ही नीलाम नहीं होगी, बल्कि उसके घर के बर्तन आदि भी नीलाम होंगे और वही कहावत होगी कि लेने "गई पूत खो आई भरतार"। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रोविजन लाया गया है वह

उपयुक्त नहीं है इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जाय। जो प्रोविजन रखा हुआ है वही आवश्यक है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, ...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप भी बोलना चाहते हैं क्या ? इसमें बोलने का ज्यादा कुछ है नहीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंहजी बैठ जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है सेक्शन ६ में उसके लिए मैं अर्ज करूंगा, जो अमेन्डमेन्ट श्री लक्ष्मीचन्दजी ने पेश किया है उसके बारे में सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि ऑलरेडी प्रोविजन है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूल किया जायगा। मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसमें और भी अधिक सिक्योरिटी दी है जो पहले थी उससे भी और अधिक सिक्योरिटी दी है और कहा है कि इस तरह से वसूल होगा। उसको इस तरह के राइट नहीं दिये हैं कि वह बेच सके it will be a first charge, second charge after rent. इसका इसमें पूरा ख्याल रखा है, उसको राइट नहीं है कि वह बेच सके is long as this compensation is not paid up. उस पर ज्यादा पाबन्द लगादी है। to make the compensation amount more secure. पहले से ही इसका प्रावधान है इसलिये जरूरत नहीं है।

अब रहा सवाल एक मुश्त में पे करने का। आप मुलाहिजा फरमावें दफा २७ को, जनरल प्रोविजन जो सिविल लॉ में है, जो बातें सिविल डिक्री आदि की है वे ही बातें दर्ज हैं। सब डिविजनल ऑफिसर सब बातों को देख कर तय करेगा। जिस तरह से सिविल कोर्ट में डिक्रियां एवार्ड करते समय यह देखा जाता है कि आया लंपसम में लिया जाय या इन्स्टालमेन्ट्स में करें वे ही प्रोविजन्स इसमें रखे हैं :

"27.......(1) On the determination of the amount of compensation payable for the acquisition of Khatedari-rights or rights in improvements or both in accordance with the foregoing provisions, the Sub Divisional Officer shall order payment thereof either in a lumpsum or in a suitable number of instalments." ऑर्डिनेरी सिविल कोर्ट में जो डिक्रीज होती है उनमें डिस्क्रीशन सिविल कोर्ट का होता है वही बात यहां रखी है। "(2) If the Sub-Divisional Officer orders दूसरी बात यह है payment in annual instalments, such instalments shall not exceed six in number जब इसको १० करना चाहते हैं इस अमेंडमेंट से; and shall be fixed with due regard to the following matters namely-

(i) the total amount of compensation payable,

(ii) the paying capacity of the person liable to pay the sum, and,

(iii) such other matters as may be prescribed.

अर्ज करने का मतलब यह है कि यदि कोई आदमी ऐसा है जो एक मुश्त में पे कर

Page No.45

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकता है तो उसके लिए मुमानियत नहीं है। यदि उसकी केपेसिटी इतनी है तो वह एक मुश्त पे कर सकता है, लेकिन यदि किसी की पेयिंग केपेसिटी ऐसी नहीं है तो वह एक मुश्त पे नहीं कर सकता we don't want to deny him the right which we give him by this statute. इसलिये हम उसके अन्द इन्स्टालमेंट का प्रोविजन रखते हैं। ६ इन्स्टालमेंट के बजाय १० इसलिये रखा है कि उसको लैण्ड रेवेन्यू भी देनी पड़ेगी इसलिये ऐसी चीज होनी चाहिये कि लैण्ड रेवेन्यू के साथ-साथ आसानी से दे सके। इसको ज्यादा सीक्योर बनाने के लिये यह और रख दिया है और "(5) The total amount of compensation payble in accordance with section 26 shall be a charge upon the holding and its produce next after the charges for rent and revenue in respect there of and no tenant of khudkasht or sub-tenant who acquires khatedbri rights and rights in improvements under section 19 shall be competent to alienate his holding or part there of unless and until the total amount of compensation as afore said shall have been paid up in full." ज्यादा सिक्योर कर दिया है। लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगी। तहसील वसूल करे और तहसील में ही डिपोजिट होगा और तहसीलदार जिनको देना है उनको देंगे। इसका प्रइयूज पर चार्ज कर दिया है ओन क्रोप, इससे ज्यादा सिक्योरिटी का और क्या प्रोविजन चाहिये ? सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एडिकेट है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापिस लेना नहीं चाहते। यदि उसकी पेइंग केपेसिटी ज्यादा है तो वह एक मुश्त पे कर सकता है। इसलिए जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। माननीय सदस्य भी महसूस करेंगे और और वापिस लेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय ने फर्माया कि जिसकी पेइंग केपेसिटी एकमुश्त देने की है, वह एकमुश्त दे सकता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि एकमुश्त में देने की कोई पाबन्दी नहीं है तो कौन चाहेगा कि एकमुश्त में दे। यदि किसी की माली हालत अच्छी भी है तो भी वह क्यों एकमुश्त में देगा जब कि कानून में नहीं देने का प्रोविजन है आप गरीबों की जरूर हिमायत करिये, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन जो मालदार लोग हैं उनसे क्यों नहीं एकमुश्त में लिया जाता ? आप मेजोरिटी के हैं इसलिये आप अपना अमेन्डमेन्ट पास करवालेंगे लेकिन मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंट श्री लक्ष्मीचन्द ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में है वे हां कहें, और जो विपक्ष में वे वे ना कहें।

ना पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

श्री अनूपसिंह : हाँ पक्ष जीता।

श्री दामोदरलाल व्यास : हाँ कैसे जीता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : जमाना जीता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ को स्वीकार किया जाय।

क्लॉज़ ६ स्वीकृत की गई।

श्री अध्यक्ष : अब एक संशोधन क्लॉज़ तीन में आया। क्लाज तीन पास तो सदन ने कर दिया है लेकिन उसके बाद तीन क्लॉज़ में एक प्रोविजन एड करने के लिए संशोधन दिया है। क्लॉज तीन में प्रोविजन जोड़ने के लिए कई माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से मिले थे और दो तीन दिन से चर्चा हो रही कि जो सब-टिनेन्ट खातेदारी हक न लेना चाहे, उसके लिए ऐसा बताया गया है कोई प्रोविजन नहीं है। इस प्रोविजन की मन्शा यह है कि ऐसे खुदकाश्त टिनेन्ट हैं, सब-टिनेन्ट हैं जो इसके अन्तर्गत कम्पेन्सेशन न देना चाहें, कम्पेन्सेशन न देने के साथ खातेदारी हक नहीं चाहें वे असिस्टेंट कलेक्टर को दर्ख्वास्त दे सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए और मैं सब-टिनेन्ट के रूप में कन्टिन्यू करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह अमेन्डमेन्ट किसकी तरफ से है, गवर्नमेन्ट की तरफ से ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं है, श्री सोहनलाल भटनागर की तरफ से है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : कल मैंने अमेन्डमेन्ट रखा था, उसको कल ही मंजूर कर लेते।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: "देर आयद, दुरुस्त आयद"।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपकी इच्छा की पूर्ति की गई है। अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है....

श्री लक्ष्मीचन्द : थोड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : जो अमेन्डमेन्ट पेश कर रहे हैं। वे स्पष्टीकरण कर देंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :

To sub-seetion (4) of the proposed new Section 19, insert the proviso as under, namely:-

"Provided that such tenant or sub tenant may, within six months of the appointed date intimate in writing to the Assistant Collector having Jurisdiction that he does not wish to acquire khatedati rights on payment of such compensation, in which case he shall not acpuire khatedari rights or be liable to pay compensation and shall continue as tenant of khudkasht or sub-tenant as heretofore."

माननीय अध्यक्ष, जब यह क्लाज आया था, कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे कि किसी सब-टिनेन्ट, था खुद काश्त को जबरदस्ती खातेदारी राइट्स क्यों दिये जायं, ऐसी जमीन मौजूद हो सकती हैं जिनमें सब-टिनेन्ट खातेदादारी राइट्स नहीं लेना चाहे क्योंकि उसे कम्पेन्सेशन ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरी सूरतें भी हो सकती हैं जिनमें खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं करे। उस दृष्टि से माननीय लक्ष्मीचन्दजी ने अमेन्डमेन्ट रखा था, उसमें सब राइट्स वाश आउट करने के लिए था, उसमें सब-टिनेन्सी खत्म हो जायगी। इसलिए ही उसको नहीं माना गया था। इसमें यह है कि अगर नहीं लेना चाहता है तो सब-टिनेन्सी जो पहले थी, वह एग्जिस्ट करेगी और इसके लिए ६ महिने के अन्दर असिस्टेन्ट कलेक्टर को, जिसको जुरिस्डिक्शन है, दर्ख्वास्त देनी पडेगी कि ऐसी सूरतों में खातेदारी राइट्स एक्वायर नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि यह प्रोविजन ठीक है और सदन के सदस्यों की जो मांग थी, उसकी पूर्ति करनेवाला है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, पहले बात तो यह है कि यह क्लॉज तीन कल पास कर दिया गया है। उसमें मेरा अमेन्डमेन्ट था उसको स्वीकार नहीं किया गया, इस हाउस ने स्वीकार नहीं किया है। आज ऐसी स्थिति इस हाउस के सामने माननीय सदस्य पेश करते हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि कल मैंने अमेन्डमेन्ट रखा था, वह स्वीकार होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : उसमें और कई बातें हैं, जो श्री सोहनलाल भटनागर ने बता दी हैं। लेकिन आपकी बात को स्वीकार कर लिया है, यही बहुत है और यह माना जायगा कि आपके कहने से स्वीकार किया गया है।

प्रश्न यह है कि धारा तीन स्वीकार हो चुकी है, उसमें यह प्रोविजो एड किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल १६५८ को पारित किया जाय।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : और कहने को बाकी रह गया है। अगर कोई ऐसा पॉइन्ट रह गया हो तो भले ही आप बोल सकते हैं। कई बातें आपकी स्वीकार कर ली हैं सरकार ने।

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

(थपथपाहट)

श्री लक्ष्मीचन्द : म्हे भी बजा देवां तालियां।

श्री अनूपसिंह : और बजाओ साहब।

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८, का प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाना

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल।

श्री श्री भानसिंह : गौशाला बिल लिया जयगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गौशाला बाद में है।

श्री अनूपसिंह : गायें मर जायंगी।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : Are you keen about Gaushalas Bill ?

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ अमेन्डमेंट बिल १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वह आगामी अधिवेशन शुरू होने के

(दामोदरलाल व्यास)

पहले पहले तक, अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

श्री अध्यक्ष : प्रथम सप्ताह तक जोड़ दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली मैं अभी प्रस्तुत कर देता हूँ ....

श्री अनूपसिंह : मैं समझता हूं कि इसे कमेटी में रखा न जाय और सरर्कुयुलेट किया जाय। इससे पहले आप नाम दे देंगे तो ....

श्री दामोदरलाल व्यास : जरा देखिये तो सही। नाम देने में फर्क नहीं पड़ता। आपका अधिकार है डिबेट करने का।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : डिबेड करने का निर्णय अध्यक्ष देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : वही में अर्ज कर रहा हूँ।

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :–

१. मिनिस्टर-इन-चार्ज

२. श्री भीमसेन

३. श्री रामचन्द्र चौधरी

४. श्री जेठमलजी।

५. श्री हरिकिशन।

६. श्री सोहनलाल भटनागर।

७. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला।

८. श्री सज्जनसिंह।

६. श्री पुरुषोत्तमलाल ।

१०. श्री रामप्रसाद लड्ढा।

११. श्री सुगनचन्द जैन।

१२. श्री भंवरलाल।

१३. श्री जनार्दनराय नागर।

१४. श्री शिवनाथसिंह।

१५. श्री रामकरणसिंह।

१६. श्री लच्छूराम।

१७. श्री मुरलीधर व्यास।

१८. श्री अनूपसिंह।

१६. श्री रघुवीरसिंह।

२०. श्री गिरधारीलाल।

२१. श्री नत्थीसिंह।

२२. श्रीमती शान्तोदेवी।

२३. श्री श्रीमानसिंह।

२४. श्री एडवोकेट जनरल।

अध्यक्ष महोदय, अप्रेल के महीने में सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सदन में विचार हुआ था और जब वह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तब सदन के माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपनी काफी राय दी थी। उस राय को ध्यान में रखते हुए विचार करके सरकार की तरफ से सीलिंग के वास्ते जो टिनेन्सी सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल है, उसको पेश किया गया है। खास तौर से हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, पहली और दूसरी, उनमें प्रोविज़न था कि भूमि की अधिकतम सीमा जरूर निश्चित की जाय और लैंड लैस की प्रोबलम को हल करने के लिए, भूमि सुधार के हमारे प्रोग्राम हैं, इसको सेकिंड पंच-पर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है। उस लिहाज़

Page No.49

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से सीलिंग इम्पोज़ करने के लिए और अधिक सीमा निर्धारित करने के दो लक्ष्य हैं। पहला तो यह है जो मौजूदा होल्डिंग हैं, जो मौजूदा हैं और दूसरे फ्यूचर एक्वीजीशन के ऊपर सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि कोई भी काश्तकार या कोई भी आदमी आयन्दा खरीद कर, या किसी ट्रान्सफर के द्वारा सीमा से ज्यादा जमीन हासिल नहीं कर सके। चुनाचे राजस्थान सरकार ने टिनेन्सी एक्ट बनाया, उसके अन्दर एक प्रोविज़न रखा गया, फ्यूचर एक्वीज़ीशन पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया, लिमिट कायम कर दी कि इससे ज्यादा भूमि पर अधिकार नहीं कर सकता। यह ऑलरेडीटिनेन्सी एक्ट में प्रोवीज़न है उसके बाद फ्यूचर एक्वीज़ीशन के ऊपर जिस तरह कर दिया, उसी तरह मौजूदा होल्डिंग के ऊपर अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक हुआ। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इस अर्से के अन्दर तमाम जानकारी की गई कि कितनी जमीन हमारे पास अवेलेबल है, कितने लैंड-लैस टिनेन्ट्स हैं और लैंड-लैस टिनेन्ट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ़ लैंड की जानकारी करने के बाद सीलिंग कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि खास तौर से अपने राजस्थान के अन्दर अधिकतम सीमा सीलिंग निर्धारित करनी चाहिए और सीलिंग निर्धारित करने के लिए हमारे सामने दो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, एक तो इन्कम बेसिक पर सीलिंग पर निश्चित करते और दूसरे लैंड की तादाद पर करते लैंड के, बीघा के ऊपर तादाद के ऊपर, काश्त की इतनी तादाद के ऊपर सीलिंग की जाय। देखा जाय तो राजस्थान का जो सारा एरिया है वह एक क़िस्म की जमीन का नहीं है, एक किस्म की प्रोड्यूस का नहीं है। यहां की हालत है, क्लाइमेटिक कन्डीशन्स हैं, सोइल क्लासिफिकेशन है वह एक जगह का दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। इसलिये कमेटी के सामने प्रश्न आया कि एकड के लिहाज से सीलिंग फिक्स नहीं कर सकते और इन्कम के लिहाज से सीलिंग फिक्स करें। इसलिये राजस्थान को उन्होंने कई जॉन्स में डिवाइड किया कि कहां कितनी पर -- एकड़ पैदावार होती है, किसानों की इकोनोमिक कन्डीशन्स किस जगह कैसी है, कहां का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, खर्चा चलाने के लिये उनके लिये कितना आवश्यक होता है। उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए, कितना अमॉउन्ट ऐसा होना चाहिये जो फिक्स किया जाय, जो सीलिंग के लिये काफी होगा। एक फेमिली के लिये कितना अमाउन्ट फिक्स किया जाय ताकि वह बिना किसी प्रकार का कर्जा किये आसानी से अपने घर का खर्चा चला सके, इन बातों को ध्यान में रखा है। और अलग अलग कन्डीशन्स होने की वजह से अलग अलग तहसीलों में अलग अलग मिकदार मुकर्रर की है, २,४०० रुपयों की इन्कम रखी है। जब सदन में सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर वाद - विवाद हुआ था, उस विवाद को ध्यान में रख कर और सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको ध्यान में रख कर २,४०० रु० की इन्कम रखी है। इसी बेसिक पर अलग अलग जगह राजस्थान के अन्दर अलग अलग क़िस्म निर्धारित की गई है। किस जिले में कि डेज़र्ट एरिया है और कितनी प्रोड्यूस हो जायगी, वहां की जमीन, वर्षा और प्राड्यूस इन सारी बातों को ध्यान में रख कर अलग अलग जगह अलग अलग मिकदार फिक्स की गई है। खास तौर से इस सीलिंग के बिल में प्रोविजन किया है, वह एक फेमिली के लिये किया है।

टिनेन्सी एक्ट में इसे बात को रखा गया

(दामोदरलाल व्यास)

था कि फेमिली होल्डिंग कितनी होनी चाहिये। जमीन की रिज्यूमेबल लिमिट को १,२०० की इन्कम पर वर्क आउट सभी जगह किया, उसको गजट में पब्लिश किया है और १,२०० की इन्कम की लिमिट की जितनी जमीन अलग अलग तहसील में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आई है उसके माफिक जमीन की लिमिट रखी है, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए वह काफी है, २,४०० रु० की इन्कम का रखा है वह उससे डबल हुआ और मौजूदा स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकेंगे, सेविंग्स भी कर सकेंगे, इसलिये यह प्रोविजन किया गया है। फेमिली मेम्बर्स हैं उनकी तादाद का ध्यान रखा है। 'फेमिली' को इसमें डिफाइन भी किया है, फेमिली के मेम्बर बढ़ जायेंगे तो जमीन की मिकदार भी बढ़ जायगी।

कमेटी ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि राजस्थान की लैंड प्रोब्लम को सोल्व करने के लिये कितनी जमीन अवेलेब्ल है। पिछले समय सदन में बहस हुई थी और अखबारों में भी इस तरह की बातें आती हैं कि राजस्थान में जमीन काफी है, इसके लिये सीलिंग की जरूरत नहीं है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां राजस्थान में अधिक इस तरह की जमीन है कि वह डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं है। इसके साथ साथ है यह भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फ्रेग्मेन्टेड होल्डिंग कितने हैं। लैंडलेस टिनेन्ट्स की डेफिनिशन में फ्रेग्मेन्ट को शुमार किया गया है। वे ऐसे हैं कि प्रेशर ऑफ लैंड इतना मालूम होता है कि, बहुत से टिनेन्ट्स लैंड-लेस ही रहेंगे। दो-तीन एकड़ का होल्डिंग है वह अनइकोनोमिक रहेगा, जिससे वे कोई भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी सीमा निर्धारित करनी है कि जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं और जो दूसरे टिनेन्ट्स हैं जिनके पास कि लैंड है उनमें समान रूप से इक्वेलि जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।

हमारे यहां टोटल ८,३५,६६,६४२ एकड़ जमीन है। उसमें से अनकल्टीवेबल लैंड है २,१५,६५,४२८ एकड़, वह निकाल देना चाहिये। ३१३,२४,०६७ एकड़ कल्चरेबल रहती है, कृषि योग्य जमीन बताई जाती है, वहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें से १,८३,००,०७६ एकड़ जमीन ऐसी है जो कि अनऑक्युपाइड है। ५६–५७ में ये फिगर्स क्लेक्ट किये थे। अनऑक्युपाइड तो काश्त में नहीं थी। सर्टेन केटेगरीज ऑफ लैंड ऐसी है कि ऑक्युपाइड भी हैं, उसको अर्ज कर देता हूं, उसको कल्चरेबल वेस्ट एरिया कर देते हैं जिस पर कि दो तीन साल तक काश्त नहीं की जाती, उसको कल्चरेबल वेस्ट एरिया कर देते हैं, वह ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड नहीं रहता...

श्री अध्यक्ष : Khatedori Lands ? Even the Khatedari lands ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जो काश्त नहीं होती, लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल में है, देखकर अर्ज करूंगा, कल्चरेबल वेस्ट एरिया कर देते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि कितनी अनऑक्युपाइड है और कितनी ऑक्युपाइड और वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि ऑक्युपाइड है, उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे पर जो अनऑक्युपाइड है...

श्री श्रीभानसिंह : What is this occupied land ? Is it culturable land in the possession of someody ? and

(श्री श्रीमानसिंह)

if it is in excess of ceiling area, then ...

श्री दामोदरलाल व्यास : I am talking about culturable land. Occupied land has been defined in the Tenancy Act and I need not define it again. It is not available for allotment to landless tenants and Government has no right over it, because it is in khatedari possession of tenants although it is not cultivated. ऑक्युपाइड लैन्ड का मतलब यह है कि वह जमीन दूसरों के कब्जे में हो लेकिन उस पर काश्त नहीं हुई हो। और काश्त नहीं हुई, इसलिये वह सर्टिफाइड तक नहीं होती। इसलिये वह कल्चरल वेस्ट कहलाती है। चूंकि वह दूसरों के कब्जे में होती है। It is not available for allotment to landless tenants and the Government has no right over it.

१ म० प०

इसलिये, मैंने अर्ज किया कि ३,१२,३६७ एकड़ जमीन जो रिपोर्ट में दर्ज है उसमें से १,८२,६६,८६६ एकड़ जमीन ऐसी है जो दूसरे काश्तकारों के कब्जे की है। १,३०,३२३ एकड़ रहता है। इसमें से ७० प्रतिशत जमीन ऐसी है जो करीब करीब डेजर्ट है जैसे बाड़मेर वगैरह। ३० प्रतिशत लैन्ड ऐसी रहती है जिसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि आप देखेंगे कि हर एक गांव में दो खेतों के बीच में जमीनें होती हैं जिसे हम मेड़ की जमीन कहते हैं। वह भी उसमें दर्ज होती है, वह भी कल्चरल वेस्ट में शुमार होती है। क्योंकि वह जमीन किसी दूसरे काश्तकार को नहीं दी जा सकती। ऐसी जमीनें कहीं आधा बीघा, कहीं ५ बिस्वा इस तरह से होती हैं। उस जमीन को उन्हीं लोगों को अलॉट कर सकते हैं जिनके पास दूसरी जमीन उससे मिली हुई होती है या जो आसपास में काश्त करते हैं। इस तरह से ३० पर्सेन्ट में से आधी जमीन निकाल दी जाती है तो १५ प्रतिशत जमीन रह जाती है जो लैन्डलैस टिनेन्ट्स की तादाद को देखते हुए बहुत कम है। आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि भरतपुर अलवर, सीकर आदि डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेशर ऑफ लैन्ड कितना ज्यादा है। District-wise fragments are :-

अलवर में	१०,६०४ एकड़
भरतपुर में	३६,७०१ एकड़
झुंझुनू में	१६,३०८ एकड़।

जिसमें से मैंने आपको अर्ज किया कि ऑक्युपाइड लैन्ड निकाल देनी चाहिये। अलवर, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां कितना प्रेशर ऑफ लैन्ड है, आप उसी से अन्दाजा लगा सकते हैं। आप इसके अन्दर, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब करीब ३ लाख टिनेन्ट्स ऐसे हैं जो मौजूदा इन्फॉर्मेशन के अनुसार लैन्ड-लैस कहे जा सकते हैं। मगर १७ लाख टिनेन्ट्स ऐसे हैं जिनके पास १० एकड़ से ज्यादा जमीन है। एक एकड़ से कम those below one acre are 4,32,009. जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है और इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें बहुत से लोगों को सब-टिनेन्ट कह सकते हैं। इसलिए सिवाय डेजर्ट एरिया के बहुत कम जमीन एवेलेबल है। इसलिये हम कह सकते हैं कि हमको जमीन का बहुत घाटा है। बहुत से लोगों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के पास बहुत जमीन है जैसा कि ऑफिस रेकॉर्ड में है। मगर सीलिंग इम्पोज होगा तो हमें यह देखना होगा कि एक फेमिली में कितने मेम्बर हैं और आया वह जमीन जो उनके पास है उन मेम्बरों की तादाद को देखते हुए काफी है या उन पांचों आदमियों ने अपने नाम पर अलग अलग जमीनें दर्ज करा रखी हैं। जिस समय सीलिंग इम्पोज करना होगा तो यह सब देखना होगा कि टोटल फेमिली के पास कितनी लैन्ड है और कितनी जमीन वास्तव में उनके पास होनी चाहिये। इसके लिये इसका सही अन्दाज तभी लगा सकेंगे जब इसकी पूरी तरह से इन्क्वायरी कराएंगे और होगी। जिस तरह से छोटे छोटे होल्डिंग्ज को रखने वाले हैं उनके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हजारों और सैकड़ों बीघा जमीन है जो वे खुद काश्त नहीं कर सकते और अपने सहयोगियों से कराते हैं और सब-लैट करते हैं। इस चीज को देखते हुए जो जमीन उनको मिल सकती है वह मिलेगी और जो ज्यादा जमीन होगी उनसे लेकर लैन्ड-लेस टिनेन्टों को देकर उनको आबाद कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बिल पेश किया है। माननीय अध्यक्ष, मैंने जैसा अभी आपको अर्ज किया था।

Uncultivated land is classified under two heads :-

(a) Available for cultivation.

(b) Not available for cultivation.

(2) The followins kindg of lands will come under the area 'available for cultivation' :-

(a) Padat or fallow lands :-

(i) Current or one year fallow ;

(ii) Two Year fallow;

(iii) Old fallow, i. e. three or four years fallow.

(iv) Banjar Jadid, i. e. five or six years fallow.

(v) Banjar, i. e seven years fallow.

(b) Groves and orchards containing fruit bearing trees ...

तो उस जमीन में बगीचे वगैरा भी हैं। इसलिये ऑक्युपाइड जमीन को दर्ज किया है। इसलिये यह ३ करोड़ है इसमें से १,८२,००,००० यह निकल जावेगी और मेड की जमीन भी निकल जावेगी तो अलॉटमेंट के लिये एवेलेबल लैंन्ड रहती नहीं है जिसको लैन्डलैस टिनेन्टों को दी जावे। सीलिंग में इस बात का ध्यान रखा है कि इन्कम के लिहाज से जमीन दी जाए। कमेटी ने इस लिहाज से हर तहसील में अपना दौरा करके जानकारी हांसिल की कि कितना स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग होगा कितनी पैदावार होगी। इन सारी बातों की जानकारी की और यह देखा कि जहां फेमिली के मेम्बर बढ़ते जाते हैं वहां पर इन्कम कम होती जावेगी। इसके अलावा टिनेन्सी एक्ट की धारा ५३ में जिनके पास अपनी जरूरतों से कम जमीन है उनको भी लैंड-लैस टीनेन्टस माना गया है तो इस हिसाब से जिनके पास इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनसे अपना फायदा नहीं उठा सकते तो उन लोगों को भी उसी रोल पर रखना होगा। इसके अलावा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फेमिली को भी डिफाइन किया है। जिस फेमिली में ज्यादा मेम्बर होंगे उनको ज्यादा लैण्ड अलॉट करने का प्रोविजन किया है और ७ आदमियों से ज्यादा जिस फेमिली में होंगे उनको दुगुना या तिगुना तक जमीन देने का प्रोविजन है। छोटे छोटे होल्डिंग्ज होने से वे देश का ज्यादा फायदा नहीं कर सकते। इसलिए देश की उपज को बढ़ाने के लिए मेकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं that mechanised farming should add to the production of our country and that should be well managed. मगर उस जमीन में जितनी पैदावार होनी चाहिये नहीं होती है तो मेकेनाइज्ड फार्मिंग जरूर कह सकते हैं। लेकिन हमारे प्लानिंग-कमीशन ने उसको एग्जेम्प्शन दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी को बेजा दिक्कत नहीं हो और जो लोग वास्तव में एग्जेम्पशन के हकदार हैं उनको एग्जेम्प्शन मिलता रहेगा। पिछले समय जब बहस हुई उस समय उसे ध्यान में रखा गया क्योंकि यह बिल अहम है। इसकी for equitable distribution of land, for doing social justice between one man and another... और इसी वजह से सीलिंग को सब जगह रिकॉगनाइज किया है। इस बात को ध्यान में रख कर हमने यहां पर पेश किया है। इसकी इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यह मूव किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि माननीय सदस्य वहां इस पर पूरे रूप से विचार कर सकेंगे और दुबारा यह आपके सामने एडीशन और ऑल्ट्रेशन के साथ आ जावेगा और फिर पूरा सदन इस पर विचार कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि जब यह सिलेक्ट कमेटी से वापिस आवेगा उस समय भी बाकी वाद-विवाद का मौका सदन को मिलेगा और मैं समझता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता) : मैं यह जानना चाहता हूं कि आया वह कमेटी पूरी तहसीलों में घूम चुकी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सीलिंग कमेटी का सब-क्लॉज (२) है, कमेटी सरकार के द्वारा बनी। अगर आप सब-कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसने सारे राजस्थान का दौरा किया है और हर जगह से फिगर्स कलेक्ट किये हैं और एविडेन्स लिये हैं। आपको मालूम नहीं है।

श्री अनूपसिंह : नागोर का ही खास-तौर से दौरा हुआ है और दूसरे डिविजनों का नहीं हुआ। एक नागोर में ८ जगह किया है और बाकी तो हैड क्वार्टर्स का ही किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है। नागोर डिस्ट्रिक्ट में ८ जगह किया हो। मगर यह कहना कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं गये हैं, मैं आपको कहूंगा कि वे गये हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी गये हैं, जो भी फिगर्स उनको अवेलेबल हो सके, काफी लेबर करके प्राप्त किये है, उनको कलेक्ट किया है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर उनके फिगर्स करेक्ट न हों तो उसको सिलेक्ट कमेटी में लाया जाय। माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में होंगे, वहां वे एतराज करें कि जो प्रोडक्शन बताया, जो केपेसिटी बतायी वह गलत है। तो इन सारी बातों के लिए सिलेक्ट कमेटी में बताया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि इसको सिलेक्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमेटी में भेजा जाय। लेकिन एक मोटिव इम्प्यूट मत कीजिये। उन्होंने दौरा किया है और उन सारी बातों को लेकर सब जगह दौरा किया है। फिगर्स कलेक्ट किये हैं। उन्होंने काफी लेबर की है नागोर डिस्ट्रिक्ट में भी गये हैं। और जगह भी गये हैं उन्होंने फीगर्स प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। कहीं गलती हो गई है तो उसको सिलेक्ट कमेटी सुधार देगी।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्थान टिनेन्सी छठे संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए १५ अगस्त तक के लिये प्रसारित कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : जनमत जानने के लिए!

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए इसको क्यों प्रसारित कर दिया जाय इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम कृषि भूमि का सीलिंग करने जा रहे हैं और जहां तक सीलिंग का प्रश्न है मैं उसके उद्देश्य को पूरी तरह से मानता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सीलिंग होना चाहिये। लेकिन कैसे हो और किस प्रकार से हो इस पर विचार करने की जरूरत है और इस पर विचार करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमें जनमत का ध्यान रखना होगा और इसीलिए जनमत जानने के लिए मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया है कि वह १५ अगस्त तक हो और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाय। २॥ हजार में गुजर कर सकता है या नहीं या कितनी आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत होगी। माननीय अध्यक्ष, यह सवाल किसानों के सीलिंग का ही नहीं है, शहरी इलाकों में और हमारे कर्मचारियों का वेतन भी सीलिंग में आवेगा। हम चाहते हैं कि जब सीलिंग का कदम रखें तो सारे लोगों के जीवन स्तर पर हमें ध्यान रखना जरूरी होगा। शहरी लोग हैं, कर्मचारी हैं उनका जीवन स्तर क्या हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। किसानों को किस तरह से रखा जाना चाहिए, क्या किसानों को २॥ हजार में गुजारा करना चाहिये अथवा उनका गुजारा इससे चल सकता है? क्या कर्मचारियों को २॥ हजार रुपया देते हैं? एक कर्मचारी को २॥ हजार रुपया देते हैं और किसान को भी २॥ हजार देते हैं। किसानों के बच्चे तैयार होंगे तो वे घास काटेंगे और कर्मचारी के लड़के होंगे वे हमेशा अफसरी करेंगे। यह प्रश्न भी है। जो इस सम्बन्ध में मेरे विचार हैं, वे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ तो हमें यह निश्चय करना चाहिये कि निम्नतम सीमा क्या हो। उच्चतम सीमा क्या हो, यह सवाल नहीं है। किन्तु खास सवाल यह है कि निम्नतम सीमा क्या हो। आपने ५० बीघा जमीन रखी है किसानों के लिए। लेकिन भरतपुर जैसे इलाके में इतनी नहीं होती। निम्नतम का सवाल रखना पड़ेगा, क्योंकि १॥-१॥ बीघा जमीन है लोगों के पास। इसके लिए तो यह रखा जाना चाहिये था कि जिसके निम्नतम हो उसको हम देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें है। फ्रेग्मेन्टेशन को डिफाइन किया है और

Page No.55

(श्री दामोदरलाल व्यास)

टिनेन्सी होल्डिंग में जिसके पास कम जमीन है उसको लैण्ड-लेस टिनेन्ट माना है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह करना चाहिये था कि ५० बीघा है तो निम्नतम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह ऑल-रेडी गजट हो चुका है कि कितनी जमीन को हम फ्रेग्मेंट मानते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : तहसीलवाइज होनी चाहिये थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसील-वाइज़ ही है।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरी बात फेमिली की है। फेमिली की परिभाषा में पौत्र को भी रखा है। पौत्र का मतलब यह है कि सन्तान के बच्चे हो गये तो वह तो उसका मालिक ही है। हिन्दुओं में संयुक्त परिवार का प्रचलन है। ऐसी परिस्थिति में यह विचार करना है कि पौत्र को किस तरह एड करें।

भूमि के नाप का भी सवाल है। सब जगह अलग अलग नाप हैं हमारे यहां। कहीं १॥-१॥। का है। इसलिए एक स्टेन्डर्ड नाप भी होना चाहिये जैसा कि कोटा में नाप कुछ कम है लेकिन रेंट्स कुछ ज्यादा हैं। इस प्रकार की शिकायतें हैं। उस पॉइन्ट पर भी विचार करने का सवाल है।

जहां तक २॥ हजार का सवाल है, एक साधारण परिवार के लिए, यदि चार बच्चे हैं तो किस प्रकार से गुजर होगा, यह किसानों के लिए भी सोचने की बात होगी। यदि किसान प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन कराता है तो चार बच्चों पर १०० रुपये का खर्चा पड़ेगा और भोजन की व्यवस्था के लिए वर्ष में दो हजार का खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर ३,४०० तो इस तरह से हो गये। कपड़े पर पांच सौ होंगे और थोड़ा एन्टरटेन-मेंट का है तो यह सब मिलाकर रकम ४॥ हजार होती है। फिर किस तरह से २॥ हजार रुपया किसान के गुजर के लिए देते हैं? इस तरह से जो साधारण परिवार है, शहरों में रहता है उसके खर्च के लिए, कम से कम भोजन पर, उसके गुजर बसर पर २००), ३००) रु०, महीने से कम नहीं आता है और इस तरह कपड़े वगैराह में भी हजार रुपये वैसे खर्च हो जाते हैं। अगर वे उच्च कक्षा की शिक्षा देते हैं तो उसका अलग खर्चा समझिये और अगर कोई सेन्टजेवियर में भरती कराना चाहे तो ढाई सौ रुपया माहवार अलग समझिये। अगर हाई स्कूल में ही दाखिल कराता है तो कम से कम पचास रुपया महीना तो साधारण सी बात है। इसके लिए ३६,०० रुपया पड़ता है। इस प्रकार दस हजार रुपये का जो एस्टीमेट है यह एक मध्यम परिवार के लिए आवश्यक है। कहां तो दस हजार रुपया और कहां साढ़े चार हजार रुपया और कहां ढाई हजार रुपया। शादी और मौत का खर्चा तो अलग रहा इसके अलावा भी कई खर्चे और रह जाते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जहां हम सीलिंग करने जा रहे हैं। यह उचित है, समाज-वादी समाज व्यवस्था के लिये यह आवश्यक भी है। जिनके पास अधिक है वह लेकर जिनके पास नहीं है उनको देना है। इसी चीज को लक्ष्य में रखकर सीलिंग मुकर्रर करना पड़ रहा है। सीलिंग केवल किसानों के लिये ही लागू करने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी

(डॉ० बहादुरसिंह)

आमदनी अधिक है और जो शहरी इलाके में रहते हैं उन पर भी हमें हाथ साफ करना पड़ेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य का हाथ साफ करने से क्या मतलब है ?

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसके पास ज्यादा सम्पत्ति है उसका भी समान वितरण होना चाहिये। मेरा हाथ साफ करना कहने से यह मतलब नहीं कि किसी की जेब पर हाथ साफ करना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सीलिंग लागू करना ही है तो इसके लिये हमें जनमत लेना, जरूरी पड़ जाता है। बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनको हम भावावेश में या कमेटियां बैठाकर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सी बातें सोच नहीं पाते इसलिये यह जरूरी है कि इसके लिए जनमत जान लिया जाय। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि जनमत कौन देगा जिसके पास अधिक जमीन है वे तो इसका विरोध करेंगे। जब जनमत के लिए प्रसारित किया जायगा तो उस समय वे लोग भी यह सोचेंगे कि समय ऐसा आ रहा है जिसमें सीलिंग तो अवश्य होगा वैसी हालत में अब हमें यह सोच लेना चाहिये कि हमारा गुजारा कितने में हो सकता है। हां, यदि राजस्थान सरकार किसानों के लिये शिक्षा-शुल्क आदि हटा देवे चाहे किसान का बच्चा किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वह कॉलेज की शिक्षा हो या यूनिवर्सिटी की शिक्षा सब उसको फ्री मिलने का तय कर दे तो मैं यह ढ़ाई हजार रुपये पर्याप्त समझता हूं। इस पर केवल जनमत ले लिया जाय कि एक किसान अपने परिवार का भरण पोषण ढाई हजार रुपये में कर सकता है या नहीं। अब हम यह देख रहे हैं कि गांव के लोग भी ज्यादा आरामतलब होते जा रहे हैं। इसलिये गांवों को छोड़ छोड़ कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। क्योंकि गांवों में उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं इसीलिये लोग शहरों में आते हैं। शहरों में आकर उनका कितना खर्च बढ़ जाता है यह भी देखने की बात है। इसलिये मैं इस पर ज्यादा न कह कर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा प्रश्न है जिसे बड़ी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। उतावलेपन से या स्टेटिसटिक्स के आधार पर सोचने से कहीं यह न हो जाय कि "हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों"। हिसाब तो बराबर बना रहेगा लेकिन बेचारे किसान डूब जायेंगे। इसलिये स्टेटिसटिक्स के चक्कर में न पड़कर वास्तविकता की ओर हमें ध्यान देना चाहिये। आज हमारे यहां मध्यमवर्गीय परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो आपको यह बता सकता हूं मैं जब अपने गांव में जाऊंगा तब मुझे तो वहां के लोग यह जरूर कहेंगे कि आप अपने लिये तो इतना करते हैं और हमारा स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ २,४०० रुपये ही रखवाते हैं, इसलिये मैं तो इस पर गांव में जाकर सोचना ज्यादा उपयुक्त समझता हूं। वहां के लोगों की राय लेकर कि आया कितनी आमदनी इसमें रखी जानी चाहिये। इसलिए इस पर इतना विचार उचित नहीं है, इसलिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर विचार किया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग २,४०० रुपया हम तय करने जा रहे हैं उन काश्तकारों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिये, यह उनको क्या पता है जिनके हजारों रुपये मासिक की आमदनी है। जिन काश्तकारों की आमदनी का स्टेन्डर्ड आप २,४०० रुपया रखने जा रहे हैं उनके बच्चों से क्या हम कभी यह आशा कर सकते हैं कि किसान का बच्चा कभी आई० ए० एस० या आर० ए० एस० में आ सके ? क्या हम उनके बच्चों को नेहरू और जवाहरलाल के रूप में कभी देख सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : नेहरू और जवाहरलाल दोनों एक हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द जिनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग हम २,४०० रुपया रखने जा रहे हैं यह बहुत कम है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर जिस पर हमारे राजस्व मंत्री बहुत जोर दे रहे हैं, जिसके अन्दर कहा गया है कि कमेटी ने बहुत सी जगहों का दौरा किया और वहां पर कमेटी ने रिपोर्ट ली है कि सीलिंग होना चाहिये मेरा जहां तक ख्याल है कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं उसका भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह था कि पास के व्यक्ति की सीमा, उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग क्या रखा गया है यह भी देखना चाहिये। हमारे पड़ौस में पंजाब है, ४,५०० रुपया रखा गया है, हैदराबाद में ३,६००और हमारे यहां राजस्थान में २,४०० रुपया स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग रखना चाहते हैं। आज सात बच्चों का एक परिवार है उसके लिए आप यह कहें कि वह ६ हजार रुपया बचा नहीं सकता, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उसके बाद छः हजार रुपया बचा कर चुनाव लड़ना और विधान सभा में आकर बैठना उसके लिये तो बिल्कुल असम्भव सा हो जायगा। आज तमाम के तमाम काश्तकार हैं कोई जमींदार या जागीरदार का प्रश्न नहीं है इसलिए हमें काश्तकारों के हित की बात को सोचना चाहिये। आज हम उन्हीं लोगों के अहित का कानून बना रहे हैं जिन लोगों ने हमें यहां पर बैठने का सौभाग्य दिया है। जहां तक मेजोरिटी का सवाल है इसमें काश्तकार-वर्ग ही ज्यादा है, उसके हित के लिए हमें सोचना चाहिये। आज सरकार लम्बी-चौड़ी बातें तो बहुत बनाती है कि हमने काश्तकारों के लिए यह किया, हमनेजागीरें रिज्यूम कीं और काश्तकारों को फायदा पहुँचाया। मैं राजस्व मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ जालोर में उन्होंने कितने काश्तकारों को बसाया है? काश्तकारों को जहां भूमि देने का प्रश्न है यह उनको दी जाती है जो खुशामद करने वाले हों या चापलूसी करने वाले हों। गरीब काश्तकार को चूसा जायगा, उसको पींजरे में रखा जायगा। आप कानून में प्रोविजन करते हैं एग्जेम्प्शन का इससे तो सरकार की मर्जी में आया तो ट्रेक्टर वालों को और बड़े-बड़े लोगों को एग्जेम्प्शन मिलेगा। काश्तकारों को किसी प्रकार से एग्जेम्प्शन देने का प्रॉवधान नहीं है; सरकार से हम यह आशा भी नहीं कर सकते। तकावी का प्रश्न आता है वह भी समय पर लोगों को मिल नहीं पाती केवल कागजों में आंकड़े बताकर सीलिंग की नीति अपनाना केवल दिखावामात्र है। वास्तविकता तो और ही है, इससे इससें भी वें किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

सीलिंग रिपोर्ट में जो आंकड़े बताये गये हैं उसके अनुसार १,३७,२७४ एकड़ भूमि

(श्री लक्ष्मीचन्द)

काबिल काश्त पड़ी है और काश्तकारों की संख्या बतायी गई है, ३,७६,३६० । ये सरकारी आंकड़े हैं । इन आंकड़ों के आधार पर अगर काश्तकारों में जमीन डिस्ट्रिब्यूट की जाती है पर काश्तकार १८३ एकड़ भूमि आती है और आप सीलिंग करने जा रहे हैं ६०,६०, या ५० का । लेकिन जो जमीन आपके पास पड़ी है वह भूमिहीन काश्तकार को दीजिये । इसके बाद अगर आप यह कदम उठाते हैं तो उचित भी है उससे पहिले सीलिंग कायम करने का अधिकार नहीं है ।

आपके रेवेन्यू विभाग के एक्सपर्ट श्री ए० खेरी ने भी यह राय दी है कि राजस्थान में अभी सीलिंग लाने की आवश्यकता नहीं । इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी यह बताया है कि एक फेमिली में एक आदमी की सालाना आमदनी कम से कम ३०० रुपया जो आप मानते हैं उसके हिसाब २,१०० पर जो सीलिंग लगा रहे हैं । प्लानिंग कमीशन ने भी सात आदमियों की एक फेमिली मानी है । उस हिसाब से ६,३०० रुपया तो उन्होंने भी माना है । आप २,४०० रुपया की आमदनी मानकर निर्णय लेना चाहते हैं ।

चौथी बात यह है कि आपने जालोर जिले में जो जमीन का आंक रखा है व ६० एकड़ है । मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी भूमि यह है जो एक साल पड़ी रखने पर दूसरी साल काश्त के काबिल होती है । बाज बाज तो ऐसी जमीन है जो दो दो बरसों तक पड़ी रहती है और दुर्भाग्यवश अभी भी हर वर्ष प्रान्त के किसी न किसी हिस्से में अतिवृष्टि या अनावृष्टि से अकाल पड़ता रहता है । तो इसका हिसाब लगावें तो ६० एकड़ में एक साल पड़ी रहती है तो ४५ एकड़ का हिसाब रह जाता है और दो साल का हिसाब लगावें तो २२ एकड़ होती है । हर साल हर कोने में बरसात भी नियमित रूप से कभी नहीं होती तो अधिक खेत तो यों भी पड़े रह जाते हैं । तो इस तरह अगर फिर भी माना जाय तो २२ एकड़ जमीन में काश्त होगी । इसमें अब २,४०० रुपये की आमदनी की आप आशा रखें तो यह मुश्किल है । राजस्थान की धरती ऐसी उपजाऊ नहीं है, तो इन सब बातों पर ध्यान आपको रखना है ।

माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने बताया कि कमेटी ने जगह जगह दौरा किया । मैं बताना चाहता हूं कि जालोर में दौरा उन्होंने डाक बंगलों तक ही किया । उन्होंने डाक बंगलों से बाहर निकल कर खेतों का और गांवों की उस धरती का दौरा कभी नहीं किया । फिर उनको कैसे मालूम हो सकता है कि कहां कैसी जमीन है ? कमेटी का फर्ज था कि वह गांव गांव में जाकर इसका पता लगाती, जानकार कृषकों के पास जाती । वह तो या तो डाक बंगलों में रही या रेलवे के आसपास जहां फेसिलिटी रही वहां तक गई । किसी तरह की तक़लीफ उठाकर उसने गांवों की एक्चुअल हालत को देखने की कोशिश नहीं की । फिर ऐसी हालत में इन आंकड़ों पर हम कैसे विश्वास करें कि ६० एकड़ काफी होगी ? डाइरेक्ट उन्होंने किसान से बात नहीं की । कांग्रेस के वर्कर डाक बंगलों में पहुंच सकते थे । बस वे गये । पर काश्तकार का एक का भी स्टेटमेन्ट नहीं लिया अगर लिया हो तो बतादें । वे उन्हीं लोगों से मिले होंगे जो वकालत करने वाले हैं या जो "जी हुजूरी" करने वाले हैं ।

आगे यह बताया कि इतनी फेमिली के लिये इतने एकड़ जमीन देंगे । कल सपोज

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जरिये एक बच्चा और हो जाता है तो उसके लिये इसमें क्या प्रोवीजन है। बच्चे क्या कम करें ? पर आप जैसे xxxx तो हो नहीं सकते।

श्री पी० के० चौधरी : It is a deliberate remark on the member. It must be expunged from the proceedings Sir. It is an unparliamentary remark to call a member to be an XXXX

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : Unnecessarily you are bringing a word which he has never used before.

श्री पी० के० चौधरी : उन्होंने xxxx कहा है। इसके माने हैं ....

श्री अध्यक्ष : He has never said.

श्री शंकरलाल : He said Sir.

श्री अध्यक्ष : Well, the word be expunged.

ठा० श्री मदनसिंह : वैसे तो इस पर नाराज होना नहीं चाहिये। वैसे ही इसका प्रचार तो वर्षों से हो रहा है इसलिये। वह ब्रह्मचर्य का हो रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो बाद में एक हो गया, दो हो गये बच्चे, तो उनके लिये क्या प्रोविजन है इसमें ?

आमदनी के आप लोगों ने तैयार किये हैं कि एक तहसील में इतने रुपये मन था। इसको भी किसी व्यापारी से वेरीफाई आपने नहीं कराया। मार्केट रेट क्या थी यह आपने मालूम नहीं किया। आपने अपने कागजों के आधार पर अपने कर्मचारियों की बातों पर अपने मन चाहे ढंग से वेरीफिकेशन किया। जिस रोज कमेटी ने दौरा किया उस रोज मार्केट रेट यह थी, यह कौन से व्यापारी की राय थी।

श्री शंकरलाल : आप कमेटी के साथ साथ थे क्या ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं साथ नहीं था पर जो रिपोर्ट है इसको पढ़ने से यह अनुभव हुआ।

आज जिस बात के लिये बताया जाता है कि हम यह जमीन काश्तकार को देंगे, निर्धन या भूमिहीनों को देंगे वह देने का जब प्रश्न आता है तो वहां, अध्यक्ष महोदय, वह उनको नहीं मिलती, जो देना चाहते हैं उनके रास्ते तक में रोड़े अटकाये जाते हैं। इसके लिये हर जगह अलॉटमेंट कमेटियां बनी हैं और इनमें से एक का मैं भी सदस्य हूँ। जहां भूमि उनको देने का सवाल आता है वहां तहसीलदार और हम में आपस में झगड़ा होता है। और इस बात का झगड़ा होता है कि तहसीलदार चाहता है कि ऐसे को दी जावे जिसके पास पैसा है, जिससे पैसा लिया जावे, ऐसे को दी जावे जिसके पास ज्यादा जमीन पहले से है और उसके नाम से नहीं तो उसके बच्चों के नाम से अलॉट कर दें। इसका उदाहरण आप अगर चाहें तो सांचोर में इस साल भूमि इसी कारण अलॉट ही नहीं हुई। तहसीलदार इसी तरह के आदमियों को देना चाहता था और मैं यह नहीं चाहता था। मैं, वास्तव में कानूनन जिसको दी जानी चाहिये उसको दिलाना चाहता था, भूमिहीन और निर्धन को दिलाना चाहता था, जो पैसा नहीं दे सकता था उसको दिलाना

---

xx श्री अध्यक्ष : पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहता था। तो इस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया। आखिर में इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि देना ही कत्तई उस तहसीलदार ने बन्द कर दिया। तो ऐसी सूरत में मुझे तो यह कत्तई सम्भव नहीं लगता कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, I want to know from the Hon'ble member कि अगर तहसीलदार और उनके दरमियान में खिलाफ राय हुई तो कानून के मुताबिक कलेक्टर को मामला रेफर होना चाहिये था। क्या वह मामला कलेक्टर को रेफर किया गया वास्तव में अगर जैसा वे कहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें आगे क्या किया गया, क्या, कागज दाखिल दफ्तर कर दिये गये ? वे पूरी जानकारी और पूरा पता बतावेंगे तो I will like to punish the tehsildar. तरह से एलीगेशन ही खाली मगर इस लगाना उचित नहीं है। वे बतलावें कि सांचोर में किन और कौन से केसेज में ऐसा हुआ ? हाला कि रूल्स में प्रोविजन तो यह है : If there is a difference between the committee members, the case will be referred to Collecteor case will be refered collector. आपने वे मामले कलेक्टर को रेफर कराये या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह रेलिवेन्ट भी है या नहीं, मेरा यह कहना है।

ठा० श्री मदनसिंह : ऐसे केसेज अभी भी काफी दिये जा सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो दे सकते हैं।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : जो आपने बातें कहीं सही हैं। इसके मुतल्लिक मैंने आपके चीफ सचिव को भी एप्लीकेशन मूव की है। और आपके कमिश्नर तक को मैंने लिखा है आपके कलेक्टर को भी लिखा है और इसमें ये एलीगेशन्स मैंने स्पष्ट तौर से साफ साफ लगाये हैं कि इन कारणों से जमीन का अलॉटमेंट जिनको होना चाहिये उनको नहीं हो रहा है। कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचा भी। उनको नाम बताये गये। पर बिल्कुल कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया। आप इनक्वायरी कराना चाहते हैं तो अवश्य करें। कागज आपके चीफ सचिव तक के पास हैं। आप कागज उठाकर देखें। आप अपने मातहतों को पूछिये। आप चाहें तो इन कागजों की रसीदें मेरे पास हैं, मैं बता दूं। आप कागज देखना चाहें तो कागज दिखा दें। आपके सचिव, चीफ सचिव महोदय को मैंने लिखकर भेजा है। कमिश्नर को लिखकर भेजा है। कमिश्नर ने शायद कलेक्टर को कहा है कि उससे एक्सप्लेनेशन कलेक्टर ने कह दिया कि एलीगेशन सही हैं। सब रेकॉर्ड दिखाया गया उनको। आप कहते हैं मैं किसी आधार के साथ नहीं बोलता हूं, मैं आधार पर बोलता हूं।

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो कानून में अमेन्डमेंट करने हम जा रहे हैं यह किसानों के लिये घातक है। इसको पब्लिक की राय के लिये भेजा जाना चाहिये। इसके लिये राजस्व मन्त्री जी को शंका क्यों है ? जनता जो चाहेगी वही तो आखिर में हो, यही हम कहते हैं। जनता चाहेगी कि सीलिंग हो तो होकर रहेगा। आपको इसमें हिचकिचाहट क्या है ? आपको जनता ने यहां भेजा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है। उसकी राय जानने में फिर आप क्यों घबराते हैं ? मैं प्रस्ताव करूंगा कि इसको जनमत के लिये भेजा जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति को भेजे जाने के बारे में, मन्त्री महोदय का प्रस्ताव था और उसके विरोध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जावे, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इस बात के लिए करता हूं कि मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है कि जमीन के बंटवारे सम्बन्धी जो बुनियादी बात है, जिसके लिए हम हमेशा से कहते आये और जिसको हमने हमेशा हर जगह पर कहा और यहां तक कि जिस जमात ने आजादी की लड़ाई लड़ी उस जमात ने हर समय हर तरीके से इस बात को रखा कि मुल्क आजाद होगा तो जमीन का बंटवारा होगा, किसान जमीन का मालिक होगा और उसके साथ ही साथ देश में समाजवाद की स्थापना होगी, समानता की बुनियाद रखी जायेगी। येह जो बुदियादी बातें हमने हमेशा कहीं और जिनको सारी जनता में कहकर आजादी हासिल की, उसके बाद में आज उसी बात को कानून में लाते हैं तो उसको जनमत के लिए भेजे जाने की बात कहते हैं जिसे कि जनता पहले ही स्वीकार कर चुकी है। सब को समान न्याय तो सीलिंग के रूप में ही दिलाया जा सकता है। यह आज सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। समानता लाने के लिए जब तक कि देश में जमीन के बंटवारे का फैसला नहीं होता, जमीन सब को समान रूप से वितरित नहीं की जाती, तब तक किसी भी हालत में देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। यह एक बुनियादी बात है जिसमें कोई शंका की बात नहीं। और जब किसी बात को कह कर हमने हमेशा जनता के सामने कोई चीज रखी आज उस जमीन के लिए फिर इस बात का प्रश्न आये कि इसको फिर जनता के बीच में रखा जाये, जनता की राय ली जाये और फिर देखा जाये तो मैं समझता हूं कि जो एक प्रगतिशील कदम उठाया जा रहा है उसको ढीला करने के लिए उसमें देरी लाने के लिए और जनमत के लिए कहना केवल विलम्ब करना है। यह चीज तो जनता के सामने हमेशा से ही रखी हुई है। यह जनता के सामने हमारा वायदा है और फिर इस बात को लाना कि जनता के बीच में इसे रखा जाये और कहा जाये कि किसान उजड़ जायेंगे, किसानों की हालत खराब हो जायेगी, २,४०० रुपया उसके लिए कम होगा और किसान बर्बाद हो जायेगा तो किसानों का नाम आप लें और फिर यह बात कह कर कि जमीन उनको दिलायेंगे, देश में समानता की व्यवस्था कायम करेंगे यह कह कर ; किसानों को अपने साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ते समय लिया और आज जब कि इस सीलिंग द्वारा हम उनको कोई हक देने जा जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछा जाये और उनकी राय लेते है तो सिवाय इसको विलम्ब करने के और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें २,४०० रुपये के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं कि सीलिंग कमेटी ने जो आंकड़े २४०० के फिक्स किए हैं उसकी जो बुनियाद फिक्स की है वह एक मन अनाज गेहूं पर की है। और भाव १२ रु० मन बताया है और इस भाव पर यह २,४०० रु० फिक्स किया है। और वह भाव आज ३६ रु० हो गया है एक मन का।

(श्री मुरलीधर व्यास)

बीकानेर और उसके आसपास के इलाके में ३२ रु० मन का गेहूं का भाव है, इस हिसाब से तो ४,८०० से भी ज्यादा पहुंच जायेगा...

श्री मदनसिंह : क्या हालत यही रहेगी?

श्री मुरलीधर व्यास : यह हालत रहेगी या नहीं, परन्तु मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो सीलिंग कमेटी में बेस रखा है वह १२ रु० मन का रखा है। मैं कहता हूं कि जिस दृष्टिकोण से रखा गया है उसको समाजवाद से सोचना चाहिए, उसमें यह बात क्यों कहते हैं। २,४०० में जो १२ रु० इकाई माना है तो यह ७,००० के ऊपर पहुंच जाता है तो उस बात को कहते क्यों नहीं है? मेरा मतलब है कि उसको ख्याल में रखना चाहिए। आप समानता को जल्दी से नहीं लायेंगे और इसके अन्दर देरी करेंगे तो यह मंहगाई जरूर बढ़ेगी इसको आप रोक नहीं सकेंगे। इसका सबसे पहला कारण यही है कि आज हमारे देश में विषमता है और पूंजीवाद की आज हमारे देश में व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में हर प्रकार के होल्डिंग होते हैं और इसी कारण मंहगाई आती है तो आखिर यह क्या है? आज मुल्क के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था छाई हुई है और इसको ढ़ाने के लिए समाजवाद की व्यवस्था हम देश में लाना चाहते हैं। और अगर उसकी सबसे बड़ी बुनियाद है तो वह यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जमीन का बंटवारा किया जाये, समता के सिद्धान्त पर राज्य किया जाये। जब तक आप यह व्यवस्था नहीं बनायेंगे तब तक देश में जो बनावटी मंहगाई आती है वह दूर नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : क्या जमीन के बंटवारे से समाजवाद आ जायेगा?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं आयेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कांग्रेस के पक्ष से यह कहा जाये कि क्या जमीन के बंटवारे से समाजवाद आ जायेगा तो मुझे आश्चर्य होता है और ऐसा मालूम होता है कि वेह अभी तक समाजवाद को समझे तक नहीं हैं और फिर भी समाजवाद की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में सभी का आर्थिक ढांचा जमीन के ऊपर आधारित है। तो मैं एक बार नहीं सो बार कहता हूं कि इसे जनमत में भेजकर हम समाजवाद की मंजिल नहीं रख सकते और आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुझे दुख यह होता है कि कांग्रेस के लोग ही खड़े होकर इस तरह की बातें कहते हैं। जिस समाजवाद की शिक्षा के लिए नेहरूजी कहते हैं कि हमारे लोग ऐसे हैं कि जो समाजवाद को अभी तक समझे नहीं हैं और उनके लिए एक ट्रेनिंग कैम्प खुलना चाहिए तो वाकई में लोगों को समाजवाद का मतलब समझाने के लिए ट्रेनिंग कैम्प खोलना पड़ेगा नहीं तो लोग समाजवाद के ढांचे को नहीं समझ पायेंगे और हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज कांग्रेस कार्यकारिणी ने फैसला किया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कांग्रेस ने फैसला किया और नेहरूजी ने भी कल एक स्टेटमेन्ट दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा। सब कहते हैं लेकिन फिर भी राजस्थान के कांग्रेसी सदस्य क्यों इसका विरोध करते हैं?

श्री मदनसिंह : यह पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजना चाहते हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि जनता क्या चाहती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह आज के समय का सब से बड़ा मसला है तभी तो विनोबाजी और दूसरे लोग गांवों में भटक रहे हैं, जिनके पेट में अलसर की बीमारी है। उनका कहना है कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। सारे गांधीजी, बिनोबाजी, सब यही कहते हैं और उसके बाद हमारे यहां के लोग इस बात पर शंका करें कि इससे समाजवाद आयेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत गहराई से उन्हें इसको देखना चाहिए। हमारे सम्मानित सदस्य ने जो यह रखा है कि यह जनमत के लिए भेजा जाये तो मैं अपील करूंगा कि जनता इसको चाहती है इसके लिए हम जनता को पहले ही वादा कर आये हैं और इसको अब जनमत के लिए भेजने का मतलब यही होगा कि जिस प्रगतिशील कदम को उठाना चाहते हैं उसमें रुकावट ला रहे हैं। आज हम सब से बड़ा काम करने जा रहे हैं उसमें एक प्रकार से विलम्ब करना है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस स्टेज पर ऐसा न किया जाये। मैं इसका शख्त विरोध करता हूं कि इस प्रश्न के लिए जनमत की बात कहना और वह भी किसानों और दूसरों का नाम लेकर कहना, तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यवस्था को हम करना चाहते हैं और जो समाजवाद की सच्ची व्यवस्था है इसमें यह देरी करने का मतलब है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो जनमत के लिए प्रस्ताव रखा गया है उसे वापिस ले लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सदन के समक्ष जो प्रस्ताव है इसे प्रवर समिति में भेजने का और जिन माननीय सदस्यों के नाम उस प्रवर-समिति में हैं और जो स्वीकार करते हैं प्रवर समिति में कार्य करने के लिए उनको इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए अभी जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं शायद उनके ध्यान में नहीं था मगर इसका ध्यान में रखें।

एक माननीय सदस्य : सपोर्ट तो कर सकते हैं:

श्री अध्यक्ष : सपोर्ट करने का प्रश्न नहीं है। आपको वहां पर भी कहने का मौका मौका मिलेगा। इसलिए सामान्य रूप से जो अनुभव आया है वह यह है कि जो माननीय सदस्य प्रवर समिति में कार्य करना चाहें उनको इस बहस में भाग नहीं लेकर दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री गिरधारीलाल : यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय, इसलिए विरोध करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जो राय हो आपकी वह जैसी चाहे वैसी वहां पर दें। इसलिए मैंने यह कहा है।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि पहले भी एक माननीय सदस्य का नाम था वे बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने कहा कि माननीय सदस्य को मालूम नहीं था।

श्री गिरधारीलाल : सिलेक्ट कमेटी के नाम बता दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : नाम जिन माननीय सदस्यों के हैं उनको मालूम है, उनको बता दिये गये थे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में आज एक ऐतिहासिक बिल के ऊपर विचार करने का हमको अवसर मिला है। यह एक ऐसा अवसर है जिसके ऊपर राजस्थान के प्रगतिशील तत्वों को अभिमान करना चाहिए और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने एक ऐसा बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जिसके बारे में हम एक लम्बे अर्से से इन्तजार करते आ रहे थे। दरअसल में राजस्थान भूमि सुधारों की शृंखला में काफी आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है। उसने इस प्रदेश के किसानों के अधिकारों की सुरक्षा की है और मध्यवर्ती लोगों को बीच में से हटाने का प्रयत्न किया है। यह आखिरी प्रयत्न है जिसके द्वारा हम उन भूमिहीनों और उन लोगों को रोजी देने का और एक ऐसा अवसर देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिसके अन्दर समाज का एक पिछड़ा हुआ और गरीब तबका कुछ रोजी पा सकेगा, आगे बढ़ सके और इस देश के उत्थान के अन्दर ठीक काम कर सकेगा और वह है जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रश्न के ऊपर काफी मतभेद हो सकते हैं। हमारे मुल्क के अन्दर एक अमुक प्रकार की समाज व्यवस्था पिछले कई सैकड़ों और हजारों वर्षों से चली आ रही है कि जिसके पास में राज्य था उसने जमीन के ऊपर अधिकार किया। उसके अनुसार उन लोगों ने जिनके पास सत्ता थी उन्होंने अपने लोगों को अधिक से अधिक जमीन दी और अधिक से अधिक अवसर दिया। आज समय बदला है और उस बदले हुए जमाने के अन्दर, बदली हुई परिस्थिति के अन्दर हमने एक नया कदम उठाया है, और वह कदम यह है कि चाहे कोई कितना पिछड़ा और गरीब है उसे समान रूप से अवसर दिया जाय और उसके अनुसार कुछ नये प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं। एक परीक्षण है जिसके द्वारा गांधीजी के एक प्रकार के आध्यात्मिक अनुयायी आचार्य विनोबा भावे हैं वे गांव गांव में जाकर हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए तबके के अन्दर प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरे प्रकार के गांधीजी के उत्तराधिकारी हैं जो शासन पर बैठे हुए हैं और उसी विचार-धारा के अनुयायी हैं जो कानून के जरिये जमीन के बंटवारे की बात कहते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से विचारों के अन्दर मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति के अन्दर जब समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने बहुत बड़ी सुविधाएं पाई हैं और उनको आर्थिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था के ऊपर इस प्रकार के लेजिस्लेशन से चोट पड़ती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें तिलमिलाहट भी होती होगी। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी के नाम रखे हैं उसके अन्दर हम देखते हैं कि उन्होंने राजस्थान के जो राजनैतिक दल हैं उन सभी दलों के प्रतिनिधि आये हैं। उन सब को आमंत्रित किया है विचार विनिमय के लिए। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उसमें समाजवादी, प्रजा समाजवादी दल के चाहे वे इस विधान सभा में एक ही सदस्य हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के एक ही सदस्य क्यों न हों, वे भी सिलेक्ट कमेटी के अन्दर हैं। इस सदन में रामराज्य परिषद् और जनसंघ के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी नुमायन्दे उस सिलेक्ट कमेटी के अन्दर हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सब को एक टेबल पर बैठ कर इस प्रगतिशील कदम पर विचार करने का अवसर मिल रहा है और

(श्री हरिदेव जोशी)

उसके बाद में इस सदन के अन्दर हमको सामूहिक रूप से उसके ऊपर विचार करने का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह महसूस करता हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से, यह कदम एक ऐसा युगीन है, युग की मांग का जवाब है। एक ऐसे कदम को हम खुशी खुशी स्वीकार करते है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। यदि हम अस्वीकार करते हैं तो जमाना मजबूर करेगा इस बात के लिए। वह अपनी चोट से, अपनी ठोकरों से हमको मनवायेगा। इसलिए बुद्धिमानी इस बात के अन्दर है कि जो जमाने की मांग है, जो युग की पुकार है उस युग की पुकार का उसके अनुरूप जवाब दें और यह समझें कि हमने एक ऐसा काम किया है जिससे खुशी खुशी भूमि सुधारों की जो श्रृंखला है उसके अन्दर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सामने भूमि सुधारों को इम्प्लीमेंट करने के अन्दर बड़ी बड़ी कसौटियां आई हैं। इसी राजस्थान के अन्दर हमने मध्यवर्ती लोगों को हटाने के लिए जो कदम उठाये थे उसके सम्बन्ध में कटुता का वातावरण पैदा हुआ था लेकिन सभी पक्षों की बुद्धिमानी के कारण वह बुरी परिस्थिति टल गई, और जो, उसके सब से अधिक क्रिटिक थे, सबसे अधिक आलोचक थे वही लोग यह समझते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां भूमि सुधारों की समस्या को सुलझाने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे शालीनता और बुद्धिमानी के कदम उठाये गये है। तो, अध्यक्ष महोदय, हमें यह समझना चाहिए कि यह सीलिंग का जो काम है, जमीन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने का काम है, हमें विश्वास करना चाहिए उतनी ही बुद्धिमानी, उतनी ही सौजन्यता से निपट जायगा।

१.५७ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसमें धैर्य की आवश्यकता है। सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है उन लोगों में जिनके ऊपर चोट पड़ती है। जो १०० या २०० बीघा जमीन के मालिक हैं अगर उनमें इससे तिलमिलाहट होती है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है जागीरदारों और राजाओं के प्रति यह कहने का जिनकी कि बहुत पुरानी परम्परा थी और जिन्होंने अपनी जागीरें और रियासतें छोड़ दी थीं। इसलिए हमको जहां यह सोचने की जरूरत है, जहां हम उनको यह कहते हैं कि वह तो एक आवश्यक कदम था, लेकिन जहां अपने ऊपर आता है हम कहते हैं कि यह कदम आवश्यक नहीं है। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। दोनों परस्पर विरोधों के अन्दर किसी भी एक सिद्धान्त को मान्य समझा नहीं जा सकता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमको ऐसे अवसर आयेंगे जब कि काफी मौका मिलेगा इस सदन के अन्दर प्रत्येक धारा के ऊपर विचार करने का। आज भी एक प्रस्ताव आया है जिसके अन्दर कहा गया है कि जनमत के लिए इसको प्रसारित कर दिया जाय। मैं, अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह सोच लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बिल लाये होते पार्लियामेंट के अन्दर सब राजाओं की सत्ता को खतम करने के लिए और उसको जनमत के लिए प्रसारित किया गया होता तो निश्चित रूप से जनमत इस हक में होता कि उनकी रियासतों का विलीनीकरण कर दिया

(श्री हरदेव जोशी)

जाय, किन्तु क्या वह उतनी आसानी से होता ? एक सही घड़ी होती है वह टल जाने के बाद में हिन्दुस्तान का नक्शा आज भी वह नक्शा होता क्या ? आप सोच लें कि जागीरदारी एबॉलिशन के सम्बन्ध में, आज इस प्रकार का जो प्रोसेस हम अख्तियार करना चाहते हैं उसी प्रोसेस से करते, उस समय उस प्रकार बढ़ते तो हरगिज राजस्थान जो आज भूमि सुधारों में अग्रणी है वह आज की स्थिति के अन्दर नहीं होता।

२ म० प०

आज हमको आश्वासन देना है उस तबके को जो हमारी ओर मुंह बाये खड़ा है। मैं यह कहना चाहाता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हम पर कुछ भी होता हो, लेकिन राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता हमारा मुंह देख रही है; चुने हुए सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों, वे किसी प्रकार सरकार की आवाज में आवाज मिलाकर साथ देना चाहते हैं। हमारी इसके लिए जिम्मेदारी है। सारी चीजों को भुलाकर हमें मिल कर इस पर गौर करना चाहिये। जो बातें रह गई हैं और इसकी जो प्रमुख धाराएं हैं उन पर सिलेक्ट कमेटी कुछ सुझाव रखे, राय दे और सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद सदन अपनी राय दे। इसलिये यह कहना कि जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, उचित नहीं होगा। इसमें देरी होगी और विशेषकर कांग्रेस सदस्यों के लिये तो एक बात और सोचने की है और वह यह कि इस संगठन ने एक तारीख और मियाद तय कर दी है जिसमें उसे इस बिल को पास करना है। केवल इस बिल को ही पास नहीं करना है, बल्कि हमें यह देखना है कि जितने राजनैतिक दल हैं वे किस प्रकार और कैसे काम करते हैं। हर दल के लिये यह एक कसौटी है। कौन कैसे विचार करता है, कैसे आगे बढ़ता है, इसे सोचने की जरूरत है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इसे जनमत के लिये प्रसारित करने का निवेदन किया है उनसे मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का रखा है उस पर अविकल रूप से विचार किया जाय। सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करेगी और ऐसा अवसर आवेगा जब हम आपस में बात करके विचार कर सकेंगे, इसलिये जनमत के लिये प्रसारित करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट संशोधन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो उसके विरोध में जनमत के लिये प्रसारित करने का संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूँ। यहां थोड़ा आश्चर्य सा होता है कि जिस मांग के लिए हम आज से ही नहीं शायद कितने ही वर्षों से निरंतर प्रयत्न करते रहे हैं, जिन टूटी कमर वाले किसानों की कमर सीधी करने के लिए हमने अपनी आवाज बुलन्द की और सच्चा स्वराज्य भी गाधी जी के शब्दों में उन्हीं के लिये लाया गया, यदि आज उनके हित में कोई कानून बनाते हैं तो एक विशेष वर्ग इसमें कुछ अड़चन पैदा करने का प्रयत्न करता है लेकिन यह समझना चाहिये कि वह जो एक मार्ग खुल गया है, जो गरीब, शोषित और पीड़ित

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लोगों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है अब उसको किन्हीं प्रयत्नों से रोका नहीं जा सकता। वह एक पानी का प्रवाह है और ज्वारभाटे की तरह बढ़ता आ रहा है। वह इस तरह का पानी का प्रवाह है जिसको रोका नहीं जा सकता। जिस कानून को हम आज बना रहे हैं, यह सोच रहे हैं शायद इस समय हमारे विचार में है लेकिन हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करने का आरम्भ उस दिन हुआ था जिस दिन समिति बनी थी और उसने जगह-जगह जाकर वहां की भूमि देखी और उसके बाद उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हो सकता है उसमें कुछ संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन हो, यह सम्भव है. लेकिन इस आधार पर यह कहना कि या तो इसे लागू ही नहीं किया जाय, यह तो एकदम अनुपयुक्त होगा, समय को देखते हुए। लेकिन मैं समझता हूं अब इसको अधिक दिन तक विलम्बित करना उस वर्ग के प्रति अन्याय करना होगा, जिसके हित को दृष्टि में रख कर यह बनाया है। हम शायद यह समझते हैं कि इस पर विचार शायद राजस्थान विधान सभा ही कर रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज हमारे देश के महान नेता सबसे बड़े, उच्च कोटि के जो नेता हैं उनका भी विचार इस समस्या को सुलझाने का है। अभी दो दिन पहले देश के दो महान नेता हमारे प्रधान मन्त्री और आचार्य विनोबा भावे के आपस में बात हुई है और उस बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है वह यह हुई कि भूमि समस्या को कैसे सुलझाया जाय। सबसे बड़े नेता ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समिति ए. आई. सी. सी. और वर्किंग कमेटी है उसने भी प्रगतिशील कदम जिसे कहना चाहिये, उसे उठाया है। हमारे देश की जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है, प्लानिंग कमीशन है उन सबने इस समस्या पर विचार किया है। वे सब एक मत हो गये हैं कि अब भूमि को किसी व्यक्ति के साथ एक साथ नहीं छोड़ा जाय। जो हट्टे-कट्टे और भूमि पर काम कर सकते हैं वे तो बेकार फिरते रहें और जिन लोगों ने कभी भूमि की शक्ल नहीं देखी है और जो बड़ी-बड़ी कोठियों में शहरों में रहते हैं और जिनके दूसरा धन्धा चलता है, वे इस भूमि के स्वामी ठहराये जायं, इस बारे में निर्णय हो चुका है कि इस प्रकार की व्यवस्था आगे नहीं चल सकेगी।

अब सवाल यह आता है कि इसको लागू कब किया जाय? उन किसानों ने जिन्होंने सच्चे माने में भूमि को जोत कर, बोकर उत्पादन बढ़ाया है उनको भूमि नहीं दी जावे और कुछ ऐसे लोग जिनका भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा उनको दी जा सके, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी रत्न गर्भा भूमि, जिसमें कितना ही अन्न उपजता रहा है, उसके रहते हुए भी आज हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है। इसके लिये नेहरू–जी को भी खेद है कि हम बाहर से अन्न मंगावें और इसका हल उन्होंने माना है कि जिस भूमि को परमात्मा ने जिसके लिए नियुक्त की है उन्हीं को वह दी जाय और वही उसका असली स्वामी हो सके। भूमि का असली स्वामी किसान है और उसी किसान को लेकर यह कानून बनाये जा रहे हैं लेकिन इसमें यह अवश्य है कि शायद इसमें जो प्रावधान रखे हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें सुधार होना आवश्यक है। अब इसे जनमत प्रसारित करने के लिये जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उन्होंने कहा था कि भूमि की सीमा निर्धारण के लिये २४०० या ३६०० या ४२०० की आमदनी आदि की बात रखी है यह सोचने की बात है मैं समझता हूं, नेता लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं, इतनी प्रतीक्षा की जा सकती है अन्तिम रूप से निर्धारित करने से पूर्व । इसके साथ-साथ जो एग्जेम्प्शन धारा (ई) में दिया है मैकेनिकल फार्मिंग, एफिशियेन्ट फार्मिंग करने वालों को अधिक भूमि देने के लिए सोचा जा सकता है, इसके बारे में प्रवर समिति क्या व्यू ले लेकिन मैं समझता हूं यह बात अनुपयुक्त होगी । भूमि वितरण के साथ-साथ किसी भी प्रकार का "इफ" और "बट" लगाना उचित नहीं होगा । सबको समान अवसर देना चाहिये । मैं कभी भी उपयुक्त नहीं समझता कि एक व्यक्ति जिसके पास परम्परागत बहुत से रुपये रहे हैं और जमीन रही है उसने कुछ ट्रेक्टर या दूसरी मशीन खरीद कर बहुत सी भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है, आज उसको फिर मौका दिया जाय कि हजार दो हजार या पांच सौ बीघा जमीन दबा कर रखी रहे क्योंकि उसके पास मशीन है ।

मैं समझता हूं कि यह तो किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा कि जो मशीन का अधिक उपयोग करने वाले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इतनी मशीन रख सकते हैं, वे हजारों बीघा जमीन पर कब्ज़ा रखे और दूसरी ओर एक गरीब किसान है, जो एक दो बैल से खेती करता है, उसको ४०, बीघा, ५० बीघा और १०० बीघा तक जमीन का अधिकार मिले । मैं समझता हूँ यह असमानता होगी । इसलिए मैं तो इस बात को अभी से कहना उचित समझता हूं कि कोई भी भेद-भाव न रखा जाय कि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, जिनके पास एफीशियेन्टली मैनेज्ड फॉर्म्स हैं, उनके लिए अधिक भूमि छोड़ी जाय और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कम भूमि छोड़ी जाय । यह असमानता और भेदभाव है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें इस प्रकार का परिवर्तन करना अवश्य लाजिमी है, जिसको अवश्य किया जाना चाहिए । जिस मन्शा को लक्ष्य में रख कर इस कानून को बनाया जा रहा है, वह इससे पूरी नहीं होगी । इसलिए जहां मैं एक ओर उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जिसमें इसको जनमत के लिए भेजने के लिए कहा है, क्योंकि जनमत का सवाल कहां है । जनमत चार पांच साल से मालूम हो रहा है, जब से सीलिंग कमेटी बनी तब से जनमत लिया गया और सीलिंग निश्चित की । यह देखा गया कि एक तहसील में इतने एकड़ जमीन है और दूसरी तहसील में इतने एकड़ जमीन है । मैं समझता हूँ कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसको पढ़ने से भली-भांति ज्ञात होता है कि उस समिति में जो सदस्यगण थे, उन्होंने काफी मेहनत की है, सब जगह की स्थिति का अध्ययन किया है और उन्होंने रिपोर्ट काफी अच्छी लिखी है, इसमें कई तथ्य प्रस्तुत किये हैं । इसलिए इसके लिए अधिक समय देना और इसे जनमत के लिए प्रसारित करना, मैं समझता हूँ उन लोगों के प्रति अन्याय होगा, जो कि उस लाभ के लिए लालायित हो रहे हैं । मुझे एक बात याद आ जाती है, जिस समय स्वतन्त्रता के संग्राम में हम लगे हुए थे, पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अंग्रेज हमेशा कहते हैं कि क्या जल्दी है स्वराज्य की, कुछ दिन ठहरो, स्वराज्य मिल जायगा, यह समस्या हल होने दो, वह समस्या

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हल होने दो। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप यह बात बड़े-बड़े डॉक्टरों को कह सकते हो, बड़े-बड़े वकीलों को कह सकते हो, जागीरदारों और जमींदारों को कह सकते हो, उनको कह सकते हो जिनको खाने-पीने की चिन्ता नहीं है, लेकिन लाखों और करोड़ों की संख्या में जो गरीब किसान हैं, जिनके पास आज खाने के बाद कल के लिए खाना नहीं है, उनको कहें कि स्वराज्य का इन्तजार करो, तो वह तबका इस बात को सुनने को तैयार नहीं होगा और जितना संघर्ष आज कर रहे हैं, उससे ज्यादा करेंगे। आज मैं कहता हूँ कि इसको विलम्बित करना उचित नहीं है। जो लोग भूमि से बहुत कुछ लाभ उठाते रहे हैं, जिन्होंने यह समझ लिया है कि भूमि हमारी है, हमको परम्परागत रूप से मिली है, मैं समझता हूं कि परम्परागत अधिकार हैं वे खत्म हो चुके हैं। आज तो जो आदमी अपने हाथों से, अपने श्रम से, अपने शरीर से जितना भी कमायेगा, उसका उपभोग करने का अधिकारी है। केवल इसलिये कि पिता पितामह की ओर से कोई चीज मिली है, वे समझते हैं कि चार, छः, आठ महीने तक और आगे बढ़ने पर न जाने क्या स्थिति हो, कुछ न कुछ दिन और भोगेंगे। वे इस बात के लिए जनमत में प्रसारित करने के पक्ष में हो सकते हैं लेकिन मैं उन किसानों की ओर से बोल रहा हूं जिनके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो लालायित हैं, वे हमसे पूछते हैं, भूमिहीन हरिजन लोग पूछते हैं कि कब आपका कानून बनने वाला है, जिससे ऊंची से ऊंची जमीन की सीमा निर्धारित होकर हम गरीबों को वह जमीन मिलेगी। उनको अक्सर कहा जाता है कि अब की अधिवेशन आने दो, विधान सभा का अधिवेशन आने दो, उसमें यह पास हो जायगा। अब हम उनसे कहेंगे कि लोकमत जानने के लिए यह कानून प्रसारित किया गया है, चार, छः महीने में, मैं समझता हूं धैर्य का बांध टूट जायगा इसलिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय क्योंकि इसमें कुछ धारायें हैं, जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए। जो लोकमत जानने के लिए प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जिन सदस्य महोदय ने प्रस्ताव रखा है, वे इसको वापिस लेकर प्रगतिशीलता का परिचय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष आज विचारधारा यह चल रही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का जो सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल है, जो सीलिंग के सम्बन्ध में है, इसके लिए जो विचारधारायें चल रही हैं. वे दो विचारधारायें है, एक तो यह कि इसे सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, दूसरी तरफ से यह विचारधारा है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। अगर ठीक ढंग से सोचा जाय तो मैं दोनों विचारधाराओं में कहीं विरोध नहीं देखता। मैं यह समझता हूं कि जो सीलिंग बिल को सलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहते हैं और जो पब्लिक ओपिनियन के लिए ले जाना चाहते हैं, वे दोनों ही डिले चाहते हैं। उन दोनों की कोशिश यह है कि इसमें कुछ डिले हो, ताकि कौन से तरीके हो सकते हैं, यह सोच सकें और अपनी जमीन को रख सकें, यह तरीका अपनाया जा रहा है।

(श्री मदनसिंह)

आज प्रगतिशील लोग, कांग्रेस के नेता लोग को कहना चाहिये था कि इस बिल को अभी लिया जाना चाहिए, कानून को अभी बनाना चाहिए। लेकिन एक नया सुझाव दिया जा रहा है कि सलेक्ट कमेटी में इस बिल को जाना चाहिए और दूसरी ओर कांग्रेस की ही तरफ से कह रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। इन दोनों में कोई विरोध हो, ऐसा मैं नहीं मानता। सीलिंग का कानून आज से पहले भी रेवेन्यू मिनिस्टर-साहब ने पास करा दिया है, केनाल एरिया में खातेदारी खत्म करके सीलिंग तजवीज कर दी है। कल एक विचारधारा चल रही थी कि जिन्होंने १६५५ में काश्त किया है वह रह जायेंगे। यह क्या है, सीलिंग नहीं है तो क्या है? आज कांग्रेस में विरोधी विचार-धारायें चल रही हैं, एक पक्ष कहता है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए जाना चाहिए और दूसरा पक्ष कहता है कि सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, यह डिलेइंग टेक्टिक्स हैं।

(हंसी)

मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी में देने से क्या होगा, उसमें एक साल लग जायेगा। क्योंकि इसमें समय नहीं बताया। इस बीच वे सोच सकते हैं कि किस हद तक ट्रेक्टर आदि रखें कि जमीन रह सके। लेकिन काश्त-कारों का नाम लिया जाता है, काश्तकारों की दुहाई दी जाती है। अगर वास्तव में आप प्रगतिशील हैं, काश्तकारों का भला चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आज दो बजे इसे पास हो जाना चाहिए क्योंकि विधान सभा की बैठक का आखिरी टाइम था। इसलिए जबर्दस्ती काश्तकारों की दुहाई दोनों तरफ से दी जा रही है, मैं समझता हूं कि आज इस कानून में यह होता कि २४०० रुपये की इन्कम किसी की भी हो, उससे बड़ी इन्कम वाले काश्तकार नहीं हो सकते। ऐसी चीज होती तो उसके लिए कुछ विचार कर सुझाव दे सकते हैं लेकिन दोनों तरफ से काश्तकारों का नाम लिया जाता है, इस प्रकार दोनों तरफ से डिलेइंग टेक्टिक्स की जाती हैं। जब भी किसानों के सम्बन्ध में कानून आये, विरोधी दल की तरफ से सीलिंग की मांग की गई। लेकिन अगर इसे सलेक्ट कमेटी में भेज दें तो काफी टाइम बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। माननीय सदस्य कहते कि इसमें टाइम निर्धारित होना चाहिए, जल्दी से रिपोर्ट पेश करें। अब सेशन बन्द हो जायगा और सलेक्ट कमेटी जैसी चलती है वैसे चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि यहां से जाने पर काश्तकारों को कहा जायगा कि सीलिंग आ रही है, अब जमीन का बटवारा हो जायगा। मैं समझता हूं कि आप नतो विनोबा भावे के सिद्धान्त को अपना रहे हैं, न महात्मा गांधी के सिद्धान्त को अपना रहे हैं और न पण्डित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धान्त को अपना रहे हैं! उनका सदन के अन्दर नाम लेकर, काश्तकारों का नाम लेकर, मैं समझता हूँ, एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में किसानों के प्रति वफादार हैं तो आज सीलिंग आ जानी चाहिए, बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करता हूं और पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजने का भी विरोध करता हूं। अगर आपको जमीन का काश्तकारों में बंटवारा करना है, तो कई कमेटियों की रिपोर्ट हो चुकी हैं, सीलिंग के सम्बन्ध में दुनियां में वक्तव्य हो चुके हैं,

(श्री मदनसिंह)

रिपोर्ट आ चुकी है, आपके सामने कौन सी कानूनी अड़चन है ? अगर कोई अड़चन हो तो असेम्बली में चार घण्टे और बैठ कर बहस कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को आज खबर मिलती कि इस विधान सभा के अन्तिम टाइम में सीलिंग का कानून पास हो गया है, इससे मैं समझता हूं, कि बड़ी खुशी होती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजने से, पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजने से ज्यादा टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि सलेक्ट कमेटी में निश्चित रूप से इसलिए जा रहा है कि सीलिंग के सिद्धान्त कैसे निर्धारित हों कि अपनी जमीन को बचा लें, नेताओं की जो अच्छी जमीनें हैं उनको कैसे बचायें, इसकी तजवीज करेंगे। लेकिन अब जमीन बचेगी नहीं, क्योंकि दूसरे कानून लागू हो चुके हैं, जिनके द्वारा जमीन बचेगी नहीं। इसलिए सलेक्ट कमेटी में ले जाकर, असेम्बली में विचार करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सलेक्ट कमेटी और असेम्बली ने राय दे दी है। मैं समझता हूं कि आप जमीन को हड़पना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है। इससे काश्तकारों को जमीन मिल नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट अपनी राय से तय करेगी कि किसकी जमीन रह सकती है, कौन सी अच्छी जमीन काश्तकार को दी जाय। जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक काश्तकार को दिया जाता है, वह काश्तकार को मिल सकता है यह सम्भव नहीं है... जहां कैनाल एरिया के अन्दर जमीन सैकड़ों वर्षों से बेचारे काश्तकार काश्त कर रहे थे, उनको छुडाया जा रहा है, वहां भी सीलिंग के जरिये पूंजीपतियों को जमीन मिलेगी। मैं अभी वहां जा कर आया हूँ, वहां पूंजीपति धड़ाधड़ जमीन खरीद रहे हैं। यह जो सीलिंग टाला जा रहा है, यह पूरा ढोंग है, किसानों को धोखा है। इसलिये यह आज ही पास हो जाना चाहिये, न पब्लिक ओपिनियन के लिये जाना चाहिये और न सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, इसके लिये रूलिंग हो गया है कि जो सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं वे नहीं बोल सकते।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह रूलिंग नहीं है...

These are observations...

श्री उपाध्यक्ष : Let me refer whether the Hon'ble member is on the iist or not.

(interruptions)

Order ! Ordar Please !!

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Sir. There is no such rule in our Rules of Proc-edure. After the Select Committee has given its report one member without a note of dissent will not speak in the House. But when such criticisms are being levelled by the opposition members and other member has a right of reply. Other members are remarking that it is a delaying tactics and so on...

श्री उपाध्यक्ष : I have understood the point. No member who is a member in the Select Committee will participate in the debate. If he at all wants to participate in the debate, he is free to withdraw himself from the Committee. These are the observations of the Hon:Speakar and I corroborate them.

श्री श्री भानसिंह : He has not given a rulingt hat members will not speak.

श्री उपाध्यक्ष : He has given a ruling and I am also supported by the observations of the Speaker Lok Sabha which I cite here–

"The rule is that no Member who is willing to serve in the Select Committee should participate in the debate. But if any Member feels that he or she must make observations at this stage, he or she is free to withdraw from the Select Committee. I am afraid I cannot make an exception even in fovour of a Minister."

To that extent it goes. So I am not in a position to allow the Hon: member to participate in the debate.

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Anup Singh.

श्री अनूपसिंह : My name is also there,

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : On a point of order Sir. I wanted to say something in connection with the right of members to speak whether it is open to the members to speak in the House or not, or to join the Select Committee or not...

एक माननीय सदस्य : On a point of Order sir

श्री उपाध्यक्ष : No point of Order please. There is already one point of order here-There cannot be two point of orders at a time. Yes. Please contínus.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : I wanted to kuow Sir whether any such observation of Lok-sabha can bedt taken as a Ruling. bec ause unless the motion (to fefer the Bill to Select committee) is adopted dy the House finally, the Honble member is not aware whether the motion is to be passed, and he cannot be debarred from speaking. So I wanted to know Sir, whether these observations of this Chair whether they will be in consonance with equiry and of judicious nature on the right of memberes to speak on the motion

श्री उपाध्यक्ष : I stick to the practice of Lok-Sabha and the observation given bby he Speaker, Lok-Sabha. Now I have got only one option. If any Honble member withdraws from the membership of the Select committee I will give him a chance to participate in the debate.

श्री शिवनाथसिंह (गुढा): But where is the Select Committee?

श्री उपाध्यक्ष : The only questiou before you is whether you are wiling to withdraw ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : There is no Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have given my observation. I have already put an option before the Honble Member There is a tantative list of the Members and the amendment is here If you are willing to withdraw then only you can speak.

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : If this is the opservation. I don't want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Mohar Singh: But are you sure, that your name is not there ? Let me refer to the list.

श्री मोहरसिंह (चुरू) : I am sure माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आया है जिसका असर एक बहुत बड़े तबके पर पड़ने जा रहा है। सीलिंग, सीमा की हदबन्दी, जिससे मैं समझता हूं केवल किसान वर्ग ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि कुल मिला कर सारे देश के ऊपर सारे प्रान्त के ऊपर जिसका असर पड़ने जा रहा है, सारी आबादी पर, सारी जनता पर असर पड़ने जा रहा है, यह वह महत्वपूर्ण बिल है। जिस पर बहुत सोच-समझ कर निर्णय लेकर कानून के रूप में इसे परिणत करके लागू करना है।

वास्तव में समाजवाद के अन्दर यह जरूरी है कि एकाधिकार और इतना एकाधिकार जिससे दूसरों का शोषण हो वह रोका जाना चाहिये। प्रगतिशील सरकार कहलाने के लिये, या प्रगतिशील कानून दुनियां कहे, इसके लिये यह निहायत जरूरी है कि सीलिंग हो। लेकिन इस समय जिस तरीके से यह सीलिंग लाई जा रही है, उसके अन्दर थोड़ा सा मेरा मतभेद है। एक तरफ से यह प्रस्ताव ट्रेजेरी बैंचेज की तरफ से रखा गया है कि सिलेक्ट कमेटी में यह अमेंडमेंट बिल पेश किया जाय। वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, यह निहायत जरूरी चीज है, इस पर सिलेक्ट कमेटी में विचार होना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार करते समय सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य मैं जो विचार प्रकट करना चाहता हूँ, उन पर ध्यान रखें। मैं जो विचार प्रकट करूं सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार करते समय उन बातों को भी ध्यान में रखा जाय। इसलिये मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ और इसको सिलेक्ट कमेटी में रखने का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं।

वास्तव में इस सीलिंग का सम्बन्ध उन लोगों से है जिनके पास में ज़मीन काश्त के अलावा भी है, उन लोगों से भी इस बिल का सम्बन्ध है जिनके पास ज़मीनें कतई नहीं हैं और इसका सम्बन्ध उन लोगों से भी है जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है पर गुज़र लायक ज़मीन नहीं है और कुल मिला कर इसका सम्बन्ध सारे राजस्थान की जनता से, इस प्रान्त से हैं। आज देश के अन्दर खाद्य समस्या बड़ा विकट रूप धारण किये हुए है, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हमें इस चीज़ के ऊपर-बहुत गम्भीरतापूर्वक अच्छे ढंग से विचार करना है।

मैं समझता हूँ इसमें कमियां रही हैं। जहां तक टिनेन्सी का सम्बन्ध है और किसी चीज का समावेश इसमें हो नहीं सकता, पर इसके साथ साथ ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से आश्वासन के तौर पर इसमें होना आवश्यक

(श्री मोहरसिंह)

है कि हम सारी आमदनी का सीलिंग करने जा रहे हैं। एक वर्ग जिसका नाम किसान है उसके लिये तो सीलिंग कायम किया जा रहा है दूसरी तरफ आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहें उन पर कोई सीलिंग नहीं। यह तो एक चीज़ है। यह चीज हमारे दिमाग में खटकती है। इसका असर हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ता है कि एक वर्ग के लिये आप सीलिंग कायम करते हैं और दूसरे लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने और आय बढ़ाने पर कोई सीलिंग नहीं रखते। जहां पर गवर्नमेंट अपने आपको किसान हितैषी कहती है वहां हम देखते हैं कि वस्तु स्थिति के साथ में दूसरी चीज़ है। वास्तव में मैं यह विचार रहा हूं कि जहां यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारी सरकार और हमारा शासन किसान हितैषी शासन है और किसानों के हित की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत से सुनने वाले माननीय सदस्यों को यह सुनने में अच्छा लगता है मगर मैं यह कहूंगा कि वास्तव में किसान हितैषी होनेवाली हमारी सरकार जहां यह प्रश्न आता है खाद्यान्न का वहां अनाज २७) मन या २८ रु० मन हो गया है गेहूं की यह समस्या है कि आज उसका भाव बहुत तेज है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस कारण विरोध होता है कि किसान ज्यादा पैसा लेता है। अब प्रश्न उठता है कि विरोध होता है, होता होगा। जो लोग बिचौलिये हैं वे ज्यादा फायदा उठाते हैं और किसान का शोषण करते आ रहे हैं यह कहां तक बरदाश्त किया जा सकता है। किसान खेत पर मेहनत करता है उसके पास आज दो पैसे ज्यादा पहुंचते ; तो वे लोग विरोध की भावना रखते हैं तो रखा करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान की मेहनत का पैसा किसान को मिले। अब यह समस्या पैदा होती है कि जनता गरीब है उसके लिये, वे गेहूं कहां से खरीदें। इसके लिये मैं यह कहूंगा और यहां पर इस बात की दलील देता हूं कि पहले किसान का १०) रु० मन गेहूँ था उसका भाव १० या १२ रु० मन न होकर १८) रु० मन है। इससे उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग तो बढ़ा है। मगर इस पर कोई विचार नहीं करता। अब एक सवाल और पैदा होता है कि जिन लोगों को आमदनी कम है और छोटे कर्मचारी हैं वे चीजों को कैसे खरीदें। इसका भी एक इलाज है। मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेन्ट किसान हितैषी होने का दावा करती है मगर उसने किसानों के हित के लिये कोई कदम नहीं उठाये कि किसानों को कितना लाभ मिलना चाहिये। सरकार जो राजकर्मचारी है उनका तो डी. ए. बढ़ जायगा। उनके लिये सस्ते अनाज की दुकानें खुल जावेंगी और उन पर गवर्नमेन्ट कुछ पैसा खर्च करेगी। इसके अलावा कई लोगों को सरकार ने जो हजारपति से उनको लखपति बना दिये और लखपति से करोड़पति बनाये हैं। मगर उनसे आज कुछ नहीं लिया जाता है उनको छूट दी जाती है। आज किसानों को चूसा जा रहा है। मगर मैं यह कहूंगा कि पैसा तो जहां होगा वहीं से पैदा होगा। मैं यह कहूंगा कि पानी तो वहीं से निकलेगा और उसी कुंए से आएगा जहां पानी होगा। मैं खुद यह चाहता हूं कि जिनके पास आमदनी कम हो उन लोगों को सस्ते अनाज दिये जाये जाने चाहिये, और उसके लिये सस्ते अनाज की दुकानें खुलनी चाहिये मगर इसकेलिये यह तो नहीं होना चाहिये कि किसान का गला काटा जाए।

(श्री मोहरसिंह)

किसान का तो नहीं काटा जाना चाहिये। मगर होता यह है कि किसान का गला ही काटा जाता है यह चीज मैं कई दिनों से नोट करता आ रहा हूं वही मैं आज हाउस के सामने रख रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक चीज है। सब से पहले किसानों को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि उनका गला नहीं काटा जाएगा। क्यों कि किसान का बहुत बड़ा वर्ग है। किसान पढ़ा लिखा भी नहीं होता, बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। किसान ने देश की आजादी के लिये भी कुर्बानी की है और अपूर्व त्याग किया है और यह सब कुछ करते हुए भी, वह आज भी करने के लिये तैयार है मगर आज जो कुछ किसानों के लिये हो रहा है उसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा। आप सीलिंग ला रहे हैं मगर उसके अन्दर उचित और अनुचित का ध्यान भी रखा जाना चाहिये कि इतने दिनों के बाद शहरी जायदाद का भी सीलिंग हो जावेगा। एक तरफ सीलिंग की बात कही जाती है मगर दूसरी तरफ आप २५००) की तनख्वाह देते हैं। आपको तो यह कहना चाहिये कि १००) या १५०) से कम किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। आप एक तरफ तो ऊपर वाले लोगों को लखपति और करोड़पति बना रहे हैं और उनको ३० लाख का और भी अनुदान दिया जा रहा है उनके लिये कोई सीलिंग नहीं। इसका कारण यही है कि वे बोलना जानते हैं। रिप्रेजेन्टेशन करना जानते हैं। मगर किसान बोलना नहीं जानता। इसलिये यह कहा गया है कि अगर उनके लिये आप सिलिंग मुकर्र करते हैं तो शहरी जायदाद के लिये भी सिलिंग मुकर्र किया जावे! आप एक तरफ गरीब को ज्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं। और अमीर को ज्यादा अमीर। एक अर बपति, खरबपति बनता जा रहा है और लखपति करोड़पति बनता जा रहा है। एक तरफ आप लोगों को २५००) रु० की तनख्वाह दे रहे हैं तो एक तरफ गरीब राष्ट्र के गरीब कर्मचारी बहुत कम तनख्वाह पाते हैं और रोटी रोटी के लिये उनके बच्चे तड़फते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि १००) से कम तनख्वाह पानेवाले व्यक्ति नाज के लिये लाइन में खड़े घन्टों तक अपना समय बरबाद करते रहते हैं।

एक तरफ आप यह कहते हैं कि हमने किसानों केवल फेअर के लिये को जमीन दी है। जहां पर आपने जमीने दी है। मैंने जाकर देखा है। आपने उनको किस प्रकार की जमीने दी है और किस प्रकार से वे जमीनें दी जा रही है यह आप भी जानते हैं। मैंने गंगानगर में जाकर देखा है। मैं वहां होकर आया हूं और सब देख कर आया हूं। वहां पर जिस प्रकार से लोगों को तड़फाया जा रहा है उसको आप जानते हैं। उनसे नाक से लकीरें खिचाई जाती है उनसे लिखवा कर लिया जाता है और कहलाया जाता है कि हम तो आपके चाकर हैं और हमेशा के लिये चाकर रहेंगे। उनसे मुंह से ही नहीं कहलाया जाता मगर उनसे कार्य रूप में परिणित कराया जाता है। उनको बड़ी मुश्किल से बहुत जलील करके ५ या १० बीघा जमीन दी जाती है। फिर आप यह कहते हैं कि आपको इस बात का ख्याल है कि जमीन बेकार न पड़ी रहे। वास्तव में जिस जमीन में वृक्ष वगैरा हैं उनको काट कर जमीन कल्टीवेशन के लिये प्रयोग में लाई जावे और कल्टीवेशन बढ़ाया जावे और उन लोगों को वह जमीन दी जावे जिनके पास जमीन नहीं है। इसके साथ साथ

(श्री मोहरसिंह)

हमको यह भी देखना होगा कि आज अनाज की बहुत कमी है और लोग भूखे हैं अनाज की कमी की वजह से जमीन की भूख है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री से उस समय की याद दिलाना चाहता हूँ सन् ६५, ६६ की बात, उस जमाने को याद रखिये, उस समय को शायद याद नहीं हो मगर जिस समय १८ सेर सेर का नाज बिक रहा था उस समय राजाओं का जमाना था और किसानों को किस प्रकार से अपने लगान को चुकाने के लिये दूसरो से व्याज देकर कर्जा लेना पड़ता था, वह सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिये। नाज की पैदावार बढ़ाने के लिये लोगों को खेती करना चाहिये मगर किसान दूसरों के खेतों में मेहनत करता और जमीन उनके पास में नहीं थी। उन्हें जमीन आखिर हमें देनी है। लेकिन जमीन उसको देनी है जो जमीन काश्त कर सके। जमीन उसको देनी है जो जमीन काश्त करनाजानता हो, जो प्रोडक्शन बढ़ाना जानता हो। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से लोग आये और उन लोगों को हिसार जिले में शिफ्ट किया गया, आसपास की जमीनें उनको अलॉट की गई। जमीन तो दे दी गई लेकिन उन्होंने वहां जाकर २० सेर बीघा के हिसाब से ही डाल दिया, कैसे उगे वह, आखिर दूसरे साल छोड़ कर चले गये। यह सीमा के बाहर की बात है। लेकिन इस समस्या को मैं मानता हूं कि लैंडलैस को जमीन देनी है और उस जमीन से देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन समस्या में बहकर समस्या का ध्यान रखेंगे यह खास चीज नहीं है। दूसरी चीज जरूरी है वह यह भी है कि वास्तव में घाटे का सौदा खेत न रहे, इस ओर भी ध्यान देना है एक तरफ सीलिंग बांधी जा रही है २४००) रु० । मैं समझता हूं कि राजस्थान भर के इलाके की जनता पर इसका असर नहीं होने वाला है। यदि कहीं कपी की बात हो, कहीं गड़बड़ी की बात हो तो उसको दूर कर देना भी हमारा फर्ज है। इसके लिए वास्तव में २४०० रुपया सीमा बांधना, इसको किस प्रकार से केल्कुलेट किया, यह भी मेरे समझ में नहीं आया। किस प्रकार से २४०० रुपया की आमदनी आंकी गई, किस प्रकार किसान काम चला सकेगा, वह अपने स्टेन्डर्ड को मेन्टेन कर सकेगा ? किसान मेहनत करता है ? जमीन काश्त करने करने वाले के पास जाय यह उसूल रखना है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। अगर इसमें कोई दो मत रखना चाहेगा तो फिर वह तो शोषण होगा, ट्रेक्टर वगैरह से नहीं लेना देना है, यह भी ध्यान में रखना है। उस काश्तकार के लिए रखा गया है २४००) २४००) की एक हद मुकर्रर है। सुनोजी २॥ हजार रुपया माहवार लेते हैं उनके लिए कोई हद नहीं लेकिन किसानों के लिए एक हद मुकर्रर की है, २४००)। २००) महीना। मैं आपको बताऊं कि पिलानी में एक लड़के को भेजिये, मेरे पास में पिलानी कॉलेज है इसीलिए मैं उसका जिक्र करूंगा, १००) एक लड़के के ऊपर खर्चा आता है। जिसके चार बच्चे हों, अगर वह दो बच्चे को पढ़ाना चाहता है एक लड़का और एक लड़की, यदि यह कहा जाय कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है तो फिर मैं समझता हूं कि आधे ही रह जवेंगे लेकिन लड़के और लड़की दोनों को पढ़ाना है। उसके लिए कम से कम सौ रुपया ही मानिये। यह भी १० महीने के पढ़ाई के है तो समझ लीजिये कि १ हजार रुपया तो साल का महज पढ़ाई का लगेगा। या तो यों कह दीजिये कि चार क्लास ही पढ़ा दें और हमें

(श्री मोहरसिंह)

वोट देने से महरूम रह जाओ। इसके बाद जब किसान ज्यादा मेहनत करता है तो यह भी उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसको अच्छा खाने को मिले, उसका पोषण हो अच्छा कपड़ा मिले। यदि यह सिद्धान्त रखना है कि लैंड टू दी टीलर, तो साथ में यह भी मान कर चलना होगा कि जो जितना कमाता है उसको वह उतना ही उपभोग करने का हकदार है और यदि यह सिद्धान्त किसानों के साथ न रहेगा तो यह अच्छा नहीं है। किसान की थोड़ी सी कमाई पर सीलिंग बांध देना, हदबन्दी बांध देना वह न्यायोचित कभी नहीं कहा जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी चीज यहां और पेश करना चाहता हूं यह सारी रिपोर्ट मैंने देखी है। छठा अमेन्डमेन्ट आया वह भी मैंने देखा है। मैं एक इलाके में घूम कर आया हूं। उसके लिए बता दूं कि राजस्थान में वह थोड़ा सा खाता पीता इलाका है। जहां पर किसान इन्सान की तरह रहते रहे हैं, रोटी उनको मिल जाती है, पहनने को कपड़ा मिल जाता है। वह इलाका है गंगानगर। इसका सीलिंग मैंने देखा। एक तरफ यह कहा गया कि एकड़ सिंचित जमीन तीन तीन एकड़ असिंचित जमीन के बराबर। उधर ६२ और इधर १५। पांच मिल जाते वह भी काट दिया। दरअसल यह किस प्रकार केल्कुलेशन किया गया, किस प्रकार से हिसाब लगाया गया, किस प्रकार से किसान की किस्मत का फैसला करने चली हैं सरकार और अमेन्डमेन्ट में किस प्रकार से ये चीजें मौजूं हैं। प्रगतिशील कहलानी वाली सरकार के ट्रेजरी बैंचेज को इसको सोचना है और अन्य सब भाइयों को भी सोचना है। वहां पर रखी है १५ एकड़ जमीन कितनी आमदनी उसमें होती है, क्या हिसाब लगाया? जिसने हाथों से हल जोता है, जो मेहनत करता है, उसको कितना परिश्रम पड़ता है. उसके अन्दर उसका कितना एग्रीकल्चरल एक्सपेन्सेज होते हैं और कितना उसके पास नेट बचत रहता है? जिनको इस बात का अनुभव नहीं है उन्होंने वहां १५ एकड़ जमीन रखी है। १५ में से कितनी सिंचित होगी? अगर दो चार बीघे का रोटेशन नहीं रखेगा तो दूसरे साल पूरी आमदनी नहीं होगी। इसलिए उसमें से रोटेशन भी रखना पड़ेगा। पानी के कारण अनकमान्डेन्ड रह जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर चार एकड़ निकाल देने के बाद ११ एकड़ उसके पास बच जाती है। किसान १८ घंटे मेहनत करता है उसको खाने को भी चाहिये, अगर वह दूध सेवन न करेगा, दही छाछ उसको नहीं मिलेगा तो किस तरह से परिश्रम कर सकेगा और अपने शरीर का पोषण कर सकेगा, गुजर बसर कर सकेगा। इस तरह से १५ में से चार एकड़ चले जाने पर ११ रह जाते हैं और एक एकड़ उसको चारे के लिए चाहिये, कुछ रजवाये भी निकालने पड़ते हैं, इस तरह एक एकड़ उसमें चला जाता है। ११ में से दो और निकाल दिये तो अब ९ बचे। जमीन में खेती बोई। ५७ आदमियों का परिवार मानिये; जिसमें से एक मर्द, एक औरत, चार पांच बच्चे, कुल मिलाकर ७ का परिवार मानें, खेत में काम करने वाले कितने होते हैं? यदि औरत जाकर खेत में बैठ जाती है तो दूसरा जो घर का काम है वह रह जाता है, इसलिए औरत खेती में पूरा टाइम नहीं दे पाती। इसलिए उसके लिए किसी हैल्पर को रखना पड़ेगा और उसको फाइनेन्स उस किसान को जोकरना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिला कर

(श्री मोहरसिंह)

२,२।। आदमी उस खेती में काम करेंगे। हैल्पर को पचास साठ रुपया मेहनताना देना पड़ेगा, उसका पेट कटता रहेगा तो उसका काम नहीं होगा। इस तरह से कुल मिलाकर चार एकड़ जमीन उस खर्चे में निकल गई। जब बची पांच १५ एकड़ में से पांच एकड़ की आमदनी गंगानगर के इलाके के किसान

(हंसी)

के पास बचेगी। पांच एकड़ का कितना हिसाब लगावेंगे दो फसल में। कहीं ओले पड़ जायं, कहीं फसल नष्ट हो जाय। पांच एकड़ में १२ मन की एकड़ के हिसाब से गेहूं समझ लीजिये ओले वगैरह का अलग है। इस तरह से पांच एकड़ में ६० मन गेहूं बचता है उस किसान के पास जो गंगानगर का रहने वाला है। फिर यह भी समझ लीजिये कि २७ रुपया मन गेहूं या २८) मन गेहूं है तो ६) और ज्यादा से ज्यादा १५) लगान समझ लीजिये। उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। इस तरह से उसके पास ८४०) के करीबन उसकी आमदनी हुई। उसमें और वह मकान बना ले, उसमें शादी कर ले, बहिन बेटियों को दहेज दे दें।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कांग्रेस को चन्दा दे दें।

श्री मोहरसिंह : उसमें लड़कों को पढ़ा ले, जिन्दगी का स्टेन्डर्ज बढ़ा ले, समाजवाद में प्रगति कर ले।

यह है असली हिसाब जिसको मैं अच्छी तरह से बता सकता हूं। मैंने इसका खूब हिसाब लगाया है। जो खाते-पीते किसान हैं उसके ३१७ चीजें घर में होनी जरूरी हैं। अगर मुझसे कोई पूछे, कोई पूछे कि क्या-क्या हैं, खेती से लेकर शादी तक खाने के बर्तन वगैराह को बता सकता हूं और उस दृष्टि से किसान के घर में ३१७ चीजें चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहीं विस्तार में न चले जायं।

श्री मोहरसिंह : मैं जानता हूं कि इनको गिनाने में देर लगेगी और टाइम की बचत रखनी ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को अच्छी तरह से साबित कर सकता हूं। इस तरह के किसान का, यदि उसका बैल या ऊंट, जिसके जरिये से वह खेती करता है, मर जाय तो फिर मामला खत्म है। फिर आमदनी उसकी कितनी बचे? यह हाल है उपाध्यक्ष महोदय, इस अच्छे इलाके का! १५ एकड़ जमीन रखी है, पता नहीं उनका क्या और किस तरह का केल्कुलेशन है! माननीय राजस्व मंत्रीजी जरूर सफाई देंगे। लेकिन इस बात की चुनौती है, और चेलेन्ज है वे जितना किसान के बारे में जानते हैं, उससे कम मैं भी जानता। अगर फिर मौका मिलेगा तो साबित करके बताऊंगा। १५ में से ५ एकड़ जमीन आदमनी पाने वाला किसान को क्या नेट आमदनी रहती है और यदि उसका बैल और ऊंट मर जाय तो वह फिर आधी ही रह जाती है। इसका उन्होंने किस तरह से हिसाब लगाया है और इसको पेश किया है। आंख मींच कर इस पर दस्तखत करा ले तो आपकी खुशी है, बहुमत आपका है, मैं तो यह नहीं मानता कि किसान का इतना स्टेन्डर्ड आप मुकर्रर करें। सारी चीजों पर विचार करके जो बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है, जो माननीय सदस्य उसमें जा रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वे कहीं कोई कमी न रहने दें और अगर होगी

(श्री मोहरसिंह)

तो इस बिल को सोच और विचार करके अच्छे ढंग से हाऊस में उसको पास करना है। इन शब्दों के साथ में मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की कमी है उसको देखते हुए किसानों का ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तव में जो किसान हृदय रखते हैं वे जानते हैं कि किसानों के सामने क्या-क्या कष्ट हैं उनको किस तरह के कष्ट अनाज पैदा करने में उठाने पड़ते हैं! यह मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ अन्याय है फिर भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो जमीन फालतू पड़ी है उनको दी जाय ताकि दूसरों का शोषण न हो सके जो ज्यादा जमीन है जिस पर ट्रेक्टर चल रहे हैं। जिनके लिये आपने इसमें भी छूट दे रक्खी है उसको भी आप इसमें लीजिये एक आदमी को जिससे सैकड़ों बीघा जमीन ले रखी है और ट्रेक्टर से जो खेती करता है उस पर आप सीलिंग लागू नहीं करते यह अन्याय है वास्तव में जमीन उसकी होनी चाहिये जो हाथों से हल चलावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके सामने माइक है।

श्री मोहरसिंह : माइक नहीं हो तब भी मैं बीस-बीस हजार व्यक्तियों को सुना सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल : समाजवाद का नमूना बता रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : वास्तव में इस प्रकार से महनत मशक्कत करने वाले जो लोग हैं उन पर हम सीलिंग लागू करते समय उसके स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखें, यही मेरा निवेदन है और फार्म्स को भी इसमें शामिल करें यह मैं मानता हूं कि सीलिंग समाजवादी समाज रचना के लिए आवश्यक है और लगना भी चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ मैं ट्रेजरी बैन्चेज से यह भी आश्वासन चाहूंगा कि वे शहर की जायदाद पर बड़ी-बड़ी नौकरियोंवालों पर और जो जनता का शोषण करते हैं उन पर भी इसी प्रकार से सीलिंग लागू किया जायगा यह आश्वासन मैं ट्रेजरी बैन्चेज से चाहता हूं इन शब्दों के साथ यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इसका समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों तरफ से बहुत कुछ बातें कही जा सकती हैं। बड़ी कशमकश है जिन शब्दों में लेकिन एक बात साफ है और वह यह कि इस प्रकार की सीलिंग अगर लागू कर दी गई तो जिन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से अपने बड़े-बड़े फार्म बना रक्खे हैं, जो हजारों बीघा जमीन की धूल उड़ाते हैं और उस पर हजारों मन अनाज पैदा करते हैं अगर उन पर भी इस प्रकार की सीलिंग लागू कर दिया गया तो हमारा मन जो हजारों मन गल्ला देखकर हरा-भरा हो जाता है सीलिंग लागू होने के बाद वह फीका पड़ जायगा। इस रिपोर्ट में जैसा लिख दिया गया है मेकेनाइज्ड जो फार्म्स हैं उन मेकेनाइज्ड फार्म तक यह सीलिंग की आवाज नही पहुंच सकेगी। उसका दरवाजा बन्द है, यह एक बहुत बड़ी बात है सोचने की। बाग-बगीचों में जो पैदावार होती है उस पर सीलिंग नहीं। उस जगह भी सीलिंग नहीं पहुंचेगी जो जमीन डेयरी, फार्म के नाम पर ले रखी है, जिसमें सैंकड़ों बीघा जमीन है, जहां लोग दूध पी-पी कर मोटे-ताजे होते जा रहे हैं। यह सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है

(श्री मूलचन्द डागा)

अभी जब कि एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और बहुत जोर से बोल रहे थे वह उनकी आत्मा की आवाज थी वे किसानों की दिक्कतों को सही रूप में रख सकते हैं। हिन्दुस्तान में दो बातें चल रही हैं वे जो बोल रहे थे दिल की आवाज रख रहे थे वे माइक्रोफोन पर बोल रहे थे वे दस लाख आदमियों की आवाज को रख रहे थे। हम चाहते क्या हैं अब हमारे सामने कई प्रकार का सिस्टम नहीं है हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की। सीलिंग लागू होने बाद चीन ने जिस प्रकार तरक्की की, एक-एक एकड़ में सैकड़ों मन अनाज पैदा किया माओ-त्से-तुंग द्वारा सीलिंग लागू करने के बाद वहां पर जमीन का बंटवारा होने से वहां हजारों मन गल्ला पैदा हुआ है।

दूसरी तरफ अमेरिका में जहां थोड़ी सी जमीन है काश्तकार कम है, उस जगह पर भी थोड़ी संख्या में काश्तकारों के होते हुए भी हजारों मन अनाज पैदा होता है। डेनमार्क, स्विट्जरलैण्ड तथा और भी दूसरे देशों को, जर्मन, जापान को ले लीजिये, छोटी-छोटी इकाइयों में होते हुए भी काश्तकार हजारों मन अनाज पैदा करते हैं। इसी तरह का उदाहरण हिन्दुस्तान में भी, यू० पी० गवर्नमेन्ट का है। जब सीलिंग का मामला वहां आया तो वहां की सरकार ने जमींदारों से इस बारे में बात-चीत की और उनसे कहा कि इन जमीनों पर आय कर क्यों न लगा दिया जाय? इस प्रकार से तुम्हारी आमदनी को कम किया जा सकता। यह कमी हम इसलिये चाहते हैं कि मानव-मानव में जो धन के कारण भेद-भाव है उसको हम मिटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं इस प्रकार की बातें होनी चाहिये इससे कोई इन्कारी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और है इसका उद्देश्य क्या है? सीलिंग लगाने की धारणा यह भावना हमारे में क्यों पैदा हुई। हम इस बात की ओर क्यों ध्यान देना चाहते हैं, दुनियां में जो अमीर-गरीब की भावना है उसके अनुसार हम अमीर की अमीरी और गरीब की गरीबी मिटाना चाहते हैं। गरीब की गरीबी मिटाने का मतलब यह है कि जिन अमीरों की हड्डियां मांस के चर्बी बढ़ने से दिखाई नहीं देती जिन्होंने कभी रोटी और चना नहीं खाया उनको तो रोटी और चना खाना सिखाना चाहते हैं और जिस गरीब ने रोटी और चना खाकर जिसके शरीर पर चिकनाहट नहीं आ पायी है उस पर चिकनाहट लाना चाहते हैं सवाल तो यही है। मोटे आदमियों को दुबला और दुबले आदमियों को मोटा बनाये ताकि सर्दी में वह अपनी हड्डियों को बचा सके यह तभी हो सकता है जबकि उस पर चर्बी चढ़ गई हो। यही भावना सीलिंग की है। यही बात ध्यान में रख कर अर्बन एरिया मे भी सीलिंग लगाना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : चर्बी के लिये मत कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो एक सवाल, हमने श्रम की प्रतिष्ठा की है। सीलिंग का सिद्धान्त है श्रम की प्रतिष्ठा करना। आज हम इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव करते हैं। इस बारे में जो रिपोर्ट आयी है वह भी बहुत देर से आयी है उसके लिये नम्र शब्दों में अपनी बात को लिखते हुए इस कमेटी के सभापति, जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, आखिर में एक नोट लिखते हैं, हमें दुःख है कि हम इस रिपोर्ट को देरी से पेश कर रहे हैं। सारा सेशन ढ़ाई महिने का निकल गया, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है उस दिन इसे सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव

(श्री मूलचंद डागा)

किया जाता है इसका मतलब यह हुआ पांचव महिने और निकल जायेंगे। जिस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार होकर अब तक तो यह बिल पास हो जाना चाहिये था वहां हम अभी चार-पांच महिनों के लिये यह एक तलवार लटका रहे हैं ताकि जो लोग अपनी जमीन की तरक्की करना चाहते थे वे कर नहीं सकें। सीलिंग को रोक देना इसका मतलब यह हुआ कि जमीन की जो तरक्की करना चाहते थे के नहीं हो सकेगी क्योंकि किसान के मन में और जमींदार के मन में यह बात रहेगी कि न मालूम सीलिंग कितने का मुकर्रर हो। हम नहीं चाहते थे। अगर आपको सीलिंग लाना था तो असेम्बली में पहले पहल जिस दिन सैशन हुआ तो शुरू पहले दिन सीलिंग पर डिसकशन होना चाहिये था। हम चाहते थे जल्दी लागू हो यह। क्यों?

३ म० प०

हिन्दुस्तान में ८० प्रतिशत व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह खेती पर करते हैं। हम इसे जानते हैं। हम यह भी कहने में संकोच नहीं करते कि इसमें हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। हर चीज में नफा और नुकसान दोनों है। पर हम लाभ की मात्रा को अधिक रूप में देख कर इसको लागू करना चाहते हैं। इसमें लाभ अधिक है। हम समझते हैं आज हमारे यहां २४००) रुपया एक को मिलता है दूसरे को अगर २४ भी मिल जाता है तो सन्तोष कर सकेंगे। आज यह स्थिति है हमारे यहां। पर आखीर में बात यह भी है कि कितनी दलित और पिसी हुई जातियां हैं हिन्दुस्तान में जिनको पीसा गया है हिन्दू धर्म के नाम पर। यह एक लम्बी कहानी है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर इनका दोहन, दलन और शोषण किया गया। आज उन लैण्ड टिनेन्ट्स को जमीन का टुकड़ा मिलेगा, आज उन टुकड़ों को वह अपने अरमानों का खून करके भी सर सब्ज कर देगा। आप कह सकते हैं जापान में एक एकड़ में इतना होता है पर यहां उतना हो सकता है क्या? हमें इसको ध्यान में रख कर भूमि का बटवारा करना होगा।

हम भूमि की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसके कुछ सिद्धान्त हमने माने हैं। इकोनोमिक होल्डिंग का सिद्धान्त भी हमने माना है। आपकी सिलेक्ट कमेटी है। सीलिंग में कई बातें छिपी हैं। उन पर निर्णय हो रहा है। पांच-दस दिन महीना दो महीना लग सकता है। इन सब पर सलेक्ट कमेटी में ध्यान रक्खा जायेगा। राजस्थान में सीलिंग करने के लिए हमें तीन चार बातों पर मुख्यतया ध्यान देना पड़ेगा।

हमें उन लोगों को इसमें लाना होगा जो इस कानून के चक्कर से बचना चाहते हैं। सवाल एक ही है उनमें और पिसे हुओं में, टसक का। आर्थिक क्रान्ति हम लाना चाहते हैं। पर इसके नाम पर यह न कर बैठें कि उन लोगों को बड़े-बड़े फार्म्स पर आराम से रहने दें। एक ने मैकेनाइज्ड फार्म के नाम पर दो चार ट्रैक्टर लगा दिये और एक किताब पढ़ ली तो बस हो गया। मैकेनाइज्ड फार्म की जांच करने वाला कौन है। आज पंचायतों में भी क्या होता है। कोई गरीब, पर समझदार और बुद्धिमान काश्तकार, पंचायत में सरपंच नहीं हो सकता। सारे राजस्थान की पंचायतों की मैं कहता हूँ उनमें वही सरपंच आज भी होता है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा घर में दौलत है, ज्यादा

श्री मूलचंद डागा)

गाय, भैंस बैल हैं, । हमें तो आज उस पंचायत राज में भी गरीब काश्तकार को ऊंचा लाना है । दौलत का बंटवारा करना है । हमें गरीबी का बंटवारा नहीं करना है । अब सवाल मालदार और गरीब किसान का हो गया है । आज पंचायतों में भी यह हो गया है कि जिसके पास पांच छ: भैंसें हैं, दौलत है अधिक जमीन है और जो अपने चीफ पंचायत आॅफीसर को दूध पिला सकता है, जो हलवा बना कर उसको कटोरे में खिला सकता है वही सरपंच और उप - सरपंच बन सकता है । इस स्थिति को बदलना है । हम उन सरपंच और उप सरपंच को कहना चाहते हैं कि तुम्हारी मोटी गर्दन को देखकर हमें खुशी होती है पर दुबली गर्दन वाले को भी यहां बैठने दें । यह बंटवारा चाहते हैं । इसी के आधार पर सीलिंग का कानून बनाने जा रहे हैं । हम नहीं कहते कि मालदार किसान जिसका एक बेटा कमान्डर है, एक बेटा आई. ए. एस. या आर. ए. एस. है और कोई बेटा सेक्रेटरिएट में है और खुद कुछ भी नहीं करता पर अपने नाम पर गांव में जमीन लेकर भी बैठा है और उसको कायम रखने की कोशिश करता है । तो यह नहीं होने देंगे । जमीन उसकी ही रहेगी जो उसको जोते, स्वयं अपने हाथों से काम करे, मैकेनाइज्ड फार्म के नाम पर वे पलते रहें यह नहीं होने देंगे । हम अमीरी को बांटना चाहते हैं उनमें जो गरीब हैं । इस सिद्धान्त पर हमें सीलिंग को चलाना है तभी यह सफलीभूत हो सकेगा । इसलिये डेनमार्क का उदाहरण दिया । वहां की तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन का बंटवारा किया जावे । उनको किसान अपने अरमानों के साथ अपनी छोटी सी दुनियां बना सकता है । काश्तकार को मालूम कराना है कि तुम इसके मालिक हो । तब वह नये तरीकों के साथ, नये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से उस जमीन के टुकड़े को सरसब्ज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है ।

कमेटी में जाने से पहले दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक बात तो यह है आप उस दरवाजे को बन्द कर दें जिस से बड़े-बड़े फार्म कायम रहें । उन फार्मों का बंटवारा हो जाना चाहिये । अगर नहीं हो सकता और वैज्ञानिक आधार पर कह दिया कि इसको छूट दे दी जाय तो हमें इस मशीनरी को भी कम करना है, आदमियों को लगाना है, हमारे यहां आदमी बहुत हैं । आप फिर चाहते क्या हैं ? इधर तो विनोबा भावे घर घर, गांव-गांव घूम कर कहते हैं कि हमें मशीन युग को खतम करना है । और दूसरी तरफ आप मशीनों के आधार पर बड़े-बड़े फार्म लगाकर दूर बैठ कर शहर में बैठ कर आराम से अपनी खेती करना चाहते हैं ।

सिद्धान्त में एक सिद्धान्त अपनाना होगा । जमीन उसकी होगी जो धरती के ढेले से लेकर आखीर मिट्टी को पसीने से सींचनी चाहता है । हम यह नहीं चाहते कि कोई पैसे के बल पर मशीन के आधार पर दूर बैठा दूसरे काम करता रहे और इधर खेत का भी मालिक बना रहे । हम इस सिद्धान्त की भावना के विरोधी हैं । यह हमारी सीलिंग की मंशा के खिलाफ बात है । यह सीलिंग की हत्या करना है और इस एक्ट की मंशा की हत्या करना है । जहां ३६ करोड़ व्यक्ति हैं वहां मशीन के आधार पर खेती करना और बम्बई जैसे शहरों में बैठ कर अपने बैंक बैलेन्स को बढ़ाते जाना और दूसरे धन्धे करते रहना सिद्धान्त की हत्या करना है । शहरों में

(मूलचंद डागा)

रहनेवाले यहां बहुत थोड़े हैं। ८० प्रतिशत गांवों में काम करते हैं। हम समाजवादी समाज रचना की ओर बढ़ना चाहते हैं।

तो मैं इसके लिये मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि आप राजस्थान में देर से सही सीलिंग का कानून लाना चाहते हैं। और इस विश्वास के साथ यहां से हम जावेंगे कि वह सीलिंग कमेटी इन फार्मों की रक्षा न करे। वह उन बड़े-बड़े जागीरदारों की जमींदारों की रक्षा न कर बैठे। तब तो आपकी सीलिंग कमेटी का काम स्तुत्य होगा। अन्यथा यह समाजवादी समाज रचना के सिद्धान्त के विपरीत होगा। इससे श्रम की प्रतिष्ठा, जमीन का बंटवारा और पूंजी का बंटवारा नहीं होगा। हम इनको बंटवारा मानते हैं। सीलिंग की भावना एक है। अमीर की अमीरी को कम कर दिया जावे और अगर यह कम नहीं हुई तो आपकी सीलिंग एक मखौल है और वह मखौल यह है कि इसमें कई कानून के चक्कर और वकीलों के लिये मुनाफे की चीजें होंगी। इससे उनके लिये मुकदमें बढ़ेंगे। हम चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी इन फार्मों की ओर ध्यान दें। यही इस सीलिंग की भावना है, यही उसकी मंशा है, इरादा है, उद्देश्य है और यही धारणा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न इस समय उपस्थित हुआ है वह बहुत ही आसान सी चीज है। इसके ऊपर इतना लम्बा बोलने की और ज्यादा दलीलें देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। इसमें सिर्फ तीन चीजें हैं। एक तो है कि आज ही पास कर दिया जाये, दूसरे यह कि इसे जनमत के लिए भेजा जाये और तीसरे यह कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये। अब जब कि सभी माननीय सदस्य इस बात को एक राय से मंजूर कर रहे हैं कि यह प्रवर समिति को दिया जाये तो इसमें जनमत के लिए भेजने और दूसरी बातों के लिए आवश्यकता नहीं है और न अब इस पर लम्बी दलील की जरूरत ही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न कई दफा उठा है कि इस मामले में देरी बहुत हो गई है और अब यह मामला आगे बढ़ना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि आज बड़े से लेकर छोटे तक सभी जागीरदार और उनकी जागीरें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि देश को जो चीज ज्यादा परेशान किये हुए थी वह भी खत्म हो गई है। जो यह अहम मसले थे वे इसी असेम्बली के सेशन में आ चुके। अगर यह चीज उस वक्त ऐसी आती और तय हो जाती और सीलिंग कमेटी जमींदारों और जागीरदारों का प्रश्न खड़ा रहते हुए होती तो वह समय के पहले होती। तो इसके लिए यह प्रश्न भी खत्म हो गया है और यह देशानुकूल और समयानुकूल चीज है। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत दफा यह प्रश्न बार-बार आता है कि जागीरदार और जो बड़े-बड़े भूस्वामी हैं उनके लिए यह प्रश्न उठाया जाता है कि इनको इसमें लाभालाभ है तो सोचने की बात है। पांचवा या छठा प्रोविजन आया है तो इसको देखते हुए पहले से पहले यह चीज हल हो रही है तो इसके लिए विशेष प्रयत्न की, और ज्यादा लिखा-पढ़ी की आवश्यकता ही नहीं है। अब रही बात यह कि इसके लिए जैसा कि यह सवाल आया तो इस बात की खास आवश्यकता है कि इसका निर्धारण कैसे हो। या तो इसका निर्धारण जमीन पर हो या आमद पर हो। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां ऊंची

(श्री नरेन्द्रसिंह)

से ऊंची आमद और नीची से नीची आमद है। जो भारतवर्ष के किसी भी पड़त के अन्दर नहीं है, उससे आपको यहां ज्यादा मिलेगी। उस असमानता को मिटाने के लिए जैसे रुपये का निर्धारण है वह ठीक से होना चाहिए। यहां जमीन की कमी नहीं है। जैसे आंकड़े अभी हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने उपस्थित किये थे, मैं उनके आंकड़ों को पूरा सही नहीं समझता हूं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि यहां जमीन भी काफी है और दूसरी सुविधायें भी काफी हैं और प्रसारित करने के लिए नये तरीके भी काफी हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बात की खास आवश्यकता है कि यह जो २४०० रुपये निर्धारित किये गये हैं यह ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं हैं। इसके ऊपर गौर करते हुए और खास करके प्रवर समिति के जो मेम्बर्स हैं वे इस बात पर विचार करें। उनसे मैं अपील करूंगा कि इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पंजाब में, आंध्र में और इसके अतिरिक्त प्लानिंग कमीशन ने जो विचार विमर्श किया था उसमें और इसमें कोई अन्तर तो नहीं है। अगर यह प्रश्न वह प्रश्न है कि यह किसी बात का प्रश्न नहीं है और इसके अन्दर आज देरी होगी वह हानिकारक है और इसके अतिरिक्त वह दिक्कतदेह भी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे से पहले माननीय सदस्य ने यह आंकड़े उपस्थित किये थे कि मंहगाई के सबब से यह दिक्कत हो रही है तो मैं तो इसके खिलाफ हूं। मैं यह कहूंगा कि जिस समय प्लानिंग कमीशन की सिफारिशें हुई, जिस समय यह कमीशन देश में जा, जा करके इन जमीनों के ऊंचे नीचे पने को देखा उसके बाद में अनाज का भाव दुगना मंहगा हो चुका है। मुझे यह भी भय है कि आज झोलों के अन्दर अनाज और थोथों के अन्दर भरे हुए अनाज की परिस्थिति में २४०० रु० का अनाज कितना आयेगा ? इस बात के लिये पूरे विचार कर लेने की आवश्यकता है और इसके लिए कांटा और गज दोनों इस सीलिंग के नापने के लिये लोहे और लकड़ी के गजों से इसका नाप नहीं होगा और इसका सन्तुलन नहीं होगा। इसका सन्तुलन करने के लिए मनुष्यों की विचारधारा के सोचने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहूँगा कि इसके लिए यह जो क्राइटेरिया रखा जाये जैसे रुपये का क्राइटेरिया तो रहेगा, इसके अतिरिक्त अनाज का क्राइटेरिया रहना चाहिये और अगर सीलिंग हो और जमीन का सवाल रहे तो अभी के और पहले के याने सस्ताई और मंहगाई के दोनों भावों का अन्दाजा लगाकर उसका हल होना चाहिये। छोटे-छोटे होल्डिंग्स के जो काश्तकार हैं उनका प्रश्न है, उनके मुंह के अन्दर जो दाना है उसका प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूं और इसके अलावा जो मंत्रिमण्डल है उसको भी निवेदन कर देना चाहता हूं और इसके अलावा जो प्रवर समिति के मेम्बर्स हों उनको

(श्री नरेन्द्रसिंह)

भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसे समय में ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। जमीन के निर्धारण के वास्ते और सबसे पहले बात यह है कि जो गरीब काश्तकार हैं और जिनका प्रश्न यहां उपस्थित हो रहा है वह कहीं नुकसान न उठा जायें, सबसे पहले जो सोचने की जरूरत है वह यह है। मैं सदस्यों से यह जरूर निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर जैसे बार-बार यह सवाल आता है इन दोनों दिन ही नहीं प्रत्युत कई दफा यह प्रश्न आता है जागीरदारों के लिए जमींदारों के लिये यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उन लोगों को यह फायदा पहुंचाने वाली चीज है यह उनकी गलत धारणा है। मैं कहूंगा कि जागीरदारों ने दब कर या और किसी वजह से इस मामले में कोई चीज नहीं की है। उन्होंने देश के कल्याण के लिए यह त्याग किया है। महामना स्वर्गीय पटेल के और माननीय महात्माजी के शब्दों में मैं तो यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस चीज के वास्ते किसी ने भी बातें नहीं की हैं। मैं यह कहूंगा कि जिनकी भुजाओं में ताकत है और कन्धों में ताकत है वही त्याग कर सकता हैं दूसरा नहीं कर सकता है। इसके बारे में मैं कोई पर्सनल चीज के कहने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरे पास जैसी भी अच्छी से अच्छी जमीन थी वह अपनी संस्था के लिए सुपुर्द कर दी...

श्री श्रीभानसिंह : यह कहने की बात थोड़े ही है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कोई करके बताये और आगे आये।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री श्रीभानसिंह : But the House has appreciated your gesture,

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप आगे आते ?

श्री श्रीभानसिंह : आप तो नाराज हो रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो क्या बात है मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह बात भी मैं निवेदन कर देता हूँ कि जब भी काश्तकारों के लिए सवाल आता है मैंने जो एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया है और अपनी जो भूमि थी...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इस प्रश्न पर आइये। घर में क्या हुआ उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सम्बन्ध कैसे नहीं। त्याग का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष: त्याग का प्रश्न नहीं है, विषय पर बोलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : विषय पर तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैं इतना ही बोलता हूँ जितनी कि आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं वॉलन्टियर करता हूँ और हरिजनों के लिए लोग आगे बढ़-बढ़ कर कहते हैं हम लोग उनको....

श्री उपाध्यक्ष : अब हरिजनों का कहां प्रश्न है ?

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके वास्ते मेरी अर्ज करना यह है कि पांचवीं धारा का प्रश्न तो साथ ही होगा, मगर जब कभी भी सवाल आया है उनका, लेकिन फिर भी सब हरिजनों का तय हो चुका है, मैं हरिजनों से मुआवजा कभी भी नहीं लूंगा ।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री माधोसिंह (अहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सीलिंग के बिल का प्रश्न है इसमें किसी की दो राय नहीं है कि सीलिंग को लागू नहीं किया जाय, परन्तु इसके अन्दर जिस बुनियाद पर यह अमेंडमेंड प्रस्तुत हुआ है, सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पर, सीलिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट पर अगर आप पूरी तरह से गौर फर्मायेंगे तो रिपोर्ट ही कन्ट्राडिक्टरी है । उसके अन्दर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन १८० के अन्दर तहसीलवाइज एरियाज मुकर्रर किये गये हैं इन्कम के लिए । वह एरियाज निर्धारित करते समय उन्होंने जो १२००) रु० की इन्कम मानी है, उसी एरिया में सीलिंग लागू करने के अन्दर वापिस ५६ के अन्दर २४००) रु० ऐसी एरिया के लिए इन्कम मान ली है लिहाजा मैं आपके सामने अर्ज करूंगा आपके जरिये सदन को कि उस कमेटी ने जो औसत रख दिया है और जिसके आधार पर रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके आधार पर अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है, उस आधार पर सिलेक्ट कमेटी इस पर डिस्कस करेगी तो सिलेक्ट के सामने वास्तविकता और सत्यता नहीं रहेगी । इसके अलावा उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीकानेर तहसील में १५० एकड़ बारानी जमीन रखी है और राजस्व मंत्रीजी की तहसील मालपुरा में ६० एकड़ बारानी जमीन रखी है । बारानी जमीन की मुख्य क्राप बाजरा होना है अगर आप मुलाहिजा करेंगे तो बीकानेर में एक एकड़ में जो बाजरे की क्राप होती है वह मालपुरा में नहीं । अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बीकानेर की एक एकड़ जमीन में मालपुरे से दुगुना बाजरा पैदा होता है । मालपुरे की जमीन में उतना एक एकड़ में नहीं होता है । इसलिए जो रिपोर्ट उस कमेटी ने बनाई है उसमें एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को ठुकरा कर, श्री खेरी की जो रिपोर्ट थी उसकी अवहेलना करके कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है । उसके अन्दर ज्यादातर ऐसे सदस्य थे जो कि खेतीबाड़ी के काम को नहीं समझते हैं । उन लोगों के आधार पर यह रिपोर्ट बनी है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं राजस्व मंत्री जी और सदन से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति के साथ-साथ उस कमेटी की रिपोर्ट को जांच करने के लिये एक एक्सपर्ट कमेटी और बना दी जाय, और वह कमेटी दुबारा जांच करके अपनी सीलिंग के बारे में रिपोर्ट दे और उस आधार पर यह बिल प्रवर समिति के पास चला जाय तो जांच करने का व्यवहारिक रूप मालूम हो जायगा कि कहां पर किस लिमिट की सीलिंग मुकर्रर करें ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में दिये हुये आंकड़े रखता हूं । राजस्थान में १,४७,२७,२७४ एकड़ कल्चरेबल लैण्ड पड़ी हुई है, और यहां पर ३,७६,३६० आदमी लैण्ड-लैस आदमी जमीन पर आबाद किये जाते हैं, तो एक आदमी और एक फेमिली को १८३ एकड़ जमीन मिलती है

(श्री माधोसिंह)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग जरूर लागू की जाय, परन्तु मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि पहले आप इस जमीन का बटवारा कर देते, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने साफ कहा है कि पहले इस जमीन के बटवारे का फैसला कर दें और जमीन का बटवारा करके लैंड लैस टिनेन्ट्स को आबाद किया जाय, उसके बाद में इस एक्ट की धारा को सीलिंग लागू करके उन लोगों से बाद में जमीन ली जाय तो उचित होगा। एक तरफ तो जमीन बेकार पड़ी है और दूसरी तरफ कोई बड़े काश्तकार काम करने के लिए किसी नौकर को रखता है तो उससे कहा जाता है कि उसके पास जमीन ज्यादा है उससे जमीन ली जाय। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पहले उस जमीन का बटवारा करना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अर्ज करूंगा कि बहुत से महानुभावों ने बड़े-बड़े नेताओं का भावे साहब का उदाहरण दिया। आप गांधीजी का मुकाबला यह करते थे एक गरीब किसान और एक अमीर किसान का प्रश्न नहीं है। इस देश में गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है, यहां सीलिंग का प्रश्न है। जहां तक किसी की आमदनी पर सीलिंग करने का प्रश्न है तो वाकई में यह जरूरी है कि सीलिंग को जरूर लागू किया जाय, लेकिन अगर वह जमीन पर लागू की जाय, तो मकान के किराये पर भी लागू की जाय वकीलों के मेहनताने पर भी लागू की जाय, मोटी-मोटी तनख्वाहों पर भी लागू की जाय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शरीर के विकास पर भी लागू किया जाय।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष यह मजाक की बात नहीं हैं, ज्यादा खाने वाले मेरे जैसे आदमी को भी कम खाना दिया जाय तो उसके स्वास्थ्य को लाभ होगा।

...मैं फिर अर्ज करूंगा कि उसके अन्दर ऐसा एक और बिल बना दिया जाय और दोनों बिलों को इसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। राजस्थान में गरीब को ऊपर कैसे लाना है, और अमीरों को उस स्तर पर गरीबों के बराबर कैसे लाना है ? हर तरह की आमदनी को सीलिंग करना चाहिए। एक सेठ हजारों आदमियों से काम करवाकर बॉल-बियरिंग फैक्ट्री चला सकता है. उसकी आमदनी पर कोई रोक नहीं हैं, लेकिन एक किसान ५०० बीघे एकड़ पर १० आदमियों को नौकर रख कर खेती नहीं करा सकता है, एक हजार रुपये का मेहनताना पाने वाले वकील पर कुछ नहीं लेकिन एक गरीब किसान की जेब काटने को कहते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन से खासतौर से राजस्व मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि सीलिंग हर किस्म की आमदनी पर आना चाहिए और केवल काश्तकार की आमदनी पर सीलिंग नहीं होना चाहिए। इस बिल को प्रवर-समिति को सौंप दिया जाय लेकिन इसके साथ एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट और तैयार की जाय। इस एक्ट ने जिस आधार पर सीलिंग कायम होने जा रही है वह रिपोर्ट में होते हुए भी उस रिपोर्ट के मैंने आंकड़े पेश किये हैं और उन आंकड़ों के सहारे वह गलत साबित होती है। रेवेन्यू के काम के जो राजस्थान के एक एक्सपर्ट हैं श्री खेरी, मैं समझता हूं कि उन्होंने साफ लिखा है कि यहां इस चीज की जरूरत नहीं है। यहां पर जो हर लैंडलैस आदमी को जमीन देना है इस प्रश्न के लिये सीलिंग लागू करना होगा,

(श्री माधोसिंह)

ये जो आंकड़े यहां दिये गये हैं वे गलत हैं, तो राजस्व मंत्रीजी को यह साबित करना होगा ...

श्री उपाध्यक्ष : Are they contaiued in the rsport ?

श्री माधोसिंह : Yous Sir, they are in the Celling Committee report.

दामोदरलाल व्यास : No but I hed explained these figures anb hon. Member was not present then.

श्री माधोसिंह : माननीय राजस्व मंत्री ने एक्सप्लेन कर दिये हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी यह मांग है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। लेकिन इसके साथ साथ एक कमेटी एक्सपर्ट्स को एपाइन्ट की जाय जो कि इस दरम्यान में जब तक कि सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करे, वे एक्सपर्ट दुबारा इसकी जांच करके रिपोर्ट दें। मगर मालपुरा में एक एकड़ के अन्दर उतना बाजरा पैदा नहीं कर सकते हैं जितना कि बीकानेर में एक एकड़ के अन्दर बाजरा कर सकते हैं। उस कमेटी की फन्डामेन्टल रिपोर्ट है कि बीकानेर में १५० एकड़ बारानी की सीलिंग रखी है और मालपुरा में ६० एकड़ बारानी राजस्थान भर में बीकानेर का बाजरा मशहूर होता है। एक एकड़ जमीन में बीकानेर में जो बाजरा होता है, वह मालपुरा के एक एकड़ में नहीं होता है ...

इसलिये इस कमेटी की रिपोर्ट देने वाले महानुभावों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बारानी जमीन जिस जगह अच्छी होती है वहां चाही अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने एक की तरह की लगा दी मालपुरा में बारानी चाही के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिये, हालां कि बीकानेर में चाही की ज्यादा है तो इस बारे में यदि एक्सपर्ट्स की कमेटी मुकर्रर कर दी जाय और वह जांच करे और कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट दे तो कमेटी उस आधार पर चलेगी।

दूसरी बात इस कमेटी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक महानुभाव ने कहा कि बड़े बड़े फॉर्म नहीं बचाये जायं। किसी बड़े फार्म के लिए रियायत करने की जरूरत नहीं है। सोशियलिस्टिक पैटर्न राजस्थान में लाना है और मैकेनिकल फार्मिंग को हटाना है तो जरूर हटाइये, लेकिन सोशियल पैटर्न लाने के लिये एक बात और जरूरी है और वह यह कि हर तरह की इन्कम को सील किया जाय ...

श्री उपाध्यक्ष : अपनी समझ की चीज़ है। आपने कहा था कि एक हजार से ऊपर के मेहनताने को सील करना चाहिये।

श्री माधोसिंह : इसके बारे से एक और बिल प्रस्तुत किया जाय, उससे किसी को रंज नहीं होगा हमारी आमदनी पर पाबन्दी लगा दें नहीं तो जो मोटे होते जा रहे हैं उनको देख कर दूसरे मोटे नहीं होने लग जायं ...

एक माननीय सदस्य : पेट का सीलिंग किया जाय।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो ही मिनट हुये हैं बोलते हुये, और समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रथम बार ही बोले हैं इसलिये बोलिये।

Page No.89

श्री माधोसिंह : इसके अलावा यह बिल प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है और प्रवर समिति के पर्सन्स तय किये हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक और आदेश दिया जाय कि जो सदस्य अपनी राय प्रवर समिति के सामने रखना चाहे उनको भी जरूर इन्वाइट करें। क्योंकि यह ऐसा मामला है जो राजस्थान में नयी बुनियाद बनाने वाला है इसलिये जो कोई भी इस समस्या के बारे में अपनी राय देना चाहे उसे अपनी राय कमेटी के सामने रखने का मौका जरूर दिया जाय ताकि सब की राय को ध्यान में रखते हुये प्रवर समिति अपनी सिफारिश पेश करे। बाद में हाउस में आने पर तो उसकी फाइनल स्टेज ही रह जायगी। इसलिए मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि और सदस्यों को भी निमन्त्रित करें और सीलिंग पर विचार करने से पहले एक्सपर्ट कमेटी की राय लें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख...

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon. Member (Shri Madho Singh) is hopping from one seat to another. He spoke from one seat and now he is going to another seat.

श्री उपाध्यक्ष : Why should he not not come and occupy this seat? He looks quite alright from this seat.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में विभिन्न विचारधारायें हमारे सामने आईं। एक प्रकार की विचारधारा तो यह आई कि इस अमेन्डमेन्ट एक्ट को जनमत के लिये प्रसारित किया जाय और आगामी १५ अगस्त तक जनमत संग्रह किया जाय। दूसरी विचारधारा यह आई कि यह बहुत देरी से लाया जा रहा है, इसमें बहुत देरी की जा रही है, इसलिये इसे आज ही पास किया जाना चाहिये था। इसलिये इसे जल्दी ही पास किया जाय और प्रवर समिति को नहीं सौंपा जाय और तीसरी विचारधारा यह आई कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय लेकिन साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी और बैठाई जाय जो सिलेक्ट कमेटी को अपनी विचारधारा बतायेगी और अन्य सदस्यों को भी अपनी विचार धारा कमेटी के सामने रखने का मौका दिया जाय।

जहां तक जनमत के लिये प्रसारित करने का प्रश्न है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अभी कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जिससे कह सकें कि इस भावना के पीछे जनमत नहीं है। आप यदि जनमत देखना चाहते हैं तो गांवों में जाइये और देखिये कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी जमीन पड़ी है जिसको बो नहीं सकते और उसमें जो घास उगती है उसको बेचते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जिधर जाइए उधर कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन चाहिए। जनमत अगर देखना है तो गांवों में जो गोचर की समस्या है और दूसरी ओर जो जमीन की रखवाली करने बैठे हुए हैं उसे देखिए। गोचर की समस्या हमारे लिये हैं, जनमत को पूर्णतया जानना है सदन के अन्दर और बाहर के लोग जनमत को जानते हैं। चारों ओर इस प्रकार की भावना और वातावरण बना हुआ है और कहा जाता है 'भूखी जनता अब न सहेगी, धन और धरती बंट कर रहेगी'। मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करता हूं जिन्होंने कहा कि दूसरों की आमदनी पर भी सीलिंग होना चाहिये। एक तरफ तो

(श्री शंकरलाल)

वे यह कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि जमीन के सीलिंग के प्रश्न को स्थगित करना चाहिये। जब आप यह कहते हैं कि दूसरों की आमदनी पर भी सीलिंग करना चाहिये तो आप यह भी मानते हैं कि वास्तव में जमीन पर सीलिंग लागू होना चाहिये। जब आप इस बात को मानते हैं तो यह कहना कि क्योंकि दूसरों की आमदनी पर सीलिंग नहीं लगाई है इसलिये इसको भी स्थगित किया जाय, यह बुद्धिमता नहीं है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि दूसरों की आमदनी है उस पर भी सीलिंग किया जाय इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जो कदम प्रान्त में भूमि के बंटवारे के लिये जा रहा है और यह निश्चय किया जा रहा है कि जिनके पास भूमि ज्यादा है उनसे लेकर जिनके पास नहीं है उनको बांटी जाय और समभाव रखा जाय। उसका अगर विरोध करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह तरीका उचित नहीं है। इसलिये जनमत का प्रश्न नहीं है। जनमत पहले से ही तैयार है और जब देश के नेताओं ने स्वीकार किया है और निर्णय हो चुका है। जब पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने संकेत किया है कि हमें देश में जमीन पर सीलिंग करना होगा तो कोई जनमत की बात शेष नहीं रह जाती है जिससे कि जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, अब कौनसा जनमत बाकी रह गया है। जो विधान सभा के सदस्य यहां बैठे हुए हैं वे एक एक लाख जनता के प्रतिनिध हैं और जब वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे जनमत नहीं है क्या? जब वे कहते हैं कि सीलिंग होना चाहिए तो उसके पीछे जनता की भावना है जिसके प्रतिनिधित्व वे करते हैं। पूरे राजस्थान के चुने हुए सदस्य यहां पर हैं जब वे बात रखते हैं तो वह जनता की बात है। माननीय सदस्यों की विचार धारा से पता चलता है कि सीलिंग को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय तो फिर कोई जनमत जानने की बात बाकी नहीं रह जाती।

अब रहा प्रश्न यह कि इसे आज ही पास किया जाय, सिलेक्ट कमेटी को नहीं दिया जाय। बात सुनने में अच्छी लगती है जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। लेकिन जब हम सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट की तरफ देखते हैं, उसका मनन करते हैं, उसे पढ़ते हैं तो मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस बिल की ओर दिलाना चाहता हूं इसमें आप देखेंगे कि जो अमेन्डमेन्ट है सैक्शन २ में उसमें लिखा है:

"provided that, for the purposes of Chapter III B, all parcels of land beld anywhere throughout the State by a person under one or more than one lease engagement, grant or tenure and whether cultivated personally or let or sub-let by him shall be deemed to be his holding and where any such land is held by more than one person as co-tenants or co-sharerers, the share of each of them shall be deemed to be his separate holding whether a division there of has or has not actually taken place;"

इसके द्वारा जिसकी जमीन सब लेट कर दी गई है उसे भी उस आदमी की जमीन माना जायगा और उस पर भी सीलिंग किया जायगा। आज हमने एक बिल पारित किया है और साथ साथ जो सीलिंग किया जायगा

(श्री शंकरलाल)

उसका मुआवजा दिया जायगा। एक तरफ जो शिकमी काश्तकार हैं उनके लिए प्रावधान बनाया है कि वे सैटिलमैन्ट द्वारा तय शुदा का १५ या २० गुना मुआवजा देंगे उस काश्तकार को और दूसरी तरफ यह है कि उस खातेदार की जमीन पर जब सीलिंग लागू की जायगी तब उसको सरकार भी मुआवजा देगी। क्या उसको दो प्रकार का मुआवजा मिलेगा? क्योंकि जो सबलेट की जायगी उसको भी सीलिंग का पार्ट माना जायगा और आगे जाकर कम्पेन्सेशन की बात कही है, ३० जी. के अन्तर्गत कम्पेन्सेशन मिलेगा। एक तरफ सरकार के द्वारा कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान है और दूसरी तरफ सब टिनेन्ट खातेदारी राइट के लिए उसे २० गुना देकर खातेदारी राइट हासिल करेगा तो क्या दोनों ही तरह से उसको मुआवजा मिलेगा या एक प्रकार से मिलेगा यह निश्चय करना है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सिलेक्ट कमेटी पूर्णतया विचार करेगी साथ ही इसके अन्दर २६ ए में लैंड लैस की डेफीनेशन लिखी गई है उसके अन्दर कहा गया हैं: 'landless person' shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land whether in his own name or in the name of any member of his joint family, or holds a fragment.

यानि जो काश्तकार अपने प्रोफेसन से काश्त करता है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है और जिसके पास फ्रेगमेंट जमीन है, वह लैंड लैस पर्सन की डेफीनेशन में आयेगा। इसके अन्दर कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन सा लगता है। जिसके पास जमीन कम है, उसको आगे जाकर जमीन अलॉट की जाय लेकिन उसको लैंड लैस पर्सन की डेफीनेशन में न रखा जाय। लैंड लैस पर्सन वही हो सकता है जिसके पास काश्त के लिये जमीन नहीं हो, और जो काश्त करना चाहता हूं, उन लोगों को इसमें इन्क्लूड करा गया है। जिनके पास जमीन कम है, जिनको आगे जाकर जमीन मिलेगी, उसको लैंड लैस पर्सन कहा गया है। यह हो सकता है कि इनको आगे जाकर लैंड लैस पर्सन में इन्क्लूड कर दिया जायगा लेकिन अभी लैंड लैस पर्सन की डेफीनेशन में उन आदमियों को इन्क्लूड करना भाषा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उनको लैंड लैस पर्सन कहा जाय, थोड़ी जमीन वाले काफी हो सकते हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताऊं कि फेमिली की डेफीनेशन देते हुये कहा गया है: consisting of a husband and wife and their children......
अगर मान लीजिए कि चिल्डरन नहीं हो और हजबैन्ड और वाइफ हों, तो क्या वह फेमिली मानी जायगी? क्योंकि शब्द एन्ड इसमें है। इस प्रकार की डेफीनेशन्स पर, मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: There are other members to speak, hon. Member.

श्री शंकरलाल: मैं बहुत संक्षेप में, उपाध्यक्ष महोदय, विनय करूंगा कि ३० डी में लिखा गया है कि इस एक्ट के आने के समय से पूर्व जो ट्रान्सफर किए गए हैं वे वोइड किए जायेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कमेटी

(श्री शंकरलाल)

१६५३ के अन्दर बनी, और १६५७ में कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, अब १६५८ चल रही है और शायद १६५८ में एक्ट पास होगा। जिस रोज से कमेटी अपाइन्ट की गई थी, १६५३ में, मैं समझता हूं बहुत से समझदार और बड़े लोगों ने उस दिन से जमीन का इस प्रकार से ट्रान्सफर करना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि १६५३ में कमेटी बनाई गई, यानि पांच साल पहले, उस दिन से जो ट्रान्सफर किये हैं, वे वोइड माने जांय। इसलिए तीन साल की जगह पांच साल होने चाहिये, वरना ऐसे बहुत से ट्रान्सफर देखने को मिलेंगे, मुझे मालूम है कि किस प्रकार लोगों ने जमीन बेचना और ट्रान्सफर करना शुरू किया। इसलिए हमारा मकसद है, वह पूरा नहीं होगा, अगर हम केवल तीन साल रखेंगे। अगर अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं तो तीन साल की जगह पांच साल रखने चाहिये। साथ ही मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ३० ई के प्रोविजो को देखें, ३० एच के सब सेक्शन (२) को देखें, मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर ऐसा रखा गया है कि कोई आदमी इस कानून की बारीकी निकाल कर अपनी जमीन को सीलिंग के अन्दर न लाना चाहे तो वह ला सकता है और उसके लिये गुन्जाइश है। मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करेगी। वह गुन्जाइश किस प्रकार से है, ३० ई के प्रोविजो में बताया गया है कि कोई आदमी, जिसकी अलग अलग तहसील में जमीन है, तो वह खुद इस बात को पसन्द कर लेगा कि मेरी किस तहसील में कितनी जमीन सील होनी चाहिये उसके लिये यह सुविधा रखी गई है लेकिन उस सुविधा को जब आगे जाकर आप ३० एच को देखें, तो सब सेक्शन २ में बताया गया है।

(2) If in any case covered by clause (a) or clause (b) of sub-section (i) of section 30-E the land in excess of the ceiling area applicable thereto is only a fragment, the sub-divisional officer may allow the person holding it to retain......

श्री उपाध्यक्ष : सारांश यह दीजिये न। The spirit of it may be placed.

श्री शंकरलाल : मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि ३० एच के सब सेक्शन २ में प्रावधान रखा गया है कि अगर वह जमीन सीलिंग के बाद इतनी थोड़ी जमीन होती है जो कि फ्रेगमेंट के अन्दर आती है, तो एस. डी. ओ. उस आदमी को कब्जा कायम रखने के लिये इजाजत दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जमीन जिसके पास है, वह कहेगा कि उस तहसील में, इतनी जमीन दी जाय, उस तहसील में इतनी जमीन सील की जाय, उस हिसाब से सीलिंग के लिए बतायेगा, क्योंकि ३० ई के अन्दर उसको राइट है, वह अलग अलग तहसील में सुविधा के अनुसार बतायेगा और उस प्रकार बतायेगा कि जिस प्रकार जमीन बताने से इतनी जमीन रहती है कि वह फ्रेगमेंट के अन्दर आती है। मैं समझता हूं कि फैगमेंट की जमीन पर पजेशन रीटेन करने का अधिकार ३० एच में दिया हुआ है। इसलिये ३० ई के प्रोविजो और ३० एच के सब सेक्शन २ पर सेलेक्ट कमेटी इस प्रकार विचार करे कि जिस प्रकार की नियत से सुविधा रखी गई है, उस प्रकार की नियत का वह आदमी जिसकी जमीन सील की जा रही है, वह गलत फायदा न उठाये, वरना गलत फायदा उठाने की बहुत कुछ सम्भावना है। इसी तरह,

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके सम्मुख बताया कि इसमें बहुत सी जरूरी बातें हैं, जिन जरूरी बातों को बिना समझे विचारे आज पास कर देते तो, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं होती। वैसे मेरी भावना थी कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होता, आज ही पास होता लेकिन इसके अन्दर कुछ कमियां हैं। इसलिए इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और जो बातें बताई हुई हैं, इन धाराओं के अन्दर, इन परिभाषाओं के अन्दर जो गुंजाइश है, गलत फायदा उठाने की,तीन सालकी जगह पांच साल की बात ऐसी है, इन बातों पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है। इसलिए फायदा हमारा इसमें है कि एक दृढ़ कानून बनाने के लिए, जबकि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ एक चरण उठा रहे हैं, ऐसे कानून बनाये जायं कि उन कानूनों से फायदा हो और उसमें से निकलने की गुंजाइश न हो। इसके साथ ही जो बात कही गई कि २४०० रु० की इन्कम है वह कम है या ज्यादा है, इन सब बातों पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को देना आवश्यक है और न इसको जनमत के लिए प्रसारित करने की जरूरत है और न यह कानून आज पास किया जा सकता है मैं एक निवेदन सदन से करूंगा कि यह बिल हमारे सामने आया और इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं, इस पर इतनी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसके अन्दर अलॉटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि वे सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे थे। इसमें अलॉटमेंट का प्रावधान है और यह कहा गया है कि लैंड लैस पर्सन को दिया जायगा,हालांकि लैंड लैस पर्सन की डेफिनेशन डिफेक्टिव है, लेकिन प्रावधान जरूर है और वह स्पष्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो विचारणीय अवश्य हैं और जिन पर सलेक्ट कमेटी विचार करेगी लेकिन इस चीज की मांग करना कि इस चीज को स्थगित कर दिया जाय और टेक्नीकल और एडवाइजर्स की एक्सपर्ट कमेटी में विचार हो, मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे और डिले होगी। हो सकता है कि सदन के माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के सामने बात करना चाहें, वे खुशी से जा सकते हैं, सिलेक्ट कमेटी उन्हें नहीं रोकेगी,वे अपनी विचार धारा वहां बता सकते हैं। इसके लिए अलग टेकनीकल एक्सपर्ट कमेटी कायम करने से न तो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट दे सकेगी और न सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट दे सकेगी It will indulge in a delay उससे देरी होगी और मैं समझता हूं यह एक क्रान्तिकारी कदम है। राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार करके, जमींदारी, जागीरदारी और खातेदारी के राइट्स काश्तकारों को दें तो यह ऐसा क्रान्तिकारी कदम होगा और आप और हम कह सकते हैं कि वास्तव में देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला होगा जब हम भूमि की सीमा निधारित करके काश्तकारों को देंगे। इसलिए सेलेक्ट कमेटी को इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए इसे सौंप देना चाहिए। इन सब बातों पर सिलेक्ट कमेटी विचार करें और मनन करे।

श्री सोहनलाल : I do not want to speak Sir. यह निवेदन है कि डिफरेन्ट पाइन्ट आफ व्यू आ गये हैं So the question be now put Sir.

श्री पी० के० चौधरी : बोलने का सब को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble. Members will please resume their seats. (to Shri Sohan Lal) You have moved a Closure motion ?

श्री सोहनलाल : The question be now put means a Closure motion.

श्री अनूपसिंह : अभी सवा घंटे का समय बाकी है, Sir ! It is a very vital matter and we may be allowed to speak.

श्री श्रीभानसिंह : कल तक ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to put the question.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, the House will like to express its opinion on the matter and I do not think...

श्री उपाध्यक्ष . But you have the option to reject it. So I

श्री पी० के० चौधरी : The Honble, Member has not moved any closure motion He has only given a suggestion.

श्री उपाध्यक्ष : No he has moved that the question be now put.

श्री पी० के० चौधरी : He did not move a closure.

श्री उपाध्यक्ष : I am again referring him What did you say ?

श्री सोहनलाल : I moved that the question be now put.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : में यह निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में। ऐसा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिए दो दिन लिस्ट ऑफ बिजनेस में तय किये आज और कल इस पर डिबेट चलेगी। में समझता हूं कि इतनी जल्दी क्लोजर मोशन मूव करना और बाई मेजोरिटी आफ वोटस निर्णय लेना कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। जब हमने तय किया है कि हम इस बिल पर कल तक डिबेट करने वाले हैं, तो में नहीं समझता कि अभी से क्लोजर मोशन मूव क्यों करे। पोने पांच बजे तक डिबेट हो सकती हैं, उसके पहले भी भी अगर बोलने वाले न हो तो विचार किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि डिबेट चालू रहनी चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, यदि सदन की यह मंशा है कि इस पर और बहस की जाय तो मैं इसे प्रेस नहीं करता।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग के सिलसिले में, जो विचार सदन में प्रकट किये गये हैं उससे मालूम होता है कि कुछ सदस्यों के दिमाग में या मन में कुछ गलतफहमी है कि क्यों हम सीलिंग लाना चाहते हैं। ज्यादातर सदस्यों ने राय जाहिर की है कि सीलिंग हम इसलिये लाना चाहते हैं कि जो लैंडलैस लेबरर्स हैं, उनको जमीन देना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि सोशियल जस्टिस देने के लिये सीलिंग लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सीलिंग बिल को पास करने से पहले जो इस सदन के सदस्यों के दिल में सीलिंग के सम्बन्ध में गलतफहमी है, उसको दूर कर देना चाहिये।

(श्री पी० के. चौधरी)

ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि सीलिंग का बिल पास करने में देर हो रही है और जब वे अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी में जाते हैं तो उनसे लैण्ड लैस लेबरर्स और हरिजन पूछते हैं कि सीलिंग का कानून कब पास होगा और कब हमें जमीनें मिलेंगी। यह हालत कोई एक कॉन्स्टिट्युएन्सी में ही नहीं सब कॉन्स्टिट्युएन्सीज में है जो लैण्डलैस लेबरर्स हैं उनके दिल में इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी गई है कि सीलिंग बिल पास होते ही सबके सब को जमीनें मिलेंगी। तो इस सम्बन्ध में जो कन्फ्यूजन सदन के सदस्यों के दिमाग में और पब्लिक में फैला हुआ है, उसको सबसे पहले दूर कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। सीलिंग कमेटी ने सीलिंग फिक्स करने का तय किया है वह सिर्फ लैंडलैस लेबरर्स को जमीन देने के लिए नहीं किया है, यह मैं अपनी राय नहीं, ऑथेरेटिव राय दे कर साबित करना चाहता हूं। सीलिंग कमेटी के सामने भी सवाल आया था कि सीलिंग फिक्सेशन हो कि नहीं। कमेटी के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि राजस्थान में कल्चरेबल लैंड है, जो काश्त किया जाता है, उतनी ही जमीन है। कल्चरेबल लैंड का ५० परसेंट वेस्ट पड़ा है, वह आज काश्त के काम में नहीं आ रही है, वेस्ट पड़ी हुई है तो सीलिंग कमेटी के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया था कि आधे से ज्यादा काश्त की जमीन ऐसी है जिस पर काश्त नहीं की जाती हैं, तो क्यों सीलिंग लगाना चाहते हैं। उन्होंने अपने विचारों में यह बात बताई थी कि राजस्थान में लगभग १३७ लाख एकड़ जमीन गवर्नमेंट के पास हैं और ३८० हजार लैंडलैस लेबरर्स हैं, उनको जमीन देना चाहते हैं तो १३७ लाख एकड जमीन गवर्नमेंट के पास है वह उनको दी जा सकती है। ३६ एकड जमीन एक आदमी के हिस्से में आ सकती है, फिर सीलिंग रखने का प्रयोजन क्या हैं ? इसमें सीलिंग कमेटी ने अपना निर्णय लिया हैं वह निर्णय इस प्रकार हैं :

This note was considered by the Committee and it was decided that even though the area to be obtained by imposition of ceiling may not be very large, ceilings have to be imposed as a matter of social justice and in the implementation of the general policy in this behalf dictated by the directive principles contained in clauses (a), (b) and (c) of Artiele 39 of the Constitution.

कॉन्स्टीट्यूशन की आर्टिकल ३९ है वह सिर्फ जमीन के सीलिंग के लिए नहीं है, वह अर्बन इन्कम के लिए भी हैं। ३९ जिसके ऊपर सोशियल बिना पर सीलिंग लगाने का फिक्स किया है, वह आर्टिकल इस प्रकार है:

The State shall, in particular, direct its policy towards securing :

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood,

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good,

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment,

इन तीनों चीजो के आधार पर सीलिंग कमेटी ने निर्णय लिया है, इसके साथ साथ चैप्टर

(श्री पी० के चौधरी)

१२ है उस पर लिया है, चैप्टर १२ हैं उसमें एग्रेरियल रीआॅर्गेनाइजेशन का किया है। सीलिंग का विचार हैं वह बाद में पैदा हुआ हैं

अब जो सीलिंग कमेटी हमने अपॉइन्ट की थी, उसके टर्म्स आफ रेफेरेंस बिल्कुल लिमिटेड थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उनका काम सारे एग्रेरियन रीआॅर्गेनाइजेशन पर राय देने का नहीं था, उनका टर्म्स ऑफ रेफेरेंस लिमिटेड था, साइज आप होल्डिंग देखने का था, किस एरिया में कितना सीलिंग का एरिया होना चाहिये, हिन्दुस्तान में और और जगह एरिया फिक्स किया है उसी तरह से होना चाहिये या और तरह से होना चाहिये, और लेबरर्स के रीसैटिलमेंट का क्या होना चाहिये, तो ये उनकी टर्म्स ऑफ रेफेरेंस थीं वे बहुत लिमिटेड थीं, एग्रेरियन रीआॅर्गेनाइजेशन पर राय देने का उनका काम नहीं था, टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में नहीं था। लेकिन प्लानिंग कमिशन एग्रेरियन रीआॅर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में इसको डिफाइन किया है, उन्होंने दिया है :

The main aims in the reorganisation of agriculture are to increase production and to make cultivation more profitable by reducing unit costs and increasing yields at the same time, and to reduce the number of workers engaged in the ordinary operation of farming.

यह जो एग्रेरियन एम्स हैं उनके लिए एग्रेरियन पॉलिसी ले डाउन किया है, एग्रेरियन क्या होगी :

Maintenance and increase of total production, economic efficiency and social justice.

तो इसमें सोशियल जस्टिस के साथ साथ हमारा एग्रेरियन प्लान, प्रोडक्शन और इकोनोमिक एफिशियेन्सी क्या थी, उसको अचीव करने के लिये लाइन आफ एक्शन डिफाइन किया था, पोसिबल लाइन ऑफ एक्शन क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। What should be our line of action ? लाइन ऑफ एक्शन में चार चीजें बताई हैं।

४ म० प०

श्री पी० के० चौधरी : Substantial increase in the size of the unit of management may be brought about in one of the following ways:-

(i) By nationalising the land and making it availaple for collective tivation.

(ii) By placing a ceiling on existing holdings and utilise the land in excese of the ceiling fcr increasing the size of the un-economic holdings and for distribution to the landless or for co-operative cultivation;

(iii) By offering inducement to farmers to joinco-operative farms, and

(iv) By putting the land in the management of the village as a whole.

यह चार तरह के किया है। यह जो हम सीलिंग ला रहे हैं इसलिये नहीं ला रहे हैं कि तमाम ज़मीन हम इक्वली एग्रीकल्चरल लेबरर को दे दें। हम यह इसलिये लाना चाहते हैं कि हम सोशियल जस्टिस करना

(श्री पी० के० चौधरी)

चाहते हैं। हम प्रोडक्टीविटी बढ़ाना चाहते हैं। इसको बढाने के लिये हमें अन इकॉनोमिक होल्डिंग नहीं चाहिये, हम इकॉनोमिक होल्डिंग्ज चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग का टोटल एरिया जो हमको मिलता है उसको हम देखेंगे जो सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है तो मालूम होगा कि लार्ज साइज होल्डिंग ५०० के करीब हैं ऐसे हैं जिनके पास १ हजार एकड़ से ज्यादा जमीन हैं। इस तरह से लगभग १० लाख एकड़ के करीब जमीन इसमें आती है जिनके पास १ हजार एकड़ से ज्यादा ज़मीन है। इसके अलावा ७ हजार के लगभग ऐसे होल्डिंगज़ हैं जिनके पास ५०० एकड़ से ज्यादा ज़मीन है।

इस तरह से हमको सीलिंग को एन्फोर्स करने से टोटल लैंड १८ लाख के एवेलेबल होती है और हमारे लैन्ड लैस लेबर है वह ३ लाख ७६ हजार। स्माल साइज़ होल्डर्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। यदि एक एकड़ ज़मीन दी जाए तो नाकाफी होती हैं और सीलिंग से जो जमीन मिलेगी ४।। एकड़ से हर एक आदमी को ज्यादा जमीन नहीं मिल सकती। हमारे यहां करीब ४ लाख के लैण्डलैस लेबर हैं। अगर उनको जमीन इक्वली बांट दें तो उनको ४।। और ५ एकड़ से ज्यादा नहीं मिल सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो निवेदन है कि सीलिंग से जो जमीन मिलेगी इसे हम लैण्ड लैस लेबर्स को बांट देंगे मगर मैं समझता हूं कि वह सरकार और देश के लिये इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर की दृष्टि से और फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की हैसियत से सेकेन्ड्री प्रोब्लम होगी। सीलिंग हमने इसलिये किया है कि इकोनोमिक होल्डिंग्ज होंगे और काश्तकारों को अच्छे ढंग से रहना चाहिये इसका ज्ञान उनको मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान का एग्रीकल्चरल विभाग का सबसे बड़ा प्रश्न है वह यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जावे और जो छोटे-छोटे होल्डिंग्ज हैं उनको युनिफाइ करके इकोनोमिक होल्डिंग्ज बनावें जिससे इकोनोमिक वे से कल्टीवेशन हो और प्रोडक्शन बढ़े। आज हम सीलिंग लगा कर जो जमीन हम काश्त करेंगे जो उस जमीन को लेकर लैण्डलैस लेबर में और हरिजनों को इक्वली बांट देंगे तो मैं समझता हूं कि यह आपकी पॉलिसी देश के लिये खतरनाक होगी। आज कोई भी इस बात को मान नहीं सकता कि आज एग्रीकल्चर लैण्ड पर जो प्रेसेज है वह लैण्ड के री-डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से है यह गलत होगा। इसके अलावा हम सीलिंग ला रहे हैं वह इसलिये नहीं ला रहे हैं कि उसको प्रोपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन इसलिये लगाते हैं कि स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग बढ़ाना चाहते हैं। हम हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। यह भावना सदन के सदस्यों में है और देश में है कि सीलिग आता है इससे एक-एक लैण्ड लैस लेबर को जमीन मिल जावेगी। गांव में हरिजन है उनको जमीन मिल जावेगी। अच्छी जमीन मिल जावेगी और सब लोग खुशहाल हो जावेंगे यह ख्याल गलत है। हिन्दुस्तान के आजाद होने से पहले तरह-तरह की बातें कहते थे। मगर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उन लोगों को जो उम्मीदें थीं और उनसे वायदे किये थे उनको हम पूरे नहीं कर सके। इसका नतीजा यह हुआ है कि there is a challange to the Government and authority.

(श्री पी० के० चौधरी)

और वह इसलिये होता है कि लोगों के दिलों में हम भावनाएं पैदा कर देते हैं और उम्मीदें पैदा करते हैं जिनको हम जानते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर सकते। सीलिंग हम पास करने जा रहे हैं लेकिन इसके लिये ऐसी भावना पैदा नहीं की जावे कि एक एक लैंडलैस लेबर, एक एक हरिजन को और जो भूमिहीन है उन सब को जमीन मिल जावेगी। यह बात कहना गलत है। सीलिंग पास करेंगे मगर इसके साथ साथ एक बड़ी भारी देश के लिये प्रोब्लम पैदा कर देंगे। सीलिंग से जमीन की प्रोब्लम हल नहीं होगी। सीलिंग तो इसलिये है कि लोगों को सोशियल जस्टिस मिले। अब हमको यह देखना है कि इस जमीन को लेकर उसका बेस्ट यूज किस तरह से हो सकता है। हम यह देखेंगे कि कम से कम यह जमीन जिसमें प्लानिंग कमिशन की सिफारिश है, री-सैटलमेंट के प्लान बनावेंगे। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो सीलिंग कमेटी बनाई उसकी जो क्लॉज ५ थी।

Resettlement Scheme: To make recommendations for distribution of land to landless persons and other deserving persons. यह उनका टर्म ऑफ रेफरेन्स था उसमें उन्होंने लिख दिया हैं scheme for distribution of landless persons. इसमें सीलिंग कमेटी ने यह लिखा हैं The Committee regrets that it has not been possible for it to deal with term No. 5 of the terms of reference (viz. to make recommendations for the distribution of land to landless persons and other deserving persons'. All that the Committee can suggest, at this stage, is that a suitable scheme for allotment of lands acquired in consequence of the application of ceilings may be prepared by the Settlement and Revenue Departments after taking into consideration the suggestions made in paragraph 43-46 of Chapter IX of the Second Five Year plan, अब Scheme of Resettlement. के चैप्टर ४८ और ४९ है उसमें जो सिफारिश की गई है उसमें लैंडलैस लेबर में बांटने की सिफारिश नहीं हैं। वहां पर यह सिफारिश हैं कि हम जमीन को settlement should be made, as far as possible, on co-operative lines.

यह जमीन हमको मिलेगी उस जमीन को सबसे पहले हम यह कोशिश करेंगे कि हम कोऑपरेटिव बनाकर काश्तकारों को देंगे। यह जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेगी उसमें हम यह देखेंगे कि यह जो जमीन दी जा रही है उसमें कितने फेमिली रखने से यह इकॉनोमिक होल्डिंग हो सकती है। इसके आधार पर हम जमीन उन लोगों को देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसने भी तीन चार साल ले लिये अपनी सिफारिशें देने में। मगर सबसे विटल पॉइन्ट रीसैटलिंग का आइटम था उस पर कोई सिफारिश नहीं दी है। आज राजस्थान सरकार सीलिंग को हमारे सामने ला रही है। लेकिन इसके सामने कोई रीसैटिलमेंट की व्यवस्था नहीं है। हम जो मोड ऑफ लैन्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उसके फर्टिलिटी की बात करते हैं लेकिन जब हमारे सामने इस प्रकार के कार्य करने के मौके आते हैं, मार्ग दर्शन करने के तो हम उसमें चुप रहते हैं। सरकार के सामने आज इसके रीसैटलमेन्ट की कोई स्कीम नहीं है कि किस तरह से रीडिस्ट्रिब्यूट करेंगे। यदि प्लानिंग कमीशन की हिदा-

(श्री पी० के० चौधरी)

यतों के माफिक चलना हो तो उसके लिए डेफिनेट प्लान होना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि रीसैटलमेन्ट की स्कीम ऐसी होनी चाहिये थी कि जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको पहले इकोनोमिक होल्डिंग्स बनानी चाहिये न कि उनको लैंडलैस को दे दिया जाय। १००,२०० एकड़ जमीन को लेकर जो लोग बैठे हैं, अनइकोनोमिक होल्डिंग्स को लेकर बैठे हैं, उन पर चिपकेपड़े हैं, उनको हटाइये। उनकी कोऑपरेटिव्ज़ बनाइये और कोऑपरेटिव्ज को ही लैंड दीजिये। जैसा भूदान ने किया है। भूदान में जो लैंड प्राप्त हुई है उसको कोऑपरेटिव के जरिये दिया जाय यह तय किया है न कि उसको इस तरह से रीडिस्ट्रब्यूट कर किया जाय। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे पहले रीसैटलमेन्ट की स्कीम तैयार होनी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जो ख्याल है, उम्मीद सारे प्रान्त में पैदा कर रही है कि लैंडलैस को जमीन देंगे, सीलिंग जरूर लगाइये, लेकिन जो जमीन आवेगी उसमें इम्प्रूवमेन्ट्स करिये, एग्रीकल्चरल मेथड्स एडोप्ट करने के लिए करिये, उससे कोऑपरेटिव्ज़ बनाइये, न कि व्यक्तिगत दे दीजिये। अगर इसको कोऑपरेटिव्ज़ बेसिस पर दे दें तो वह इकोनोमिक होल्डिंग बन जायगी न कि किसी को एक एकड़, दो एकड़ चार एकड़ दे दिया। ऐसा नहीं देंगे यह मानना चाहिये। इसलिए इसके लिए एक निश्चित प्लान होना चाहिये।

दूसरी बात है उपाध्यक्ष महोदय, जो फेमिली होल्डिंग तय किया है उसके बारे में। फेमिली होल्डिंग तय करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ओपरेशन युनिट को लेकर कि एक फेमिली का सदस्य कितनी काश्त कर सकता है, उसकी फेमिली होल्डिंग की युनिट है उसको तय किया जाय। दूसरा इकोनोमिक इन्कम को लेकर। एक फेमिली की इकोनोमिक इन्कम, मनी इन्कम कितनी होनी चाहिये। उस बेसिस पर इसको तय करना है। सीलिंग कमेटी ने यह तय किया है कि इकोनोमिक लिमिट को लेकर करेंगे। उन्होंने जो इकोनोमिक इन्कम को लिया है, उसमें जो आर्ग्युमेन्ट्स हैं वे हैदराबाद कमेटी से लिये हैं। यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर इकोनोमिक इनकम का सवाल आता है, इकॉनोमिक होल्डिंग का सवाल आता है, मनी इन्कम का सवाल आता है, उसको तय करने के लिए हमको राजस्थान के आसपास की स्टेट्स प्रान्तों को देखना चाहिये, हैदराबाद नहीं। राजस्थान की आस पास की स्टेट्स में इकोनोमिक होल्डिंग्स क्या हैं, और क्या मानी जाती हैं। उनको देखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो हम सीलिंग एरिया फिक्स करते हैं, इकॉनोमिक होल्डिंग तय करते हैं या इन्कम किसी फेमिली के लिए फिक्स करते हैं, राजस्थान के आसपास जो स्टेट्स हैं, प्रान्त हैं, अगर वे उनसे वेरी करेंगी, उनमें डिस्पेरिटी रहेगी तो उसके रिपरकुशन्स गलत होंगे। वे गवर्नमेन्ट के लिए फायदेमन्द नहीं हो सकती। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, यह मनी इन्कम तय करने का सवाल है, इकोनोमिक इन्कम तय करने का सवाल है, किसी प्रिन्सिपल को तय करने का सवाल है, सीलिंग कमेटी ने क्या तय किया है, इन्डिस्ट्रयल इन्कम पर क्या फेयर वेज करते हैं, उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। इन्कम तय करने के लिए उनके वेजेज क्या होनी चाहिये, उसका सब से बड़ा बेसिस यह मानते हैं कि

(श्री पी० के० चौधरी)

सर उन्डिंग एरिया है, आसपास के एरिया की सीमिलर इन्डस्ट्रीज जो लेबर्स को मिलत है, उसी बेसिस पर जाकर लिविंग वेज, फेयर वेज तय करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि कमेटी ने हैदराबाद में इकॉनोमिक होल्डिंग का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर अपने यहां की इकोनोमिक होल्डिंग का फैसला किया है। मैं तो निवेदन करूंगा कि हैदराबाद से मिसाल न लेकर, हैदराबाद का क्राइटेरिया न लेकर, वहां के स्टेटिस्टिक्स और डेटा को न लेकर आसपास की जो स्टेट्स हैं, यू. पी. पंजाब, मध्य प्रदेश इनकी इकॉनोमिक होल्डिंग्स की क्या डेफिनेशन है, उन्होंने किस बेसिस पर तय किया है, फेमिली इन्कम का क्या तय किया है, उनको ध्यान में रखकर सीलिंग तय करते तो ज्यादा फायदेमन्द होता और सब को सन्तोष होता। जो इकॉनोमिक होल्डिंग उन्होंने तय किया है और जिस बेसिस तय किया है उसके एक एक्सपीरेन्स हैदराबाद से न लेकर राजस्थान की आसपास की जो स्टेट्स हैं, उनसे लया जाय।

जो फेमिली की डेफिनेशन उन्होंने रखी है, वह मैं बताऊं तो ठीक नहीं। उन्होंने एक फेमिली में ७ पर्सन्स रखा है। मैं समझता हूं कि फेमिली का सिस्टम है उस हिसाब से ७ नहीं हो सका। प्लानिंग कमीशन का भी सजेशन है कि पांच से सात माना जाय। इसलिए यह ज्यादा इक्वीटेबल होगा ५ का रखना यदि इन्डस्ट्रीयल युनिट का लेते हैं तो, वहां ५ को नहीं माना है किन्तु ३॥ को माना है। आपका बेसिस है, टू सेक्शन्स ऑफ पोपुलेशन। एक रूरल और दूसरा अर्बन पोपुलेशन। अर्बन पोपुलेशन की मनी इनकम तय करते हैं तो ३॥ लेते हैं और रूरल पोपुलेशन की मनी इन्कम तय कर लेते हैं। तो ७ लेते हैं इतनी डिस्पेरिटी नहीं रखनी चाहिये और जैसी कि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश थी कि पांच का रखना चाहिये, वह ज्यादा इक्वीटेबल होगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि फेमिली इन्कम रखा गया, है ७ पर वह न होकर पांच पर होना चाहिये। वह ज्यादा इक्वीटेबल है और नोर्मल भी है। सात की फेमिली कम मिलेगी। एक ज्वाइन्ट फेमिली में मिल सकती है। आज ज्वाइन्ट फेमिली का सिस्टम जो ट्रेन्ड आजकल चल रहा है, समाप्त होता जा रहा है और सेपरेट फेमिली का सिस्टम चल रहा है। इसलिए ७ न होकर पांच होना चाहिये।

जहां तक एग्जम्प्शन का सवाल है एग्जम्शन के लिए प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की थी कि एग्जम्हशन होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एग्ज़म्पशन के लिए मेरा मत भेद है। मैकेनाइज्ड फार्मस के लिए जो एग्जम्प्शन रखा है मैं उसके हक में नहीं हूं।

मैकेनाइज्ड फार्म के एक्सेप्शन का मतलब होता है बड़े बड़े जितने भी लैन्ड होल्डर्स हैं, या जितने भी एक हजार एकड़ से ज्यादा होल्डर्स हैं उनके लिये जहां सीलिंग ला रहे हैं वहां ऐसे ऐसे बडे फार्मर्स को हम एक्सेपशन दे रहे हैं। वह सीलिंग हम इसलिये नहीं ला रहे हैं कि किसी के पास १०० एकड़ जमीन है और उसका सीलिंग हम पचास एकड़ रखते हैं तो उससे पचास एकड़ ले लें या जिसके पास साठ एकड़ है उससे दस एकड़ ले लें उसके लिये यह सीलिंग नहीं ला रहे हैं जब हम सीलिंग तीस एकड़ का रख देते हैं तो मैं ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं मानता। लेकिन हजारों एकड़ रह जाय, मैं इसकी डिस्पेरिटी मानता हूं। मैकेनाइज्ड फार्मिंग का एग्जम्प्शन देते हैं तो मैं आपकी

(श्री पी० के० चौधरी)

जानकारी के लिये कह सकता हूं। आपके यहां एक भी ऐसा और बड़ा मैकेनाइज्ड फार्म नहीं है जिसके पास पांच हजार एकड़ जमीन हो, जिसके पास दो, चार ट्रैक्टर हों, मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो एग्जम्पशन रखा है उसका मतलब यह है जैसा कि हमारे यहां कहावत है "देखते हुए सुई भी पार होने नहीं देना पीछे से चाहे हाथी चला जाय।" यह कहावत यहां चरितार्थ हो रही है। लार्ज फार्म में पांच सौ या हजार बीघा जमीन है इसके अनुसार आप एक भी फार्म को सीलिंग के अन्डर नहीं ला सकते। इसमें आपने एक बात जरूरी रखी है एफीशियेन्टली मैनेज्ड farms consisting of compact blocks and mechanically worked तो यह जो रखा है इस क्लॉज के अन्दर सारे बड़े जो आदमी है जिनके पास हजारों बीघा है वे सब इससे बच जायेंगे। आपने पचास एकड़ की सीलिंग फिक्स कर दी, इससे ज्यादा किसी के पास एक या दो एकड़ जमीन होगी तो वह इसके अन्दर लेली जायगी। एफीशियेन्टली मैनेज्ड के नाम से ये सब निकल जायेंगे और मान लीजिये अब तक यदि किसी के पास ट्रैक्टर नहीं भी है तो वह बिल के पास होने तक सब फर्म पर आपको ट्रैक्टर मिल जायेंगे। इलेक्ट्रिक पम्प मिल जायगा या तेल से चलने वाला पम्प मिल जायगा और यह जो एग्जम्पशन रखा है उससे तो यह मालूम पड़ता है हाथी के दांत दिखाने के तो और होते हैं और खाने के और। लोगों को दिखाने के वास्ते यह रख दिया कि हमने सीलिंग लागू कर दिया लेकिन जो रिच लोग है इस तरह से सब को एग्जम्शन मिल जायगा।

दूसरा सवाल आता है उपाध्यक्ष महोदय कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फार्मिंग का। आज हिन्दुस्तान में उपाध्यक्ष महोदय सब से बड़ा प्रोब्लेम एग्रीकल्चर का है ...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will conclude his debate.

श्री पी० के० चौधरी : (जारी) I think, Sir, that it is continuing for tomorrow also and why I am prevented from talking. It is very importand matter and Hon'ble Members should be allowed to express their views on all aspects. It is a revolutionary legislation which we want to pass and we are going to change the whole agrarian structure.

श्री उपाध्यक्ष : You will not spend the time over it. Rather you continue the debate,

श्री पी० के० चौधरी : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मेरा निवेदन इतना जरूर है कि इस पर सब के व्यूज सुन लेने चाहिये। जब कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो पर्टिकुलर मेम्बर के पर्टिकुलर व्यूज उसके सामने होने चाहिये every represantative views many be heard. They may be valuable to one and not valuable to another. That depends upon the way of looking at it.

श्री उपाध्यक्ष : You will please continue.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव फार्मिंग के साथ एफीशियेन्टली मैनेज्ड यह भी शब्द जोड़ा

(श्री पी० के० चौधरी)

गया है आज हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में हमारे यहां पर कोऑपरेटिव मूवमेन्ट चल रहा है इसको हम तरक्की देना चाहते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के साथ एफीशियेन्टली मैनेज्ड शब्द रख कर हम एग्जीक्यूटिव के हाथ में उनको सौंप रहे हैं उनको हम मौका देते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग में हस्तक्षेप करने का। इस बिना पर वे कह सकते हैं कि तुम्हारा कोऑपरेटिव एफीशियेन्टली मैनेज्ड नहीं हैं तुम्हें एक्जेम्प्शन नहीं मिल सकता। आज जब कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को उन्नत करना चाहते हैं वैसी हालत में कोऑपरेटिव फार्म्स के साथ क्वालिफाइंग क्लॉज नहीं होना चाहिये। यदि आपको उन पर सीलिंग लगाना ही है तो आप इस तरह से लगाइये कि उसके जितने भी पार्टनर्स हैं उनका हिस्सा सीलिंग के हिस्से से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आप तीस एकड़ का सीलिंग करते हैं तो जहां कोऑपरेटिव में दस आदमी है तो उस फार्म में ३०० एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिये इस प्रकार से आप स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रख सकते हैं। इसमें जो रखी गई है वह वेग क्वालिफिकेशन है। इसमें एग्जीक्युटिव के हाथ में जो अधिकार दे रहे हैं विलफुली एक्शन करने का, यह ठीक नहीं है। इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी जमीन भी सीलिंग एरिया की तरह रहेगी तो इससे ज्यादा जमीन वे रख नहीं सकेंगे इसलिये ऐसा प्रोविजन होना चाहिये।

शूगरकेन फार्म्स have been exempted. क्यों इतना दर्द हुआ शूगर फैक्टरी के ओनर्स के लिये। फैक्टरी ओनर्स पर आप सीलिंग लागू नहीं करना चाहते। जब शूगरकेन फैक्टरी एक इनडिवीज्यूअल व्यक्ति चलाता है अपने फार्म में चलाता है तो उसको आप एग्जम्प्शन नहीं देते। यह जो क्लॉज़ रखा है मेरे खयाल से शूगर केन .... फार्म होल्डर्स को नहीं रहना चाहिए। अगर इसको एग्जम्प्शन रखना ही है तो कोऑपरेटिव बनाकर लेबरर्स की सोसाइटी बनाकर जो फार्म बनाया गया हो उसके लिये आप एग्ज़म्प्शन रख सकते है अपने खुद के नाम से नहीं रख सकते। ये सारे के सारे एग्ज़म्प्शन्स है वे इस बात को इन्डीकेट करते हैं इनएग्ज़म्प्शन के जरिये जो पैसे वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। छोटे छोटे काश्तकारों को इससे किस प्रकार का फायदा नहीं है। इन एग्जेम्प्शन्स के जरिये सारा का सारा बिल नल एन्ड वोइड हो जायगा। यह जो एग्ज़म्प्शन्स है उसके में बिल्कुल खिलाफ हूँ।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ट्रान्स्फर ऑफ लैन्ड का क्लॉज़ रखा है जो ३० डी में है उसमें कहा गया है उसका हैडिंग है।

"certain transfers not to be recognised for fixing ceiling area under section 30 -- For the purpose of determining the ceiling area of a person under section 30 C any transfer of the whole or a part of the holding of such person which is proved to have been made within three years immediately preceding the commencement of the Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1958, in anticipation of the passing there of shall not be recognised and every such transfer shall, not with standing anything contained in this Act or in any other law for the time being in

(श्री पी० के० चौधरी)

force in the whole or any part of the State, be void and shall not be enforceable as against the State."

तो इसमें ऑल ट्रान्सफर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखी है उसको नल एन्ड वोइड डिक्लेअर किया है।

उपाध्यक्ष महोदय में इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्जेक्शन लेता हूँ। इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना स्टेट लेजिस्लेचर के अधिकार में नहीं है।

मैं नहीं समझता कि ट्रान्स्फर रोकने का क्या मतलब हो सकता है। यह हो सकता है कि जो ट्रान्स्फर मेलाफाइडी हो। जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी कहा है कि जो ट्रान्सफर मेलाफाइडी नहीं हो, वह हो सकता है। सब ट्रान्सफरों के लिये नहीं, जो मेलाफाइडी हो उसके लिये है। इसके सिलसिले में..........

श्री उपाध्यक्ष : You have taken already fifteen minutes.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, I am referring to transfer. It is a very important clause.

"Whichever course is adopted, it is important that suitable action should be taken in respect of malafide transfers of land. If individual holdings are taken as the bases for the enforcement of ceiling there will be greater scope for malafide transfers and special meaures would need to be devised to deal with this problem."

सो प्लानिंग कमीशन ने जो सिफारिश की थी वह मेलाफाइडी के लिये की थी जो ट्रान्सफर रॉयल न हो, जीनुआइन नहीं हो, नोर्मल रूटीन में, कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रान्सफर न किया गया हो, पर सीलिंग को अवोइड करने में अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिहाज से ट्रान्स्फर किये हों, वे ट्रान्स्फर न माने जावें। इनको हम मेलाफाइडी कह सकते हैं। इसको रोकने के लिये प्रोविजन ला सकते हैं। पर जो नोर्मल रूटीन में हुए हैं उन पर नहीं।

He has got freedom to possess, to transfer and to dispose of his property.

अब उस पर क्वालिफाइड रेस्ट्रिक्शन्स ला सकते हैं। In the interest of the general public.

तो जनरल पब्लिक का इन्टरेस्ट तब क्लेश होता है जब मेलाफाइडी हो। आज से तीन साल पहले मान लीजिये किसी काश्तकार ने किसी बड़े काश्तकार से या जमींदार से पचास बीघा जमीन खरीदी। जो आपके सीलिंग लिमिट से कम है पर आपके इस क्लॉज से वह भी नल एण्ड वोइड होती है। तो मैं समझता कि यह जो सीलिंग हम कर रहे हैं इसलिये नहीं कर रहे हैं कि देशमें इस तरह के कम्पलीकेशन पैदा हों। जिन्होंने साल दो साल या तीन साल पहले नोर्मल वे में जमीन ट्रान्सफर कराई है उनके साथ ऐसा नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude the debate within five minutes.

श्री पी० के० चौधरी : तो इसको रखना नहीं चाहिये। इसलिये मेरा कहना यह

(श्री पी० के० चौधरी)

कि यह जो ३० डी है इसको सूटेबली मोडी-फाई करना चाहिये।

दूसरी बात जो डिफरेन्सियेशन किया गया है बैल इर्रिगेटेड और अइनर्रिगेटेड लैण्ड में वह ठीक नहीं है। इसमें रक्खा है कि ४६ के बाद में जो जमीन में किसी ने कुआ खोदा है तो उसको बरानी माना जावेगा और सीलिंग आने के बाद जो किसी ने जमीन में कुआ खोदा है तो उसको २५ साल के लिये बारानी माना जावेगा। मैं समझता हूं इसका असर यह होगा कि इन्सेन्टिव वेल्यू विल डिसएपीयर The incentive for improvement in the land will be sapped.

यह कुआ खोद कर कोई जमीन में इम्प्रूवमेन्ट लाता है उस पर आप सीलिंग एरिया में इर्रिगेटेड में काउन्ट करते हैं। वह गलत होगा इसमें डिफरेन्सियेशन नहीं रखना चाहिये।

आज ज्यादातर जमीन में काश्त होती है इसमें वाटर फेसीलिटी नहीं है। आप जो ऐसा प्रावधान रक्खेंगे कि कुआ खोदता है उसको २५ साल बाद यह जमीन को स्टेन्डर्ड मान लेंगे और अब से इसका रेन्ट १।३ हो जावेगा। आज जमीन ६० एकड मिली है उसमें कुआ खोदता है तो ३० साल बाद उसको २० एकड मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा। तो फिर वह क्यों तरक्की करेगा, क्यों कुआ खोदेगा। मैं मानता हूं। कि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ेगा। this dis-incentive for improvement in land, इसलिये निवेदन है कि सीलिंग कमेटी इस बात पर गौर करे। इस तरह के प्रावधान इसमें नहीं रहने चाहिये।

कैनाल एरिया की बात मान सकते हैं, वहां दो तीन फसल ले सकते हैं पर वैल इर्रिगेशन में दो फसलें लेना मुश्किल हो जाता है। पानी उठाने में उसको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। जब कि कैनाल में पानी इजीली फैलो करता है। इसके लिये उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मनगढ) : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। खास तौर से इसलिये कि यह हमारी इस असेम्बली का सबसे इम्पार्टेन्ट बिल है क्योंकि हम अपनी एक सोसायटी का नव निर्माण करने जा रहे हैं ऐसे वक्त इस प्रश्न को उसी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

सिलेक्ट कमेटी के पास इस बिलके जाने का प्रस्ताव बिलकुल सही है क्योंकि जिस तरह से यह बिल हमारे सामने आया उसकी एक भूमिका है। यह एक कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई। पिछली बार हाउस में डिस्कशन के लिये रक्खी गई। बड़ी बहस उस पर हुई और मेरे ख्याल से, जब यह बहस चल रही थी तो एकाएक हाउस एडजोर्न हो गया जिससे लोगों के दिलों में जो अरमान थे वे पूरे जाहिर नहीं हो सके कि जिस प्रकार की सोसायटी राजस्थान में हम बनाने जा रहे हैं उसका भविष्य कैसा हो।

अभी एक हमारे साथी ने, एक बडा नक्शा खींचा कि जो टर्म्स ऑफ रेफेरेन्स पांचवीं थी उसका क्या किया। हाउस को सात आठ महीना हो गया, इसके बाद में सोचा। कोई एल्टरनेटिव पिक्चर इस बिल के द्वारा नहीं दी गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैण्ड किस तरह होगा। मुझे ताज्जुब है बहुतसी लैंड पडी रही हमारे इलाके में। इस पर रिफ्यूजी को बसाया, बाद में लैण्ड लैस हरिजनों को

(श्री भोलानाथ)

दी। पर यह दुर्भाग्य है इस मामले में कि इसे दुरुस्त नहीं किया गया। हर साल पट्टा बदलते रहे। किसी को डेढ और किसी को दो, तीन बीघा जमीन मुश्किल से दी और वह भी हर साल बदलती रहे तो इस तरह ऐसी हालत वहां पैदा हुई कि सारी सोसायटी ही एकदम डिस्टर्ब हो गई। हरिजनों के पास अपना जो पैसा था वह भी इस जमीन के लालच में छूटा और हर साल पट्टा रिन्यू हुआ। उनके सामने ब्लॉक टाइप का यह सवाल आया। नतीजा यह है है कि आज भी उनको बेदखल किया जाता है, अलॉटमेन्ट में बड़ी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। उनके पट्टे समय पर रिन्यू नहीं होते हैं और इन सब का फल यह होता है कि वह बेचारे अपनी जमीनों को भी ठीक ढंग से नहीं बना पाते हैं और ऐसी ही हालत पैदा होती है। कभी कभी तो उनसे डबल रेंट तक भी लिया गया है। बड़ी मुसीबत है। मैं कहता हूं कि हम उनको कोई कोऑपरेटिव के तरीके से जमीन देकर बसाते या ऐसी पिक्चर खींचते जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम देश में अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इनइक्वेलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो कोई सा तो ऑब्जेक्टिव एचीव किया होता। हर साल पट्टे रिन्यू करते हैं और समय पर दूसरा आदमी आ जाता है। आप एक जमीन किसी एक की खारिज करके दूसरे को दे देते हैं एक आदमी को तकावी मिल नहीं पाती है, न उसको अच्छा बीज मिलता है, न अच्छी खाद ही डाल सकता है। मैं समझता हूं कि बस यही पिक्चर आप राजस्थान में पेश करना चाहते हैं यह सीलिंग बिल लाकर, सीलिंग का आपका तरीका है और आगे जो होने वाला है अगर उसकी सही सिक्चर सलेक्ट कमेटी के मीट करने के पहले नहीं रखी तो मैं इस बात को सही मानता हूं कि हमारे राजस्थान की एक बहुत अजीब पिक्चर होगी और वह यह होगी कि लोग छोटी २ जमीन के लिये कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगावेंगे और या फिर तहसीलदार के पास दरख्वास्त देंगे और एक मुसीबत आ जायेगी उनके लिए। अब सीलिंग करने के बाद लोगों को हम एक एक बीघा देना चाहते हैं, या दो बीघा देना चाहते हैं और एक बीघा वाले को पहले जमीन देंगे या दो बीघा वाले को पहले जमीन देंगे या फिर पहले उनको देंगे कि जिसके पास बिलकुल ही जमीन नहीं है। आखिर क्या निश्चय किया है। फिर लैंड डवेलपमेन्ट कमेटी के बारे में ठीक कहा है। ऐसी हालत पैदा होती है, हमें दूसरों की बातों को भी तो सुनना चाहिए आपको इसलिए नहीं सुनना कि एक अपोजिशन वाला कहता है बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में हमारी ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ही नहीं, बल्कि पंडित जवाहरलालजी भी परेशान हैं। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा पंडितजी के दो तीन स्टेटमेन्ट भी आये हैं पहला स्टेटमेन्ट तो पंजाब में और दूसरा अहमदाबाद में, दोनों में उन्होंने कहा कि पहले आप यह बतायें कि लैंड किस को देंगे और कितनी देंगे। अगर आप इन्डिवीज्युअल आदमी को देना चाहते हैं तो आप बताइये आपके पास क्या तरीका है? ठीक है आपने लैंड अलॉटमेन्ट के रूल्स बना रखे ह लेकिन उनसे काम चलने वाला नहीं है। फ्रेगमेन्टेशन ऑफ लैंड, एक एक टुकड़ा हर जमींदार को सीलिंग की वजह से उसको जमीन को देने वाले हैं वह किस जगह पर होगी। उसकी जमीन कहीं किसी जगह पर होगी और कहीं किसी जगह पर होगी। फिर सवाल यों आयेगा कि उनकी जमीन तीन बीघा, ४ बीघा, ६ बीघा या १०

Page No.106

(श्री भोलानाथ)

बोया निकले और फिर आप किसको देंगे। फिर एक बात और है कि आप कन्सोलिडेशन आफ हाल्डिंग के जरिये से यह भी चाहते हैं कि हम जमीन का कन्सोलिडेशन करें और इसके लिए एक डिपार्टमेन्ट अलग से खोलते हैं जिस पर लाखों रुपये का बजट रखते हैं उसका अगर कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग का नक्शा है तो उसको भी रखना चाहिए। पहले आप हल्डिंग करने के लिए जमीन को लेंगे फिर फ्रेगमेंटेशन के तरीके से बेसेज निकलेगा उनको आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्डिवीजुअल तरीके से जमीन देंगे या कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे, आखिर आप कैसे करेंगे, कोई साफ नक्शा तो हमारे सामने होना चाहिए। अभी अभी एक भाई ने ठीक कहा है कि इससे हमारे हारजन भाइयों को जोश पैदा हो जाता है खास करके इसलिए कि हमारे पुराने साथी जो इधर बैठते हैं उनका रवैया ऐसा रहा कि उन लोगों का आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हमारे सामने ऐसी भावनाएं आती हैं कि बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको हम बचाना चाहते हैं और सीलिंग को जल्दी से नहीं आने देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि सीलिंग को कोई नहीं रोक सकता और इस चीज को उसूलन बहुत पहले से ही माना गया। अब तो खास सवाल यह है कि सीलिंग किस तरीके से लागू हो, यह प्रश्न हमारे सामने है और इसलिए यह बिल हमारे सामने आया है और उसके रूल्स बनते हैं। यह अभी कहा गया कि हम सीलिंग का नहीं आने देंगे, यह गलत बात है। लेकिन जो सीलिंग का हम लाना चाहते हैं और उसका जो आब्जेक्टिव है वह यह है कि हम सोसाइटी को सोशियल जस्टिस देना चाहते हैं, जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। मैं तो इसके आगे और भी इस चीज को मानता हूं कि जो जमीनों में पूंजी और दूसरी चीजें लगी हुई हैं उन पर भी सीलिंग इसी तरीके से आगे आयेगा। मैं इस डिबेट को कन्टिन्यू करने के पक्ष में हूं और इसके जरिये मैं हाउस के सामने यह फीलिंग रखना चाहता हूं कि लोगों की यह भी डिमान्ड है कि आप जब कि आज जमीन का सीलिंग करने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको पूंजी का भी सीलिंग करना चाहिए। इस सदन के जरिये से, इस गैलेरी के जरिये से, इन प्रेसेज के जरिये से इस प्रकार की आवाज गूंजनी चाहिए। ...

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir, the Hon'ble. Member is not addressing the gallery.

श्री उपाध्यक्ष : Don't appeal to the gallery. मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि गैलेरी सदन के बाहर की चीज है और जो आप संकेत कर रहे हैं वह यहां का विषय नहीं है। इसलिए गैलेरी के सम्बन्ध में आप कोई भी बात न करें।

श्री भोलानाथ : मैं गैलेरी को प्लीज करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह हाउस जनता का हाउस है और हम जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं। जो यहां हाउस में कहा जायेगा वह हिन्दुस्तान के लिए सुनने की चीज होगी। इसलिए हमारा ख्याल है कि जब हम यह सीलिंग की बात करते हैं तो जो साथियों की भावनायें हैं उसके अनुसार हमें और दूसरी चीजों पर भी जैसे आमदनी पर भी सीलिंग लगानी होगी; इसके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है कि हमने एस्टेट ड्यूटी लगाकर के उनकी आमदनी को और उनके

(श्री भोलानाथ)

पास जो पूंजी है उस पर कन्ट्रोल करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी है कि जब हम कोई नक्शा पेश करना चाहते हैं तो वह अच्छा नक्शा होना चाहिए। एक इन्डिवीजुअल काश्तकार के पास जिसकी फेमिली पांच या सात मेम्बरों की है उसकी सालाना इन्कम आप २४०० रु० करना चाहते हैं याने २०० रु० प्रति मास को आप स्टेन्डर्ड आय एक महीने की मानते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ख्याल करना होगा कि क्या गवर्नमेंट सर्विसेज का और सरकारी अधिकारियों का भी यही स्टेन्डर्ड रखना है, उनकी आय भी क्या २०० रु० ही रखना चाहते हैं। यह बेसिक सवाल है जिस पर आपको विचार करना होगा। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें ठहरना नहीं होगा, क्या हम आपको इस तरीके से ठहरने देंगे। हां, यह बात ठीक है कि हम सरकारी लोगों को तो दो-दो हजार और ढाई-ढाई हजार तनख्वाह देते हैं और एक काश्तकार की आमदनी केवल २०० रु० ही रखना चाहते हैं, तो इस इनइक्वेलिटी को दूर करने का क्या तरीका है, इसका नक्शा रखना चाहिए। हां, हम पंडितजी की इस बात को मान सकते हैं कि फेग्मेन्टेशन से कोऑपरेटिव होल्डिंग बननी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक सोसाइटी को बदलने का सवाल है और सवाल यह है कि आगे हिन्दुस्तान में किस तरीके से काम करना होगा। जब आपको आर्थिक व्यवस्था को बदलना है और इसके लिए आपने इन्टरमीजियरीज़ को खत्म किया और अब सीलिंग के द्वारा जमीन का बंटवारा कर रहे हैं तो बंटवारा करने से पहले इस पर विचार करना होगा कि आखिर आप कितनी कितनी जमीन देना चाहते हैं, जो खाना है वह कितना देना चाहते हैं, किस कदर देना चाहते हैं और कौन सी बातों को जरूरी समझते हैं। मकान, जमीन, पूंजी आदि सब के बारे में आपको एक नक्शा पेश कर देना चाहिए। अब आपने कुछ आंकड़े पेश किये हैं तो कहीं पर तो एक फेमिली की आमदनी १३०० रुपये जयपुर के लिए बताई है, कहीं पर ८०० रु० बताई है और कहीं पर पन्द्रह सौ रुपये। आप ख्याल करिये कि जो एवरेज आपने निकाली उसमें कहीं कुछ है और कहीं कुछ है, आखिर जो आप यह क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं तो उस का आप क्या नक्शा रखना चाहते हैं और राजस्थान के एक काश्तकार की कितनी आमदनी आप एग्रीकल्चर से रखना चाहते हैं, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके बाबत आपके पास कोई जवाब नहीं है और क्यों नहीं है उसका कारण यह है कि न तो आप प्लानिंग कमीशन के साथ चलते हैं और न आप अपने स्टेटिस्टिक्स के अनुसार चलते हैं। न आप ऑल इन्डिया के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक चलते हैं। जब आप मानते हैं कि पर-कैपिटा इन्कम ३०० रुपये हो तो आपने फेमिली में मेम्बर्स ५ को न मानकर ७ को मान लिया उसके माने यह है कि आपने दूसरों के स्टेटिस्टिक्स को माना है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि हम थ्री मल्टीपल रखना चाहते हैं जब कि आप मल्टीपल दो का ही रखना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि उसूल क्या है। उधर प्लानिंग कमीशन कहता है कि ५ मेम्बर का फेमिली हो और आप उसको ७ कर देना चाहते हैं, याने कोई एक तरीके के बारे में सोचना चाहिए। आपकी मंशा

(श्री भोलानाथ)

क्या है ? मैंने जब इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा और जो बिल ड्राफ्ट होकर सामने आया उसको देखा तो उसमें फेमिली को ५ के बजाय ७ कर दिया गया है।

इधर जो आपकी यह कमेटी बैठी थी इसकी सीलिंग की, उसने अपनी रिपोर्ट के पेरेग्राफ ५५ या ५२ में यह बात कही थी कि हम जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है उसके मुताबिक इस बात को मानते हैं कि एक फेमिली ५ से ७ तक की हो, आर्डिनरी फेमिली स्लेब ५ टू ७ मेम्बर्स होता है। एक तो इसमें जो सब कमेटी बैठी थी 'बी' कमेटी शायद उसका नाम है। तो वह कमेटी बिटाई और कमेटी बिटाकर इस बात को एग्जामिन कराया तो 'बी' कमेटी ने इस चीज को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उस पूरी ने बैठकर उस सब कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसको कन्फर्म कर दिया कि जो भी 'बी' कमेटी बिठाई है उसकी सिफारिशों को मानते हैं।

वह कमेटी नं० २ की है उसने जिस तरह का फेमिली का डेफिनिशन बनाया है या जो मेम्बर्स के लिए कहा है उसको मानते हैं: For the purposes of fixation of ceilings, the definition of family should be as under:- ...

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानना चाहूंगा कि आपने पहले कहा था कि ४.४५ बजे क्वेश्चन पुट अप किया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : (To Shri Sohan Lal) Your motion was never taken. Why do you disturb ?

श्री उपाध्यक्ष : Why do you address directly ? You ought to have addressed through the Chair.

यह निश्चय हुआ था कि क्लोजर मोशन ४.४५ पर प्रस्तुत होगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे २ मिनिट के अन्दर समाप्त कर दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और भी विचार रह गये हैं, वे व्यक्त होने चाहिए इस सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आरम्भ रखें।

श्री भोलानाथ : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह बिल आया है और एक्चुअली हम इस बिल को देखते हैं तो उसका उद्देश्य साफ नहीं है, और जो क्लॉजेज इसमें उठाई गई हैं वे उस कमेटी के रिकमन्डेशन के मुताबिक नहीं है।

और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आयन्दा का उसमें नक्शा साफ नहीं है कि आगे आप किस तरह से, किस तरीके से चलना चाहते हैं और इन्तजाम करना चाहते हैं जमीन का। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जैसे एक तो जो आपकी यह रिपोर्ट है उसमें कुछ जिलों के ही आंकड़े दिये हैं, और किसी किसी जिले में तो जमीन की जो तहसीलों में सीलिंग मुकर्रर की उनमें भी २,२ या ३,३ हिस्से कर दिये गये हैं। यह बात ठीक है। उसके कन्टेन्शन को मानते हैं कि माननीय सदस्य गये हों तहसीलों में लेकिन मैं समझता हूं कि नागौर तहसील में गये होंगे इसके अलावा यह कमेटी किसी

(श्री भोलानाथ)

तहसील में नहीं गई और आंकड़े बनते हैं तहसीलवाइज । तहसीलों में डिफरेन्शियेट करके पेश कर दिया यह ठीक बात नहीं है। जिले का तरीका हो सकता है। जहां लैन्ड रेकॉर्ड को देखकर नये तरीके से सीलिंग फिक्स कर दी यह भी कोई तरीका ठीक नहीं है।

फिर मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर यह नेशनल इन्कम का सवाल है और दूसरी फेमिली आगे किस तरीके से जिन्दा रहे। साल, दो साल, ४ साल में वह फेमिली बढ़ने वाली है, तो उसका क्या इन्तजाम है? उस फेमिली के ऊपर प्रेसर आने वाला है उसको दूसरे किस ऑक्युपेशन में लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की फेमिली होल्डिंग के लिए एक बात कही गई थी ....

(समय-समाप्तिसूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I now discontinue the debate and put the question. The question is that the question be now put.

श्री श्रीभानसिंह : The Chair is putting the qestion without any Hon'ble Member raising the question.

श्री अध्यक्ष : It has already been moved.

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री श्रीभानसिंह : Sir, if you wanted to stop the debate, the House would not have overridden the powers of the Chair, but ...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। इन्होंने पहले प्रश्न को रखा था तो मैंने कहा था कि ४.४५ को ले लिया जाय। जब आपने आपत्ति उठाई तो मैंने इस प्रश्न को वापिस ले लिया। अब इस तरह का प्रश्न नहीं आता है।

श्री पी० के० चौधरी : The motion was not accepted at that time.

श्री उपाध्यक्ष : No, no. It was accepted. He wanted not to press it at that time and now he has reminded the Chair about it.

श्री पी० के० चौधरी : The motion was not accepted, and he did not move it now.

श्री उपाध्यक्ष : The motion was already pending and hence there was no need to move it again.

(श्री भोलानाथ के खड़े रहने पर)

Please resume your seat.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, यह ऐसी बात है कि जब दूसरे सदस्य बोलने के लिए तैयार है ....

श्री भोलानाथ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी परम्परा आप पैदा नहीं कर रहे हैं। आज सब लोग जा रहे हैं तो सब लोग ऐसा इम्प्रेशन लेकर नहीं जायं कि

(श्री भोलानाथ)

पिछली दफा सीलिंग कमेटी को लेकर गये थे तो मेरी यह अर्ज है कि बाकायदा ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of order, Sir, I would like to know whether the question was put before the House. You put the question and you took the vote, but whether it was for referring the matter to the Select Committee or whether it was a closure motion the Chair never said anything about it.

श्री सोहनलाल भटनागर : क्लोजर मोशन ही क्वेश्चन है। क्लोजर मोशन के लिए यह कहना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : I may enlighten the member. The procedure of closure motion is given here.

"At any time after a motion ha been made, any member may move 'that the question be now put', and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the motion.

श्री मुक्तिलाल मोदी : On a point of order Sir, ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please. "the Chair shall put the motion 'That the question be now put."

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह क्वेश्चन जिस ढंग से आना चाहिए इस सदन में नहीं आया है कि that the question is 'that the debate be closed' and we do not know whether the question was for referring it to the Select Committee or ... आपने सिर्फ यह कहा कि that the debate be closed.

श्री पाध्यक्ष : The Hon'ble. Member will please resume his seat.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जब वह चीज नहीं आई है ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please. You will please resume your seat.

श्री भोलानाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता था आपकी आज्ञा से और आप इसको वोट पर रख देते। उस वक्त यह हो जाता। बीच में इजाजत दे दी और आपकी आज्ञा से बोला। आप कहते बैठने को तो मैं बैठ जाता लेकिन इस तरह से ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि दो मिनिट और दे रहा हूं। उसके बाद में मैंने घंटी बजाई।

प्रश्न यह है कि ...

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो बातें ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! The Chair is on its legs.

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा निवेदन तो सुन लें।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष मुझको विथड्रा करना है ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please. The Chair is on its legs.

श्री श्री भानसिंह: But the Hon'ble Member (Shri Bahadur Singh) has to withdraw his motion. Let him withdraw the motion.

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मेरी आज्ञा से आप विड्रा कर सकते हैं। चूंकि अब क्लोजर मोशन मूव हो चुका है वह स्टेज चली गई हैं। अब इस प्रश्न को मै नहीं ले सकता प्रश्न यह हैं कि राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ एमेंडमेंट बिल....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Mr. Dy. Speaker, May I say something, Sir...

If the debate is to be closed, it should be according to the rules...

श्री उपाध्यक्ष : No Sir. I will not hear anything. Honble, Member will please resume his seat. प्रश्न यह हैं कि राजस्थान टिनेन्सी सिक्स्थ एमेंडमेंट बिल, १६५८, पर जो डॉ० बहादुरसिंह ने जो जनमत के लिए प्रसारित करने हेतु जो संशोधन प्रस्तुत किया हैं उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह हैं कि राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८ को प्रवर समिति को रैफर किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, गोशाला बिल पेंडिंग हैं सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए...

श्री पी० के० चौधरी : How cant it be taken ? I was continuing my debate.

श्री भोलानाथ : you can postpone

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की जाती हैं

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.५६ बजे अनिश्चित् काल के लिए स्थगित की गई)

———

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार १६ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ७३८६

धौलपुर क्लॉक टावर मशीन की चोरी

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाडमेर की कोर्ट में मुकदमा

जयपुर-अजमेर जाने वाली बसों के पर्मिट

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार

भरतपुर जिले की खाद्य समस्या

दूदू से फागी होती हुई चाकसू जाने वाली सड़क का निर्माण

मुर्दा मवेशी के सम्बन्ध में सवर्णों व जाटव चमारों में झगड़ा

ब्लॉक अधिकारी, करनपुर

सिंचाई विभाग के पास काश्त बोने के लिये रकबा-जिला भरतपुर

विजय नगर शुगर मिल्स लि० को ऋण प्रदान किया जाना

बीकानेर डूंगरगढ सड़क पर निर्माण कार्य का ठेका

राज्य के समस्त विभागों में हिन्दी का प्रयोग

डूंगरपुर से सांथुना सड़क का निर्माण

सवाई माधोपुर जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की स्थापना

राशमी थानेदार के खिलाफ रिश्वत की शिकायत

माउन्ट आबू पर मकानों की कमी

सरकारी कर्मचारियों को विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की मनाही

गड़रिया महिला के साथ भदेसर थाना के थानेदार द्वारा बलात्कार।

राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल, जोधपुर

गंगापुर में बिजली लगाने का आश्वासन

सरकारी मिडिल स्कूल, गुढ़ा गौड (झुंझुनूं)

राजकीय स्कूल, छोटी सादडी

राजस्थान सचिवालय में शीघ्र-लिपि प्रशिक्षण

विद्युत शक्ति

बांता बहुधन्धी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन

श्री एस. एन राय, निरीक्षक द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

वानियावास बांध का सर्वे

हाईस्कूल आबूरोड में कमरों की कमी

जवाहरात का व्यापार करने वालों की तलाशी–जयपुर

आबू रोड के पास सीमेंट फैक्टरी की योजना

गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, टोंक को डिग्री कॉलेज में परिवर्तन किया जाना

कोटा डिविजन में नई मंडियों का निर्माण ।

रामी खुर्द (तहसील देसूरी) में हाईस्कूल की स्थापना ।

चर्म उत्पादक सहकारी समिति, सुजानगढ़ का रजिस्ट्रेशन ।

लॉ कालेज में शिक्षण के लिये राज्य कर्मचारियों को अनुमति ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ८८५८

(क) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने जन सेवा आयोग के छटे प्रतिवेदन (दिनांक १ अप्रेल १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक) को मेमोरेण्डम सहित की मेज पर रखा ।

(ख) श्री रिखबचन्द धारीवाल उप-मंत्री वित्त विभाग ने राजस्थान राज्य के विनियोग लेखा (१ नवम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक) तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८ को सदन की मेज पर रखा ।

(ग) श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-मंत्री, वित्त विभाग ने राजस्थान राज्य के वित्त लेखा (१ नवम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७) तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७ को सदन की मेज पर रखा ।

समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के हेतु समय की वृद्धि ८८६०

(क) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति प्रवर-समिति (नियमों, के प्रस्ताव पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दिनांक १९ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया गया ।

(ख) श्री भैरूसिंह खेजड़ला, सभापति विशेषाधिकार समिति, के प्रस्ताव पर दैनिक पत्र "नवयुग"

से सम्बन्धित दोनों विशेषाधिकार प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उप-स्थापन

(क) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति, ने प्रवर-समिति (नियमों) के प्रतिवेदन का, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप सहित, उपस्थापन किया।

(ख) श्रीमती प्रभामिश्रा, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९५८-५९, ने निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया:—

(१) विद्युत एवं यंत्र विभाग से सम्बन्धित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर अष्टम प्रतिवेदन;

(२) 'सामान्य प्रशासन' से सम्बन्धित समिति के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर नवम प्रतिवेदन;

(३) पुलिस विभाग पर दशम प्रतिवेदन;

(४) श्रम विभाग से सम्बन्धित समिति के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर ग्यारहवी प्रतिवेदन;

(५) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समिति के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर बारहवां प्रतिवेदन।

विधाई कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान टिनेन्सी (पांचवा संशोधन) विधेयक १९५८ ८९६३

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डश: विचार किया गया।

खण्ड ६—संशोधित रूप में स्वीकार हुआ।

खण्ड ९—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३—इस खण्ड पर श्री सोहनलाल भटनागर ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत

किया जो स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् खंड संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १—आदि स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द इस आदेश के साथ किया जाय कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में पेश करे। इस पर डॉ० बहादुरसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। वाद विवाद के पश्चात् विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. माननीय उपाध्यक्ष
२. प्रभारी मंत्री
३. श्री भीमसेन
३. श्री रामचन्द्र चौधरी
५. ,, जेठमल
६. ,, हरिकिशन
७. ,, सोहनलाल भटनागर
८. ,, भैरूंसिंह खेजड़ला
६. ,, सज्जनसिंह
१० ,, पुरुषोत्तमलाल
११. ,, रामप्रसाद लड्ढा
१२. ,, सुगनचन्द्र जैन
१३. ,, भैंवरलाल
१४. ,, जनार्दनराय नागर
१५. ,, शिवनाथसिंह
१६. ,, रामकरणसिंह
१७. ,, लच्छू राम
१८. ,, मुरलीधर व्यास
१६. ,, अनूपसिंह
२०. ,, रघुवीरसिंह
२१. ,, श्री गिरधारीलाल
२२. ,, नाथीसिंह
२३. कु० शान्तोदेवी
२४. श्री श्रीमानसिंह
२५. एडवोकेट जनरल

———

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

वन सहकारी समितियों को दिये गये ठेकों की सूची

क्रम संख्या	समिति का नाम	स्थान	रजिस्टेशन की तिथि	मैनेजिंग कमेटी द्वारा नियुक्ति मन्त्री का नाम।
१	२	३	४	५
१.	सहरिया जंगल उपज उत्पादक सहकारी समिति	पठारी कोटा जिला	४-१-५८	ब्लाक डेवलपमेन्ट ओफिसर शाहबाद
२.	वन मजदूर सहकारी समिति	बीगौद, भीलवाड़ा जिला	२७-८-५८	नियुक्ति की सूचना नहीं है
३.	श्री गंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति	बीसलपुर पाली जिला	१७-१२-५७	ग्राम सेवा बीसलपुर
४.	फोरेस्ट लेबरर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी	रायपुर झालावाड़ जिला	१५-६-५८	नियुक्ति की सूचना नहीं है
५.	मायला वन श्रमिक सहकारी समिति	बराखान अजमेर जिला	८-४-५८	"
६.	राष्ट्रीय लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति	अलवर अलवर जिला	जुलाई ५८	"
७.	हरिजन लकड़ी उत्पादन सहकारी समिति	"	८-२-५८	"
८.	मजदूर लकड़ी उत्पादक सहकारी	"	जुलाई ५८	"
९.	बांसउद्योग सहकारी समिति	"	"	"
१०.	अम्बाती डैया आदिवासी मजदूर सहकारी समिति	अम्बाती उदयपुर जिला	१०-८-५८ १४-३-५८	श्री मोहनलाल को नये नियम अपनाये
११.	वन श्रमिक सहकारी समिति	उमरिया गुरा उदयपुर जिला	२०-६-५८ २७-८-५८	श्री हिम्मतसिंह को नये नियम ग्रहण किये

१	२	३	४	५
१२.	फोरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी	भौजपुरा बूंदी जिला	१६–८–५८	"
१३.	फोरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी	हनोतिया कोटा जिला	१७–६–५८	"
१४.	वन श्रमिक सहकारी समिति	बसानी बांसवाड़ा जिला	सूचना नहीं है	"

कूप का नाम	दखल देने की तिथि	कार्य आरम्भ करने की तिथि	कूप की कीमत	विशेष विवरण
६	७	८	९	१०
१९५७–५८	सूचना उपलब्ध नहीं है		३००००	कत्था १०० हंडी
१. राजपुर तालाब १९५८–५९ सहरोल	„		४१८००	कत्था ११० हंडी
२. सामरिया नं० १४	२१–११–५८	„	१२६००	लकड़ी कोयला १२९ एकड़
३ १९५७–५८एरिनपुरा टेनरी १९५८–५९ एरिनपुरा टेनरी	१०–१–५८ अभी सूचना नहीं मिली	१०–१–५८	५२५० ७५००	आवल हाल आवल हाल
४. कोखन्दा नं० ७	६–११–५८	„	१६०००	लकड़ी कोयला ९० एकड़
५. टाटगढ़ नं० ४	१९–११–५८	„	२२९६०	लकड़ी कोयला १४० एकड़
६. छानी	१–११–५८	„	३००००	लकड़ी कोयला २५७ एकड़
७. १९५७–५८ मेसौटा मिहानी	सूचना नहीं है	„	१३४००	लकड़ी कोयला
१९५८–५९ बामनिया फारावाला	२५–१०–५८	„	१०५००	लकड़ी कोयला ८७ एकड़
८. जाबूड़ा	१–११–५८	„	३००००	लकड़ी कोयला २२० एकड़
९. कालीखोल	१–११–५८	„	९०००	बांस
१०. १९५७–५८ डैया	२–२–५८	„	२०५०	लकड़ी कोयला
अम्बाबा	३–२–५८	३–२–५८	२०००	„

६	७	८	९	१०
१९५८-५९ डैया नं०७ नाथी नला	कार्यवाही चल रही है	कीमत निश्चित नहीं हुई	बांस	,, ,,
११. कोलदारा	कार्यवाही चल रही है	कीमत निश्चित नहीं हुई	बांस	
१२. पतल्या आधा	सूचना नही हैं	१०९८०	लकड़ी कोयला	६६ एकड़
१३. दामोदरपुरा नं० ७	कार्यवाही चल रही हैं	कीमत निश्चित नहीं हुई	लकड़ी कोयला	१३२ एकड़
१४. पलवानी भवर कोट	,,	,,	,, बांस	

———

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिये)

बीकानेर जिले में निर्माण कार्य जो इस समय प्रगति में है उनकी सूची :

सं०	कार्य का नाम	अनुमानित रकम	ठेकेदार का नाम
१.	गव्यशाला का निर्माण	३८,५००)	भंवरलाल पूरनराम ठेकेदार
२.	दुग्धशाला एवं मुख्य गोशाला खंड का निर्माण	४०,०००)	,,
३.	आवास गृहों का निर्माण	४४,०००)	,,
४.	मुर्गीशाला का निर्माण	५,०००)	,,
५.	मुर्गी पालने के क्षेत्र में मशीनघर का निर्माण	२२,४००)	,,
६.	पशु चिकित्सालय महाविद्यालय के निमित्त परिवर्तन एवं परिवर्धन का कार्य	२०,०००)	,,
७.	बीकानेर चिकित्सालय शिशु-कक्ष का निर्माण	४०,०००)	राजस्थान बुकवर्क एण्ड कन्स्ट्रक्शन कोपरेटिव सो०
८.	बीकानेर में टी० बी० क्लीनिक का निर्माण	४०,०००)	श्रीलाल ठेकेदार
९.	बीकानेर चिकित्सालय में मोटर एवं साइकिल रखने की जगह का निर्माण	१०,०००)	मेसर्स गुलाबचन्द रामदेव
१०	बीकानेर कलेक्टर भवन में अर्जी-नवीशों का और साइकिल रखने के लिए जगह का निर्माण	२०,०००)	,,
११.	बीकानेर में तहसील बीज भंडार का गृह का नि र्माण	११,६१४)	मेसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
१२.	नोखा में तहसील बीज भंडार का निर्माण	१०,०००)	श्री मोहम्मदबक्स ठेकेदार

१	२	३	४
१३.	नोखा में श्रवणों के मकान का निर्माण	७,०००)	मेसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
१४.	नोखा में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर	४,०००)	मोहम्मदबक्स ठेकेदार
१५.	कोडमदेसर में भेड़ पालन केन्द्र में औषधालय व सड़क तथा ऊन कतरने के गृह का निर्माण	२०,०००)	भंवरलाल पूरनराम
१६.	बीकानेर से डुलमेरा होती हुई लूनकरणसर तक सड़क का निर्माण, मील ४ से ४२:४ तक	६,००,०००)	मील ४ से २४ तक सुशीलकुमार दुमानी मील २४ से ४२:४ तक भैंरूदान अग्रवाल
७	कोलापत में भेडों की ऊन कतरने के छप्पर का निर्माण	७,०००)	मेसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन
१८.	महाजन ,, ,,	७,०००)	,, ,,
१६.	रिडमलसर ,, ,,	७,०००)	,, ,,
२०.	लूणकरणसर ,, ,,	७,०००)	,, ,,

चुरू जिले में निर्माण कार्य जो इस समय प्रगति में है उनकी सूची

१.	सरदार शहर रेलवे स्टेशन से सरदार शहर कस्बे तक की सड़क का निर्माण	३१,३३२	श्रीगुलाम मुस्तफा
२.	राजगढ़ से पिलानी तक की का निर्माण		
	क. मील ४ से ६	१३४,६८२)	श्रीमखनसिंह
	ख. मील ६ से १४	१२६,४२८)	
	ग. मील १४ से १६	१३६,४००)	श्रीनथमल मेहता
	घ. मील १६ से २४	१२४,६१६)	श्री भैंरूदान अग्रवाल बीकानेर

१	२	३	४
३.	चुरू से भालेरी तक सड़क मील १५:४ से २२ तक डामर करना	५४,५ ५)	श्रीगुलाम मुस्तफा
४.	तारानगर से साहब मील से १२ तक की सड़क का निर्माण		श्रीपूनमचन्द
५.	बीदासर कंकर की खाण से बीकानेर देहली तक की सड़क मील ६५ तक के टुकड़े का निर्माण मकान	११,२६७)	श्री धूड़ाराम
६.	तारानगर में भेड़ों ऊन काटने के छप्पर का निर्माण	७,०००)	श्री तोलाराम
७.	सुजानगढ में ,, ,,	७,०००)	,,
८.	डूंगरगढ़ में ,, ,,	७,०००)	श्रीहरनारायण
९.	सादुलपुर में ,, ,,	७,०००)	श्रीभैंरूदान अग्रवाल
१०.	राजलदेसर में ,, ,,	७,०००)	श्रीहरनारायण हर्ष
११.	सरदार शहर में बीज भंडार बनाना	१३,६६७)	मेसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन क०
१२.	सादुलपुर में बीज भंडार बनाने का कार्य	१३,४२७)	,,

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १६ दिसम्बर १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७३६२	१८	गय	गया ?
७३६४	६	अग्रवाल	अग्रवाल
७३६६	शीर्ष	ारांकित	तारांकित
७४०२	१५	ब्यास	व्यास
७४०६	शीर्ष	प्रक्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
७४१४	१७	सोव	सोच
७४१५	१७	सदस्यों	सदस्या
७४१६	२०	सदस्य एक	सदस्यों के एक
७४२२	नीचे से ८	opqortunity	opportunity
७४२३	६	श्रौं	श्री
७४२४	१७	अधिकार	अधिकारी
७४२४	१८	स्तरतक	स्तर तक
७४३०	नीचे से ५	वै	है
७४३१	५	१०७	१४०७
७४३१	५	कपानन	कपासिन
७४३१	१३	शिकावत	शिकायत

१	२	३	४
७४३३	५	दे	दो
७४३३	६	का	को
७४३६	६	ओर	और
७४३६	८	याधन	साधन
७४३८	५	विद्यत	विद्युत
७४३८	६	त्रेत्र	त्रेत्रों
७४४३	नीचे से ११ के ऊपर		निम्नलिखित निशिष्ट कीजिये:- श्री मूलचन्द डागा : जिनसे माल बरामद किया था क्या उनका माल लौटा दिया गया है ? श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, लौटा दिया गया है ।
७४४४	८	बद्योग	उद्योग
७४४४	२०	हटवाडिया	टटवाड़िया
७४४५	४	१४४५	१४२५
७४४६	६	नियुक्त	नियुक्ति
७४५१	३	लूणकरणसर	(लूणकरणसर)
७४५२	५	रोगशेम्याए'	रोग शटयाएं
७४५२	६	नागेर	नागौर
७४६१	शीर्ष	ीनेन्सी (पंचमसंशोधन)	सदन की मेज पर रखे गये पत्र
७४६२	शीर्ष	विधेयक,१६५८	समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन
७४६३	७	विशेषाधिगार	विशेषाधिकार

१	२	३	४
७४६२	२४	प्रस्थापन	उपस्थापन
७४६२	नीचे से ५	१६५८ ५६	१६५८-५६
७४६३	१६	विघायी	विधायी
७४६४	शीर्ष	१६८६	१६५८
७४६४	१	un-irrigaied	un-irrigated
७४६५	११	ड्रीड्स मार्गेज	मार्गेज डीड्स
७४६६	१६	प्रजेक्ट	प्रजेन्ट
७४६७	शीर्ष	१६ दिसम्बर, ८५	१६ दिसम्बर, ५८
७४६८	१२	श्री लक्ष्मीचन्द जैन	श्री लक्ष्मीचन्द
७४६८	१३	श्री लक्ष्मीचन्द जैन	श्री लक्ष्मीचन्द
७४६८	१८	Snb-Scetion	Sub-Section
७४६६	शीर्ष	श्री लक्ष्मीचन्द जैन	श्री लक्ष्मीचन्द
७४६६	४	उमसे	उसमें
७४७५	१५	चहे	चाहे
७४७५	नीचे से ६	'Second Charge'	विलोपित कीजिये
७४६५	, ७	is	as
७४७७	७	बसके अन्द	इसके अन्दर
७४७८	२१	अमेन्डन्ट	अमेन्डमेन्ट
७४८०	३	Sub-Seetion	Sub-Section
७४८०	११	Khatedati	Khatedari
७४८१	शीर्ष	७२८१	७४८१

१	२	३	४
७४८२	शीर्ष	७२८२	७४८२
७४८२	१६	श्री अध्यत्त	श्री अध्यत्त
७४८२	१८	श्री श्री मानसिंह	श्री श्रीमानसिंह
७४८२	१९	जयगा	जायगा
७४८३	नीचे से १	श्री पुरूषोतमलाल	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
७४८४	,, २	पंन्च-पर्षीय	पंचवर्षीय
७४८७	,, १	इसे	इस
७४८७	,, ६	है	हमें
७४८८	,, १३	Khatedori	Khatedari
७४८८	,, १	Someody ? and	Somebody ? And
७४८९	,, ६	१,३०,३२३	१२,३०,३२३
७४९१	,, ३	Kindg	Kinds
७४९६	१०	ध्यान रखन	ध्यान रखना
७४९६	अन्तिम से ३	निम्नतम	निम्नतम
७५०५	अन्तिम	श्री अध्यत्तपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।	अध्यत्तपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।
७५१८	२२	अवसर आदेगे	अवसर आयेंगे
७५२४	२	एकीशियेन्टली	एकी शियेन्टली
७५२८	२१	आप नती	आप न तो
७५३०	२१	iist	list
७५३१	११	*rulingt hat*	ruling that

१	२	३	४
७५३२	१६	Can *bedt*	Can *be*
७५३२	अन्तिम से ११	qiven *bby*	Given by
७५३३	११	opsrnation	observation
७५४२	अन्तिम से १०	५७	५–७
७५५१	४	वरना	करना
७५६१	१	यह सीलिहग	यह सीलिंग
७५६१	अन्तिम से ७	लगू	लागू
७५६३	५	resport	report
७५६३	१२	एत्रस्प्लेन	एक्सप्लेन
७५६३	१४	सतिति	समिति
७५६५	११	मौ।।	मौका
७५६५		'not'——	(कृपया विलोपित कीजिये ।)
७५७०	३	पसी	पर्सन
७५७४	१७	It vill	It will
७५७६	७	तो ते	तो मैं
७५८०	१८	tiuation	Cultivation
७५८१	३	हीं	नहीं
७५८१	११	कीब	करीब
७५८७	अन्तिम से १७	वेसिस	बेसिस पर
७५६०	६	rom	from
७५६५	१५	जमीम मों	जमीन में

१	२	३	४
७६०५	अन्तिम से १०	l ut	put
७६०५	,, ८	l uttivg	putting
७६०७	,, १४	ha	has.
७६१०	१३	Cent	Can
७६१०	अन्तिम	अनिश्ति	अनिश्चित
७६२३	अन्तिम से ३	निाण	निर्माण